एच एस सी सी
HSCC
A Miniratna Enterprise

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

एचसीसी (इंडिया) लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी

36वीं वार्षिक रिपोर्ट

2018-19

www.hsccltd.co.in

श्री हरदीप सिंह पुरी

(माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
आवास एवं शहरी मामले)

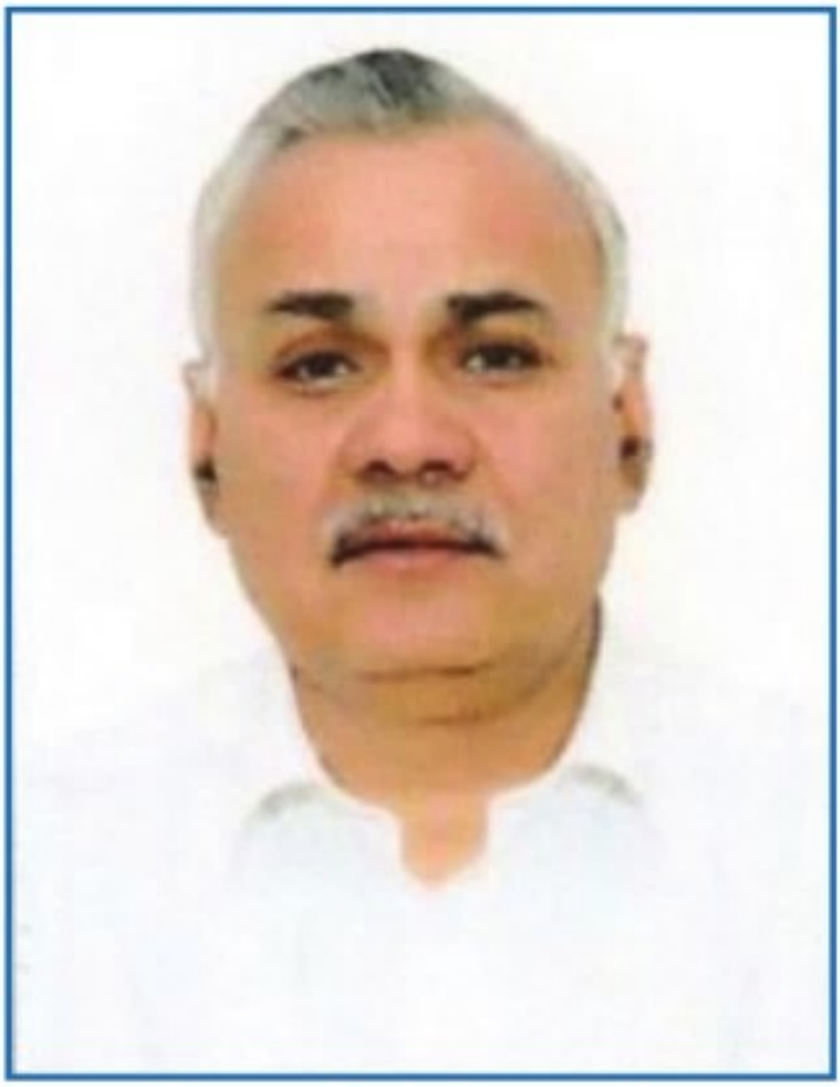

श्री दुर्गा शंकर मिश्रा

(सचिव, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय)

विजन, कॉर्पोरेट मूल्य, कॉर्पोरेट गुणवत्ता नीति

विजन

"भारत और विदेशों में स्वास्थ्य देखभाल को बढाने के लिए मूल्य–योजित, नई और एकीकृत सेवाएं प्रदान करने वाली अग्रणी परामर्शदाता कम्पनी बनना जो दूसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में मूल क्षमता और इसके व्यवसायी कर्मचारियों को स्फूर्तिदायक और सक्षम कार्य वातावरण प्रदान करती है।"

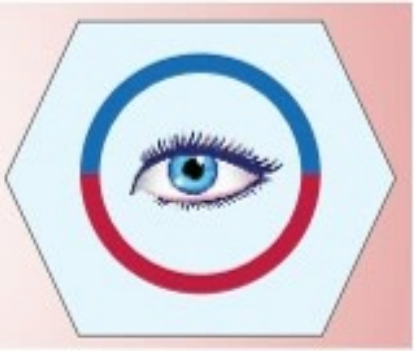

मिशन

"भारत और विदेशों में स्वास्थ्य देखभाल और दूसरे उद्देश्यों के लिए भवनों और इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए अवधारणा से लेकर अधिग्रहण तक व्यापक परियोजना नियोजन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन, खरीद और संबंधित सेवाएं प्रदान करना।"

कोरपोरेट मूल्य

- ग्राहक के लिए मूल्य योजना पर फोकस
- संगठन के अंदर सृजनात्मकता और नवीनता प्रदान करना
- एक सीखने वाले संगठन का निर्माण करना
- हमारी सभी गतिविधियों के लिए एक सक्षमकर्ता के रूप में समूह भावना

कॉर्पोरेट गुणवत्ता नीति

स्वास्थ्य देखभाल और दूसरे सामाजिक क्षेत्रों में निरंतर गुणवत्ता परामर्श सेवाओं में सुधार करके लीडरशिप और ग्राहक संतुष्टि को बनाए रखना

संदर्भ सूचना

पजींकृत कार्यालय

205 (दूसरा तल), ईस्ट एण्ड प्लाजा,
प्लॉट नं. 4, एलएससी, सेंटर–2,
वसुंधरा एनक्लेव,
नई दिल्ली–110096

कॉर्पोरेट कार्यालय

ई–6 (ए), सेक्टर–1, नोएडा–यूपी. 201301
टेली. – 91–120–2542436–40
फैक्स – 91.120.2542447
ईमेल - hsccltd@hsccltd.co.in

संविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एम.एल पुरी एण्ड कमपनी,
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स,
407, नई दिल्ली हाउस,
27, बाराखम्बा रोड़,
नई दिल्ली – 110 001

आंतरिक लेखापरीक्षक

मैसर्स प्रेम गुप्ता एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स
4, शिवाजी मार्ग
नई दिल्ली–110015

सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स प्रवीन रस्तोगी एण्ड कम्पनी
कम्पनी सचिव
फ्लैट नं. –3, सूद बिल्डिंग,
तेल मील मार्ग,
रामनगर, पहाड़गंज,
दिल्ली – 110055

बैंकर

इंडियन ओवरसीज बैंक
केनरा बैंक
पंजाब नैशनल बैंक
बैंक ऑफ़ बड़ोदा
भारतीय स्टेट बैंक
सिंडिकेट बैंक
यूको बैंक
कॉर्पोरेशन बैंक
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
ओरिएंटल बैंक
एक्सिस बैंक
युनियन बैंक ऑफ इंडिया

विषय सूची

1.	निदेशक बोर्ड	6
2.	कार्यनिष्पादन एक नजर में	8
3.	अध्यक्ष का संबोधन	11
4.	नोटिस	16
5.	निदेशको की रिपोर्ट और सलंग्नक	23
	– प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	
	– कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट	
	– अन्य सलंग्नक	
6.	भारत के लेखा–नियंता और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	66
7.	वित्तीय कथनों पर ऑडिटर की रिपोर्ट	68
8.	वित्तीय विवरण	82
9.	उपस्थिति पर्ची और प्रतिनिधित्व प्रपत्र	

निदेशक की प्रोफाइल

श्री शिव दास मीणा, आईएएस, ने 5 अप्रैल 2019 से एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। श्री मीणा वर्तमान में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर हैं और साथ ही एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, जो एएससीसी (इंडिया) लिमिटेड की होल्डिंग कम्पनी है, के अध्यक्ष एवं महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। तमिलनाडु काडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्री मीणा जिनके पास सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग तीन दसकों को अनुभव है, जो सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। बाद में उन्होंने जापान से अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में स्नातकोत्तर की।

श्री शिव दास मीणा
अध्यक्ष

श्री ज्ञानेश पांडे के पास सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि है और वे 01 जून 1995 से एचएससीसी के साथ काम कर रहे हैं। उनके पास परियोजना नियोजन और प्रबंधन में उनके पास लगभग 36 वर्ष का अनुभव है। वे 1 जून 2011 से एचएससीसी के बोर्ड के सदस्य रहे हैं और उनके पास कम्पनी के संचालनों का प्रभार रहा है।

श्री ज्ञानेश पांडे
महानिदेशक

श्रीमति नंदिता गुप्ता एक 2001 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 1 फरवरी 2019 से कम्पनी में सरकारी निदेशक के रूप में एचएससीसी बोर्ड में पद भार संभाला था। उनके पास सितम्बर 2018 से आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव का पद है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यग्रहण करने से पहले उन्होंने जून 2016 से दिसम्बर 2017 तक धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में और शहरी विकास मंत्रालय में निदेशक एस्टेट के रूप में भी कार्य किया है।

श्रीमति नंदिता गुप्ता
सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. (श्रीमति) विनोद पंथी 1 अगस्त 2019 से आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के नॉन–ऑफिशियल स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने जे.एल. एन मेडिकल कॉलिज से अपनी एमबीबीएस पूर्ण की है। डॉ (श्रीमति) विनोद पंथी के पास प्रसूति विज्ञान और स्त्रीरोग चिकित्सा के क्षेत्र में 22 वर्ष का अनुभव है। वर्तमान में वे निजी अभ्यास करती हैं।

डॉ. (श्रीमति) विनोद पंथी
स्वतंत्र निदेशक

कार्यनिश्पादन पर एक नजर

कम्पनी ने 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 2,07,104.00 लाख के उच्चतम टर्नओवर और कर के बाद 4,98,1.00 लाख के लाभ के साथ फिर उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं।

40.00 लाख रुपये की चूकता पूंजी के साथ कम्पनी को 1983 में निगमित किया गया था और बाद में 200.00 लाख रुपये के बोनस शेयर जारी किए जिसके परिणामस्वरूप चूकता शेयर पूंजी बढ़ कर 240 लाख रुपये हो गई। वित्त वर्ष 2017–18 में कम्पनी ने 25 प्रतिशत पूर्ण रूप से चूकता शेयर पूंजी का बाईबैक किया जिसके परिणामस्वरूप चूकता शेयर पूंजी घट कर 180.00 लाख रुपये हो गई। निवेश और सरकारी सम्पत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) के कार्यालय ज्ञापन पत्र के अनुसार वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान कम्पनी का 100 प्रतिशत स्ट्रेटजिक विनिवेश किया गया और इस प्रकार एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने प्रबंधन नियंत्रण स्थांतरण के साथ कम्पनी के वर्तमान 100 प्रतिशत चूकता इक्विटी शेयर पूंजी को खरीदा।

एचएससीसी के उद्देश्य और स्ट्रैटजी को ऐसी व्यापार वृद्धि के माध्यम से शुद्ध मूल्य को बढाने के लिए डिजाइन किया गया है जो आय और लाभों में बढोतरी करे और मजबूत और तनाव मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करे। इस प्रकार हम कम्पनी के मूल्य को बढाएंगे और साथ ही एक मजबूत बैलेंस शीट और शेयरधारकों के लिए आकर्षक लाभ को बनाए रखेंगे।

गुणवत्ता और समय कारक के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम निरंतर सर्वश्रेठ सेवा प्रदाता के रूप में विकसित हो रहे हैं और विशिष्ट और नवीन सेवाएं पेश कर रहे हैं जो हमारे ग्राहकों को खुश करती हैं।

(रुपये लाखों में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आय	5,75,76	11,06,98	1,61,925	1,61,220	2,07,104
कर से पहले लाभ	3,795	8,687	5,616	5,822	7,949
शुद्ध लाभ	2,454	5,462	3,761	3,747	4,981
शुद्ध मूल्य	13,933	17,422	19,825	17,203	13,870
लाभांश	492	1,638	1,128	1,124	2,989
एमओयू के विरुध रेटिंग	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	बहुत अच्छा (प्रत्यासित)

दसकीय वित्तीय परिणामों पर एक नजर

(रुपये लाखों में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वित्तीय कार्य प्रदर्शन										
चूकता पूंजी	240	240	240	240	240	240	240	240	180	180
रिजर्व और सरप्लस	6,999	7,632	8,708	10,347	11,841	13,693	17,182	19,585	17,023	13,690
शुद्ध मूल्य	7,239	7,872	8,948	10,587	12,081	13,933	17,422	19,825	17,203	13,870
शुद्ध स्थायी सम्पत्ति	632	615	600	685	693	649	635	707	706	7,496
क्रियाशील पूंजी *	6,440	7,117	8,568	10,200	12,053	14,165	17,519	24,083	17,188	3,339
प्रयुक्त पूंजी	7,072	7,731	9,168	10,885	12,746	14,814	18,154	24,790	17,895	13,870
संचालन आंकड़े										
परामर्श शुल्क**	2,097	2,311	2,929	3,380	3,919	49,004	1,02,180	1,51,116	1,51,311	2,04,946
ब्याज और अन्य आय	1,218	1,034	1,529	2,455	2,126	8,572	8,518	10,809	9,910	2,158
कुल आय	3,315	3,346	4,458	5,835	6,045	57,576	1,10,698	1,61,925	1,61,220	2,07,104
व्यय	2,002	1,993	2,048	2,203	2,287	53,782	1,01,948	1,56,236	1,55,320	1,99,111
सकल लाभ	1,313	1,353	2,409	3,632	3,758	3,794	8,750	5,689	5,900	7,993
ह्रास	39	36	58	32	44	69	63	73	78	44
कर से पहले लाभ	1,274	1,317	2,352	3,600	3,714	3,725	8,687	5,616	5,822	7,949
कर के बाद लाभ	787	830	1,472	2,257	2,398	2,384	5,462	3,761	3,747	4,981
कर के लिए प्रावधान	487	487	880	1,343	1,316	1,341	3,225	1,855	2,075	2,968
लाभांश	173	173	300	468	492	492	1,638	1,128	1,124	2,989
मानवशक्ति										
कर्मचारियों की संख्या	135	132	124	123	143	153	162	176	184	177
(नियमित वेतनमान पर)										
अनुपात										
पीबीटी / कुल आय (%)	38%	39%	53%	62%	61%	6%	8%	3%	4%	4%
शुद्ध लाभ / कुल आय (%)	24%	25%	33%	39%	40%	4%	5%	2%	2%	2%
शुद्ध लाभ / शुद्ध मूल्य (%)	11%	11%	16%	21%	20%	17%	31%	19%	22%	36%
प्रति–कर्मचारी कुल आय	25	25	36	47	42	376	683	920	876	1,170
प्रतिशेयर आय (ईपीएस) (रु)	328	346	613	940	999	993	2,276	1,567	2,081	2,767
प्रतिशेयर बैक मूल्य (₹)	3,016	3,280	3,728	4,411	5,034	5,805	7,259	8,260	9,555	7,705

* भारतीय लेखा मानकों के अनुसार वित्त वर्ष 2018–19 का वित्तीय विवरण। पुनःआकलन, पुनःवर्गीकरण और पुनःसमूहीकरण के कारण मूल्य में विभिन्नता।

* वित्त वर्ष 2018–19 के लिए परामर्श शुल्क में 1,94,317.78 लाख रुपये का किया गया कार्य और 10,628.37 लाख रुपये का परामर्श शुल्क शामिल है।

सेवा विस्तार

अवधारणा अध्ययन और प्रबंधन

परामर्श

- बेसलाइन सर्वे और आर्थिक अध्ययन
- महामारी संबंधी सर्वे
- सिस्टम नियोजन
- व्यवहारिकता अध्ययन
- पुनःसंरचना/पुनःसंगठन अध्ययन
- मूल्यांकन अध्ययन

खरीद

- दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स
- चिकित्सा उपकरण
- अन्य उपकरण
- कॉम्युनिकेशन सिस्टम
- यंत्र
- फर्नीचर एवं फिक्सचर

परियोजना प्रबंधन

- परियोजना नियोजन जिसमें अनुबंधकर्ताओं का चयन और कार्य प्रदान करना शामिल है
- परियोजना निगरानी
- गुणवत्ता नियंत्रण
- निर्माण पर्यवेक्षण
- अनुबंध प्रशासन
- वित्तीय नियंत्रण

सूचना प्रबंधन

- स्वास्थ्य एमआईएस
- सिस्टम इंटीग्रेशन

सुविधा डिजाइन

- अवधारणा डिजाइन
- बेसिक डिजाइन
- आर्किटेक्चर संबंधी डिजाइन/प्लान
- इंजीनियरिंग डिजाइन
- उपकरण नियोजन
- कचरा प्रबंधन
- डिजाइन समन्वय

इंजीनियरिंग अध्ययन

- जीर्णोद्धार/पुनर्वास
- आधुनिकीकरण/अप–ग्रेडेशन
- विस्तार
- उत्पादकता/क्षमता सुधार

लॉजिस्टिक्स और इन्सटॉलेशन

- परिवहन
- क्लीयरिंग और अग्रेषण
- साइट डिलिवरी
- इन्सटॉलेशन प्देजंससंजपवद
- जांच और अधिग्रहण
- प्रशिक्षण

नए क्षेत्र (विविधता)

- इंजीनियरिंग और सुविधाओं का रखरखाव
- पशुओं के लिए टीका निर्माण सुविधाएं
- फार्मास्यूटिकल निर्माण सुविधाएं
- विदेशों में चिकित्सा व्यवसायियों का प्रशिक्षण
- जैव–प्रोद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास संस्थानों का विकास
- नए अंतराष्ट्रीय विकास बाजारों में परियोजनाएं

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारको,

मैं आप सभी का एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड 36वीं वार्षिक सामान्य बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कम्पनी के कार्यप्रदर्शन पर आपको अपडेट करना और नजदीक और मध्यम अवधि के लिए भावी दृष्टिकोण की रूपरेखा को आपके सांझा करना हमें एक आनंदपूर्ण रहा है।

पृष्ठभूमि

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, पूर्व में होस्पिटल सर्विसिज कन्सल्टैंसी कॉर्पोरेशन की स्थापना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में वर्ष 1983 में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अवधारणा से लेकर अधिग्रहण तक व्यापक सेवाएं प्रदान करना था। एसएससीसी ने 36 वर्ष की अपनी यात्रा में निरंतर प्रगति और विकास किया। 2015 में मिनी रत्न–श्रेणी–1 का स्थान प्राप्त किया।

यह यह गर्व की बात भी रही है कि इसकी शुरूआत से एचएससीसी ने सरकार से या किसी अन्य स्रोत से बिना कोई उधार लिए अपने व्यापार की वृद्धि को सुनिश्चित किया है। कम्पनी हमेशा ऋणमुक्त रही है और लाभ कमाया है, जो वास्तव में एक उत्कृष्ट उपलब्धि और कम्पनी की क्षमताओं और शक्तियों का प्रमाण है।

इन वर्षों में, एचएससीसी ने स्वास्थ्य परामर्श में एक विशेष स्थान बनाया है। इसकी व्यापक विशेषज्ञता में अस्पताल योजना, डिजाइन, विस्तृत इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण के साथ–साथ चिकित्सा उपकरणों की खरीद, आपूर्ति, स्थापना और अधिग्रहण शामिल हैं। एचएससीसी हेल्थकेयर में एंड–टू–एंड मल्टी–डिसिप्लिनरी सहायता प्रदान करने में सक्षम है जिसमें व्यवहारिकता अध्ययन और निविदा दस्तावेजीकरण से लेकर परियोजना प्रबंधन सहित सिविल, इलेक्ट्रिकल, आईटी और सहायक क्षेत्र शामिल हैं।

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने 24 दिसंबर, 2018 को एक बहु–विषयक पोर्टफोलियो के साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के रूप में एचएससीसी का अधिग्रहण किया, जो अस्पताल योजना, डिजाइन, विस्तार इंजीनियरिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, परियोजना प्रबंधन और निगरानी के साथ–साथ चिकित्सा उपकरणों की खरीद, आपूर्ति, स्थापना और अधिग्रहण के क्षेत्र में व्यापक परामर्श सेवाओं को प्रदान करती है। एचएससीसी पर एनबीसीसी के अधिकार ने सहक्रियता लाभों को प्रदान किया है और स्वास्थ्य क्षेत्र में विशाल अनुभव के साथ व्यवसायियों की एक विशेष टीम ने संगठन का मूल्य योजन किया है।

मुख्य परियोजनाएं

एचएससीसी ने विभिन्न व्यापक परियेाजनाएं पूरी की हैं जैसे झज्जर में राष्ट्रही कर्क रोग संस्थान (एनसीआई), राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों लातुर, रिवा (मध्यप्रदेश), पटियाला, आदि, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, राष्ट्रीय पशु प्रजनन संस्थान (एनआईएबी), हैदराबाद में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक।

विदेशी परियोजनाएं जैसे डिकॉय, श्रीलंका में 150 बेड का अस्पताल, कठमांडु में बीआईआर अस्पताल के लिए ट्रॉमा सेंटर, भूटान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यांगून में सामान्य अस्पताल सिटवे का आधुनिकीकरण और यंगुन में बच्चों का अस्पताल।

प्रक्रिया में चल रही परियोजनाओं में एम्स, नई दिल्ली, नागपुर, कल्याणी, गुंटूर का बहु परिचालन कार्य, सिलीगुड़ी में ईएसआईसी के लिए 100 बेड का अस्पताल, चंडीगढ़ में उन्नत न्यूरो साइंस सेंटर, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए कैंसर अस्पताल और मॉरीशस गणराज्य में क्वालिटी लाइफ आदि शामिल हैं।

कार्यप्रदर्शन

जहां तक वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी के प्रदर्शन का संबंध है, मुझे यह रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है कि कंपनी ने चुनौतीपूर्ण संचालन में वातावरण के बावजूद अपनी गति बनाए रखी। पिछले वर्ष में 1,612.20 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष के लिए कुल आय 2,071.04 करोड़ रुपये थी। वर्ष के लिए पीएटी 49.81 करोड़ रुपये था।

चुनौतियां और अवसर

निजी और सरकारी क्षेत्र के खिलाड़ियों के रूप में नए प्रवेशकों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनता जा रहा है। यह कीमतों पर नीचे की ओर दबाव डालता है और लाभों को प्रभावित करता है। इस क्षेत्र में एक और मजेदार परिवर्तन है पूर्वोत्तर में परियोजनाओं का स्थानांतरण जो गर्भकाल और पूर्ण होने की अवधि को लम्बा बनाता है।

लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र में उभरते हुए अवसर अधिक बड़े हैं। भारत अस्पतालों, बिस्तरों, चिकित्सकों और दूसरी चिकित्सा सुविधाओं और प्रतिभा के संबंध में पीछे है। सरकार एक व्यापक पुश के साथ इस अंतराल को खतम करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार किया जा सके। इसमें नई परियोजनाएं के साथ साथ पूरे देश में वर्तमान अस्पतालों का जीर्णोद्धार और अपग्रेडेशन शामिल है। स्वास्थ्य में निजी क्षेत्र से मांग भी बढ़ी है क्योंकि इस क्षेत्र में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की संख्या बढ रही है। अन्य अवसर विदेशों में सार्क देशों में है जहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति हो रही है।

निष्कर्श और आभार

कुल मिलाकर, मेरा मानना है कि हमारे पास आने वाले वर्षों में निरंतर विकास और विस्तार के एक चरण के लिए सही कारक मौजूद हैं। हम स्वास्थ्य सेवा में एक प्रमाणित क्षमता के साथ विश्व स्तरीय परामर्श संगठन में विकसित होने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर हैं। मुझे आपके समर्थन और विश्वास में भरोसा है और हम सफल होंगे।

जैसा कि मैं निष्कर्ष निकालता हूं, मैं अपने प्रशासनिक मंत्रालय यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, बोर्ड के सदस्यों के साथ–साथ विभिन्न राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों को उनके निरंतर समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे सभी आपूर्तिकर्ता और विक्रेता भागीदारों का ईमानदारी से धन्यवाद करता हूं, जिनकी मदद के बिना कंपनी परियोजनाओं के निष्पादन में तारकीय प्रदर्शन देने में सक्षम नहीं होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिबद्धता और अनथक प्रयास के लिए एचएससीसी के प्रत्येक कर्मचारी को ध न्यवाद करता हूं।

मैं अपने सभी शेयरधारकों, हितधारकों और हमारे बैंकरों को एचएससीसी में उनके निरंतर विश्वास के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम मूल्य को प्रदान करना जारी रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

आपका विश्वसनीय,
(शिव दास मीणा)
अध्यक्ष

महानिदेशक का संदेश

माननीय हिस्सेदारों को

एचएससीसी के निदेशक बोर्ड की तरफ से, कम्पनी की 36वीं वार्षिक सामान्य बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस अवसर पर मैं आज आपके पधारने के लिए और कम्पनी को प्राप्त निरंतर समर्थन के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं।

वित्त वर्ष 2018–19 के लिए निदेशक की रिपोर्ट और वार्षिक लेखापरिक्षित खातों को आपके पास पहले ही भेज दिया गया है और आपकी अनुमति से मैं इन्हें पढ़ा हुआ समझता हूं।

कार्यप्रदर्शन की समीक्षा

जैसा कि आपने वार्षिक सामान्य रिपोर्ट में देखा होगा, वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान हमने उच्च स्तर पर और निम्न स्तर पर मजबूत वृद्धि की और उच्च गुणवत्ता की आय प्राप्त की जो तेज वृद्धि चालकों की कॉर्पोरेट स्ट्रैटजी की मजबूती को प्रतिबिम्बित करता है। यह कार्यनिष्पादन विशेष रूप से असाधारण है जब इसकी समीक्षा ऐसे बेहद चुनौतिपूर्ण व्यापार संदर्भ के संदर्भ की पृष्ठभूमि में देखा जाता है जिसमें इसे प्राप्त किया गया, अर्थात अर्थव्यवस्था में मंदी चल रही थी और उच्च स्तर की महंगाई थी।

मैं यह रिपोर्ट करते हुए खुश हूं कि आपकी कम्पनी ने 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आकर्षक कार्यप्रदर्शन किया है।

मुझे शेयरधारकों के सम्मुख यह प्रस्तूत करते हुए खुशी हो रही है कि वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान पिछले वर्ष की 1,612.20 करोड़ रुपये की आय की तुलना में 2,071.04 करोड़ रुपये की की कुल आय अर्जित की है। कम्पनी ने पिछले वर्ष अर्जित 96.26 करोड़ रुपये परामर्श शुल्क की तुलना में इस वर्ष 106.28 करोड़ रुपये परामर्श शुल्क कमाया, जिससे 10.41 प्रतिशत वृद्धि हुई, जो भारत में औसत औद्योगिक वृद्धि से अधिक है।

कम्पनी ने पिछले वर्ष के 58.22 करोड़ रुपये के कर से पूर्व लाभ की तुलना में इस वर्ष 79.49 करोड़ रुपये कर से पहले लाभ हांसिल किया। इस प्रकार वित्त वर्ष 2018–19 के लिए कर से पूर्व लाभ में 36.54 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की। कंपनी ने पिछले वर्ष में अर्जित 37.

47 करोड़ की तुलना में 49.81 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया।

आपके समर्थन के साथ, कंपनी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, परिणामस्वरूप, एचएससीसी ने भारत में सबसे तेजी से बढ़ते पीएसयू में से एक का दर्जा हांसिल किया है।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कंपनी ने वर्ष 2018–19 के लिए चालू वर्ष के लाभ से 29. 89 करोड़ की पूँजी पर 1660.33: लाभांश देने की सिफारिश की है। यह लगातार 34 वां वर्ष है जब कंपनी ने लाभांश घोषित किया है। इस वर्ष के लाभांश का भुगतान करने पर, भारत सरकार को दिया गया संचयी लाभांश 79.33 करोड़ होगा, जो कंपनी की वर्तमान चुकता इक्विटी पूंजी के 44 गुना के आसपास होगा।

एनबीसीसी में एचएससीसी का स्ट्रैटजिक विनिवेश

कम्पनी को समान रूप से स्थापित सीपीएसई एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के साथ रणनीतिक रूप से विनिवेशित किया गया। एनबीसीसी को एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के 100 प्रतिशत स्ट्रैटजिक विनिवेश के खरीदार के रूप में चुना गया है। सरकारी सम्पत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा 13 सितम्बर 2018 को एनबीसीसी को निर्णय का पत्र जारी कर दिया गया। 6 नवम्बर 2018 को शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।

मिनी रत्न का दर्जा

एचएससीसी को 31 दिसम्बर 2015 से मिनी रत्न श्रेणी–1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का दर्जा प्राप्त हो चुका है। पहले इसे सितम्बर 2002 में मिनी रत्न श्रेणी–2 पीएसयू का दर्जा हांसिल था।

एमओयू

उच्च प्रबंधन टर्नओवर में निरंतर वृद्धि हासिल करने के साथ–साथ लागत–नियंत्रण, संसाधनों के इष्टतम उपयोग और सिस्टम में सुधार जैसे रणनीतिक हस्तक्षेपों के माध्यम से पूर्व–कर लाभ में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। कंपनी ने सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई), भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए गए वर्ष 2017–18 के समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत 'गुड' रेटिंग हासिल की है। इसके अलावा, वर्ष 2018–19 के परिणामों के आधार पर, कंपनी को एमओयू मूल्यांकन के अनुसार बहुत अच्छी रेटिंग मिलने की उम्मीद है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में होने के कारण कम्पनी की सभी गतिविधियां और संचालन अप्रत्यक्ष रूप से इसकी सामाजिक जिम्मेदारी को समर्पित हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान, एचएससीसी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में कुल 134.17 लाख रुपये का योगदान दिया। कंपनी ने कुम्भ मेला 2019, प्रयागराज में लगे स्वच्छता कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए 84.17 लाख रुपये का योगदान दिया। एचएससीसी ने सीएसआर के तहत दुर्लभ गौचर बीमारी से पीड़ित एक मरीज के उपचार में 50 लाख का योगदान दिया है।

अंतराष्ट्रीय व्यापार

आपकी कम्पनी विदेश मंत्रालय के माध्यम से सार्क देशों में भी व्यापार की संभावनाएं तलाश रही है।

वृद्धि का विजन

भारत और विदेशों में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने के लिए मूल्य–वर्धित, नवीन और एकीकृत सेवाएं प्रदान करने वाली एक अग्रणी परामर्श कंपनी बनना, अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में इसकी मुख्य क्षमता का लाभ उठाना और अपने पेशेवर कर्मचारियों को एक स्फूर्तिदायक और सक्षम वातावरण प्रदान करना।

विश्वस्तरीय परामर्शदाता संगठन के रूप में विकसित होने के लिए, संचालनों में विभिन्नता और विस्तार पर जोर दिया जा रहा है जैसे भवन निर्माण इंजीनियरिंग और रखरखाव सेवाएं और कम्पनी अपने क्लाइंट बेस को मजबूत बनाने पर जोर दे रही है।

व्यापार प्रशासन

व्यवसाय के नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के लिए इसके व्यवहार और देश के कानूनों और विनियमों की अनुपालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना कम्पनी

का सिद्धांत है अर्थात अवलोकन, पारदर्शिता, अखंडता, व्यावसायिकता, जवाबदेही और उचित प्रकटीकरण।

आभार

अंत में, निदेशक बोर्ड और अपनी तरफ से, हमारी मूल कम्पनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सभी हिस्सेदारों द्वारा कम्पनी को प्रदान किए गए मूल्यवान मार्गदर्शन, समर्थन और सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं अपने सभी माननीय हिस्सेदारों का उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूं जिनका विश्वास हमारे पूरे प्रयास में मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य करता है।

मैं अपने सभी मूल्यवान ग्राहकों – स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, एम्स, पीजीआई चंडीगढ़, मॉरीशस सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार, केरल सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ सरकार, उत्तर प्रदेश और अन्य बिजनेस एसोसिएट्स को निरंतर समर्थन देने के लिए और हम पर विश्वास के लिए आभार प्रकट करता हूं। कंपनी, हमेशा की तरह, ग्राहकों की संतुष्टि पर केंद्रित रहेगी।

मैं सीएजी, सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों को उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं आपकी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर किए गए कठिन परिश्रम, प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयासों की सराहना करता हूं।

पुझे प्राप्त आपके सहयोग और समर्थन के बदले में मैं आपकी कंपनी को नई और ऊँचाई पर ले जाने का वादा करता हूँ।

धन्वाद सहित,

अधोहस्ताक्षरी

(ज्ञानेश पांडे)

महानिदेशक

नोटिस

एतद द्वारा नोटिस दिया जाता है कि एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों की वार्षिक सामान्य बैठक मंगलवार, 17 सितम्बर 2019 को दोपहर 12:30 बजे एनबीसीसी भवन, लोधी रोड़, नई दिल्ली 110003 में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य कार्य:

1. 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना और स्वीकृति देना।
2. 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 100 रुपये प्रति (अर्थात1,660.33 प्रतिशत की दर पर) के इक्विटी शेयरों के भुगतान किए गए प्रति शेयर पर रुपये 1,660.33 (एक हजार छह सौ साठ रुपये) का लाभांश घोषित करना।
3. श्री ज्ञानेश पाण्डेय (डीआईएन 03555957) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करना, जो रोटेशन से रिटायर होते हैं और फिर से नियुक्ति के लिए खुद को प्रस्तुत करते हैं।
4. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक(कों) के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

विशिष्ट कार्य:

4. **श्री शिवदास मीणा (डीआईएनः 01881010) की कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति को नियमित करना और**

   निम्नलिखित सामान्य प्रस्तावों पर विचार करना और उचित हो तो अधिसूचना के साथ उसके बिना उन्हें पारित करनाः

   "प्रस्तावित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और दूसरे लागू प्रावधानों, यदि कोई है, और कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियमावली, 2014 (वर्तमान में लागू कोई भी सांविधिक संशोधन(नों) या पुनःअधिनियमन शामिल है) के अनुसार श्री शिवदास मीणा (डीआईएनः 01881010), जिन्होंने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के कार्यालय पत्र O-17034/45/2017- पीएस के अनुसार एचएससीसी के निदेशक का प्रभार 5 अप्रैल 2019 से संभाला है, को एतद द्वारा समय समय पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों पर कम्पनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है।"

5. **श्री ज्ञानेश पांडे (डीआईएन 03555957) की कम्पनी के निदेशक (महानिदेशक) के रूप में नियुक्ति को नियमित करना और**

   यदि उचित हो तो निम्नलिखित प्रस्ताव को अधिसूचना के साथ या उसके बिना एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में पारित करनाः

   "प्रस्तावित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और दूसरे लागू प्रावधानों, यदि कोई है, और कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियमावली, 2014 (वर्तमान में लागू कोई भी सांविधिक संशोधन(नों) या पुनःअधिनियमन शामिल है) के अनुसार ज्ञानेश पांडे (डीआईएनः 0355957), जिन्होंने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के कार्यालय पत्र O-17034/97/2018- पीएस के अनुसार एचएससीसी के निदेशक का प्रभार 1 फरवरी 2019 से संभाला है, को एतद द्वारा समय समय पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों पर कम्पनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है।"

6. **श्रीमति नंदिता गुप्ता (डीआईएनः 02410865) की कम्पनी के निदेशक बोर्ड में सरकार के नामित निदशक के रूप में नियुक्ति को नियमित करना और यदि उचित हो तो निम्नलिखित प्रस्ताव को अधिसूचना के साथ या उसके बिना एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में पारित करनाः**

"प्रस्तावित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और दूसरे लागू प्रावधानों, यदि कोई है, और कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियमावली, 2014 (वर्तमान में लागू कोई भी सांविधिक संशोधन(नों) या पुनःअधिनियमन शामिल है) के अनुसार श्रीमति नंदिता दास (डीआईएनः 02410865), जिन्होंने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के कार्यालय पत्र O-17034/97/2018-पीएस के अनुसार एचएससीसी के निदेशक का प्रभार 1 फरवरी 2019 से संभाला है, को एतद द्वारा समय समय पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों पर कम्पनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है।"

7. **डॉ. (श्रीमति) विनोद पंथी (डीआईएनः 08523768) की कम्पनी के निदेशक बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति को नियमित करना और यदि उचित हो तो निम्नलिखित प्रस्ताव को अधिसूचना के साथ या उसके बिना एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में पारित करनाः**

"प्रस्तावित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और दूसरे लागू प्रावधानों, यदि कोई है, और कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियमावली, 2014 (वर्तमान में लागू कोई भी सांविधिक संशोधन(नों) या पुनःअधिनियमन शामिल है) के अनुसार डॉ. (श्रीमति) विनोद पंथी (डीआईएनः 02410865), जिन्होंने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के कार्यालय पत्र O-17034/37/2018-पीएस के अनुसार 17 जुलाई 2019 से स्वतंत्र निदेशक का पद भार संभाला है, को एतद द्वारा समय समय पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों पर कम्पनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है।"

निदेशक बोर्ड के आदेशों के द्वारा
एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के लिए
अधोहस्ताक्षरी
सीएस गुप्ता
(सीएफओ)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 7 अगस्त 2019

नोटः

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के प्रावधानों के अनुसार विशेष कारोबार के संबंध में विवरण को यहां पर सलंग्न किया जा रहा है जिसे इस बैठक में किया जाना है:
2. कम्पनी का एक सदस्य जिसे वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने का अधिकार है उसके पास एक प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों को उसकी तरफ से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए नियुक्त करने का अधिकार है। एक प्रतिनिधि को कम्पनी का एक सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिनिधि को प्रभावी होने के लिए बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घण्टे पहले कम्पनी से सम्पर्क करना होगा। (प्रतिनिधि का का प्रपत्र सलंग्न है)

3. एक व्यक्ति पचास (50) से कम सदस्यों की तरफ से प्रतिनिधि बन सकता है और उनके पास मतदान करने के अधिकार के साथ कम्पनी की कुल शेयर पूंजि का दस प्रतिशत (10 प्रतिशत) हिस्सा होना चाहिए। एक सदस्य जिसके पास कम्पनी की कुल शेयर पूंजि का 10 प्रतिशत से अधिक है वह एक व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकता है और इस प्रकार का व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए काम नहीं करेगा।

4. 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक बोर्ड द्वारा 100 रुपये प्रति (अर्थात1,660.33 प्रतिशत की दर पर) के इक्विटी शेयरों के भुगतान किए गए प्रति शेयर पर रुपये 1,660.33 (एक हजार छह सौ साठ रुपये) का लाभांश घोषित किया गया है जो वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन पर निर्भर है।

5. कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर स्थानांतरण पुस्तक मंगलवार, 11 सितम्बर 2019 से मंगलवार, 17 सितम्बर 2019 (दोनों दिवसों को मिलाकर) बंद रहेंगे ताकि इक्विटी शेयरों पर, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, लाभांश के लिए योग्य सदस्यों के नामों का निर्धारण किया जा सके।

6. साथ में दिए गए नोटिस में लिखित सभी दस्तावेज वार्षिक सामान्य बैठक से पहले जांच के लिए सभी कार्य दिवसों में प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक खुले हैं (शनिवार और रविवार को छोड़कर)।

7. बैठक में वार्षिक खातों के बारे मे कोई जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से आग्रह किया जाता है कि वे कृपया एजीएम की तिथि से कम से कम 7 दिन पहले कम्पनी को सूचित करें।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 4

05 अप्रैल, 2019 से आवास मंत्रालय और शहरी मामलों के कार्यालय आदेश संख्या ओ–17034/45/2017–पीएस दिनांक 05 अप्रैल, 2019 को, श्री शिव दास मीणा (डीआईएनः 01881010) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री शिव दास मीणा 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के तमिलनाडु काडर के अधिकारी हैं और सार्वजनिक सेवा में लगभग तीन दशक का अनुभव रखते हैं। वह सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और बाद में उन्होंने जापान से मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की उपाधि प्राप्त की।

नागरिक सेवा में अपने करियर में श्री मीणा ने तामिलनाडु सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षमताओं में सेवा की जिनमें कार्यकारी निदेशक एवं महानिदेशक–चेन्नई महानगर जल आपूर्ति एवं सिवरेज बोर्ड (सीएमडबल्युएसएसबी); कार्यकारी निदेशक– तामिलनाडु बिजली बोर्ड; महानिदेशक–तामिलनाडु चिकित्सा सेवा निगम; कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग में विशेष सचिव, तामिलनाडु के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव; अन्नामलाई विश्वविद्यालय के प्रशासक, आदि के रूप में कार्य करना शामिल है। सीएमडबल्युएसएसबी के महानिदेशक के रूप में, उन्होंने दो समुद्री जल विलवणीकरण संयंत्रों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अन्नामलाई विश्वविद्यालय के प्रशासक के रूप में उन्होंने विश्वविद्यालय में कई प्रशासनिक और शैक्षणिक सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया।

वे अधिनियम की धारा 164 की शर्तों के संबंध में निदेशक के पद पर नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। श्री शिव दास मीणा का विवरण सूचना के लिए 'परिशिष्ट–क' में दिया गया है।

श्री शिवदास मीणा के अलावा कोई भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारी/उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से वित्तीय या अन्यथा इस प्रस्ताव से संबंधित नहीं हैं या रूची नहीं रखते हैं। बोर्ड सूचना के मद संख्या 4 पर निर्धारित साधारण प्रस्ताव की सदस्यों के अनुमोदन के लिए की सिफारिस करता है।

मद संख्या 5

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या ओ–17034/97/2018–पीएस दिनांक 1 फरवरी 2019 अनुसार श्री ज्ञानेश पांडे (डीआईएन 03555957) को 1 फरवरी 2019 से कम्पनी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री ज्ञानेश पांडे के पास सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि है और वे 01 जून 1995 से एचएससीसी के साथ काम कर रहे हैं। उनके पास परियोजना नियोजन और प्रबंधन में उनके पास लगभग 36 वर्ष का अनुभव है। वे 1 जून 2011 से एचएससीसी के बोर्ड के सदस्य रहे हैं और उनके पास कम्पनी के संचालनों का प्रभार रहा है।

वे अधिनियम की धारा 164 की शर्तों के संबंध में निदेशक के पद पर नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। श्री ज्ञानेश पांडे का विवरण सूचना के लिए 'परिशिष्ट–क' में दिया गया है।

श्री ज्ञानेश पांडे के अलावा कोई भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारी/उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से वित्तीय या अन्यथा इस प्रस्ताव से संबंधित नहीं हैं या रूची नहीं रखते हैं। बोर्ड सूचना के मद संख्या 5 पर निर्धारित साधारण प्रस्ताव की सदस्यों के अनुमोदन के लिए की सिफारिस करता है।

मद संख्या 6

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या ओ–17034/97/2018–पीएस दिनांक 1 फरवरी 2019 अनुसार श्रीमति नंदिता गुप्ता (डीआईएन 02410865) को 1 फरवरी 2019 से कम्पनी के सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

वे अधिनियम की धारा 164 की शर्तों के संबंध में निदेशक के पद पर नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। श्रीमति नंदिता गुप्ता का विवरण सूचना के साथ 'परिशिष्ट–क' में दिया गया है।

श्रीमति नंदिता गुप्ता के अलावा कोई भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारी/उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से वित्तीय या अन्यथा इस प्रस्ताव से संबंधित नहीं हैं या रूची नहीं रखते हैं। बोर्ड सूचना के मद संख्या 6 पर निर्धारित साधारण प्रस्ताव की सदस्यों के अनुमोदन के लिए की सिफारिस करता है।

मद संख्या 7

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या ओ–17034/37/2018–पीएस दिनांक 17 जुलाई 2019 अनुसार डॉ. (श्रीमति) विनोद पंथी को 1 अगस्त 2019 से कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

डॉ. (श्रीमति) विनोद पंथी 1 अगस्त 2019 से आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के नॉन–ऑफिशियल स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने जे.एल.एन मेडिकल कॉलिज से अपनी एमबीबीएस पूर्ण की है। डॉ (श्रीमति) विनोद पंथी के पास प्रसूति विज्ञान और स्त्रीरोग चिकित्सा के क्षेत्र में 22 वर्ष का अनुभव है। वर्तमान में वे निजी अभ्यास करती हैं।

डॉ. (श्रीमति) विनोद पंथी का विवरण सूचना के परिशिष्ट–क में दिया गया है।

डॉ. (श्रीमति) विनोद पंथी ने यह घोषणा की है कि वे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 सहित कम्पनीज (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यताएं) नियमावली, 2014 के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक के निर्धारित मानकों को पूरा करती हैं।

डॉ. (श्रीमति) विनोद पंथी के अलावा कोई भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारी/उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से वित्तीय या अन्यथा इस प्रस्ताव से संबंधित नहीं हैं या रूची नहीं रखते हैं। बोर्ड सूचना के मद संख्या 7 पर निर्धारित साधारण प्रस्ताव की सदस्यों के अनुमोदन के लिए की सिफारिस करता है।

निदेशक बोर्ड के आदेशों के द्वारा
एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के लिए
अधोहस्ताक्षरी
सीएस गुप्ता
(सीएफओ)

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 7 अगस्त 2019

सलंग्नक–क

36वीं वार्षिक सामान्य बैठक में नियुक्ति/पुनःनियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का संक्षिपत परिचय

नाम	श्री शिवदास मीणा (DIN 01881010)	श्रीमति नंदिता गुप्ता (DIN 02410865)	श्री ज्ञानेश पांडे (DIN 03555957)	डॉ. (श्रीमति) विनोद पंथी(DIN 08523768)
जन्म तिथि	5 अक्टुबर 1964	19 मई 1974	31 जुलाई 1961	26 दिसम्बर 1966
योग्यता	बी.टेक, मास्टर इन इंटरनैशनल स्टडीज	एमफिल (समाजशास्त्र)	बी.ई. (सिविल)	एमबीबीएस
नियुक्ति की तिथि	5 अप्रैल 2019	1 फरवरी 2019	1 जून 2011	1 अगस्त 2019
अनुभव	30 वर्ष (लगभग)	18 वर्ष (लगभग)	36 वर्ष (लगभग)	22 वर्ष (लगभग)
नियुक्ति के नियम एवं शत	समय समय पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार	समय समय पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार	समय समय पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार	समय समय पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार
बोर्ड में प्रथम नियुक्ति की तिथि	5 अप्रैल 2019	1 फरवरी 2019	1 जून 2011	1 अगस्त 2019
एचएसएससी में शेयरों की संख्या	शून्य	शून्य	6 (छह)	शून्य
अन्य निदेशकों के साथ संबंध और केएमपी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कार्य के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता	श्री शिवदास मीणा तमिलनाडु काडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्री मीणा जिनके पास सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग तीन दसकों को अनुभव है। श्री मीणा मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलिज (अब मालवीय नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी), जयपुर से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। बाद में उन्होंने जापान से अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में स्नातकोत्तर की। अध्यक्ष के रूप में श्री शिव दास मीणा एचएससीसी की विदेश निति और स्ट्रेटजिक निर्णयों की देखरेख करते हैं।	श्रीमति नंदिता गुप्ता ने 1 फरवरी 2019 से कम्पनी में सरकारी निदेशक के रूप में एचएससीसी बोर्ड में पद भार संभाला था। उनके पास सितम्बर 2018 से आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव का पद है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यग्रहण करने से पहले उन्होंने जून 2016 से दिसम्बर 2017 तक धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में और शहरी विकास मंत्रालय में निदेशक एस्टेट के रूप में भी कार्य किया है।	श्री ज्ञानेश पांडे के पास सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि है और वे 01 जून 1995 से एचएससीसी के साथ काम कर रहे हैं। उनके पास परियोजना नियोजन और प्रबंधन में उनके पास लगभग 36 वर्ष का अनुभव है। वे 1 जून 2011 से एचएससीसी के बोर्ड के सदस्य रहे हैं और उनके पास कम्पनी के संचालनों का प्रभार रहा है।	डॉ. (श्रीमति) विनोद पंथी 1 अगस्त 2019 से आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के नॉन–ऑफिशियल स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने जे.एल.एन मेडिकल कॉलिज से अपनी एमबीबीएस पूर्ण की है। डॉ (श्रीमति) विनोद पंथी के पास प्रसूति विज्ञान और स्त्रीरोग चिकित्सा के क्षेत्र में 22 वर्ष का अनुभव है। वर्तमान में वे निजी अभ्यास करती हैं।
अन्य कम्पनियों में निदेशक का पद*	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	हेमिस्फीयर प्रोप्रटीज इंडिया लिमिटेड, द देहली गोल्फ क्लब	शून्य	शून्य
अन्य कम्पनियों में समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता*	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

*केवल सूचिबद्ध कम्पनियों में ऑडिट कमेटी और हिस्सेदार संबंध समीति की की सदस्यता पर विचार किया जाएगा।

एचससीसी की 36वीं वार्षिक सामान्य बैठक

दिनांकः 17 सितम्बर 2019

समयः दोपहर 12.30

स्थानः एनबीसीसी भवन, लोधी रोड़, नई दिल्ली 110003

रूट मैप

निदेशक की रिपोर्ट

प्रिय हिस्सेदार

आपकी कम्पनी के निदेशकों को एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के कार्यों और संचालनों पर 36वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तूत करते हुए खुशी हो रही है और 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों और उन पर भारत के लेखानियंता और महालेखाकार की टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

वित्तीय मुख्य अंश

कम्पनी ने एक अप्रैल 2018 से भारतीय लेखा मानकों को अपनाया है और पिछले वर्ष के आंकड़ों को तदनुसार संशोधित किया है। भारतीय लेखा मानकों के अनुसार वर्ष 2017–18 के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वित्तीय मुख्य अंश इस प्रकार हैं:

(रु. करोड)

विवरण	2018-19	2017-18
कुल आय	2,071.04	1,513.71
कुल व्यय	1,991.55	1,476.52
अपवाद और असामान्य मदों से पहले लाभ	79.49	37.19
अपवाद और असामान्य मद	–	0.14
कर से पहले लाभ	79.49	37.05
कर व्यय (शुद्ध)	29.68	13.47
कर के बाद लाभ	49.81	23.58
लाभांश (2018–19 के लिए प्रस्तावित)	29.89	11.24
शुद्ध लाभ	138.70	102.44
प्रति शेयर आय ;रुपयेद्ध	2,767.21	1,047.82

पूंजी संरचना

कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी 5.00 करोड़ रुपये है। पूरे वर्ष के दौरान कम्पनी की चूकता शेयर पूंजी 1.18 करोड़ रुपये थी।

लाभांश

31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के कार्यप्रदर्शन पर विचार करते हुए निदेशक बोर्ड द्वारा 100 रुपये प्रति (अर्थात1,660.33 प्रतिशत की दर पर) के इक्विटी शेयरों के भुगतान किए गए प्रति शेयर पर रुपये 1,660.33 (एक हजार छह सौ साठ रुपये) का लाभांश घोषित किया गया है जो वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन पर निर्भर है। यह लगातार 35वां वर्ष है जिसमें कम्पनी ने लाभांश की घोषणा/प्रस्ताव किय है।

मंत्रालय/ग्राहक की तरफ से फंड

मंत्रालय/ग्राहकों की तरफ से फंड जिसे चालू सम्पत्ति और चालू देनदारियों के अंतर्गत विभिन्न मदों के अंतर्गत रखा गया है इस प्रकार है:

मंत्रालय/ग्राहकों की तरफ से –	31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
क. चालू सम्पत्तिया	रुपये करोड	रुपये करोड
नकद और नकद के समान	165.32	70.52
अन्य बैंक बैलेंस (स्थायी और अस्थायी जमा)	2,340.16	2,042.40
अन्य सम्पत्तिया	429.74	429.74
कुल	**2,935.22**	**2,935.22**
ख. चालू देनदारियां	रुपये करोड	रुपये करोड
अन्य चालू देनदारियां	**2,935.22**	**2,709.41**

रिजर्व

31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने सामान्य रिजर्व में कोई राशि स्थानांतरित नहीं की।

कार्यप्रदर्शन के मुख्य अंश

आपकी कंपनी ने भौगोलिक और आर्थिक रूप से परिचालन के क्षेत्र में विस्तार को बनाए रखा। संचालन के क्षेत्रों में विस्तार, नवाचार और उत्कृष्टता के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कंपनी की विभिन्न गतिविधियों के प्रदर्शन में उच्च स्तर की तकनीकी विशेषज्ञता और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है।

वर्ष 2018–19 के दौरान, आपकी कंपनी को विभिन्न प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं के लिए डिजाइन और इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन और चिकित्सा उपकरणों की खरीद, दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स आदि के लिए परामर्श सेवा प्रदान करने का कार्य प्राप्त हुआ।

वर्ष 2018–19 के दौरान, आपकी कंपनी ने कुल 2,071.04 करोड़ रुपये का टर्नओवर और 138.70 करोड़ का शुद्ध लाभ हासिल किया है।

निरंतर चल रही प्रमुख परियोजनाओं की एक सूची सलंग्नक–क में दी गई है।

समझौता ज्ञापन

आपकी कम्पनी ने एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के साथ वर्ष 2019–20 के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कम्पनी को वर्ष 2017–18 के लिए डीपीई द्वारा 'गुड' का दर्जा दिया गया है और वर्ष 2018–19 के लिए परिणामों के आधार पर 'वैर गुड' का दर्जा दिया गया है।

स्ट्रैटजिक विनिवेश

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, कंपनी इसी तरह के सीपीएसई के साथ स्टैटजिक विनिवेश की प्रक्रिया में थी। एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (एनबीसीसी) को एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के 100 प्रतिशत स्ट्रैटजिक विनिवेश के लिए खरीदार के रूप में चुना गया है। एनबीसीसी को निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा पत्र जारी किया गया था:

1. प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ–साथ भारत सरकार की मौजूदा 100 प्रतिशत चूकता इक्विटी शेयर पूंजी की बिक्री के लिए एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत 285 करोड़ की मूल्य बोली की स्वीकृति;
2. भारत के राष्ट्रपति की ओर से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को अधिकृत करना, अंतिम शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करना;
3. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को छूट, जो उच्चतर बोलीदाता है, को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अंतर्गत एक सरकारी कम्पनी होने के कारण सिक्युरिटी क्लीयरेंस प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट।

शेयर खरीद समझौते पर 6 नवंबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए हैं। शेयरों के हस्तांतरण से संबंधित अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को भी वित्तीय वर्ष 2018–19 में पूरा कर लिया गया है।

भारतीय लेखा मानक

31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरण तैयार करने और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों को अपनाने के लिए कंपनी ने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट (आईसीएआई) द्वारा निर्धारित भारतीय लेखा मानकों का पालन किया है और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है।

आईएसओ प्रमाणन

आपकी कम्पनी निर्माण, खरीद और सिविल निर्माण परियोजनाओं के प्रबंधन में आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रोद्योगिकी समावेशन और विदेशी विनिमय और निर्यात

आपकी कंपनी ऊर्जा के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूक है और प्राकृतिक प्रकाश, सौर प्रकाश और एलईडी इन्सटॉलेशन के अधिकतम उपयोग की सिफारिस के द्वारा अपने ग्राहकों के साथ परामर्श में इस पहलू का ध्यान रखा जाता है। आपकी कंपनी ने किसी भी प्रोद्योगिकी का आयात नहीं किया है और समीक्षा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा आय या निर्यात का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. करोड़)

	2018-19	2017-18
क. व्यय		
– यात्रा	0.25	0.12
– सी.आई.एफ के आधार पर पूंजी माल का आयात (ग्राहकों की तरफ से)	42.57	75.86
ख. आय	**शून्य**	**शून्य**

कल्याकारी गतिविधियां

ज्ञान आधारित कंपनी होने के नाते एनबीसीसी की वास्तविक शक्ति इसकी मानव शक्ति में निहित है। कंपनी सक्षम पेशेवरों की एक टीम के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए अपने मानव संसाधनों के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष के दौरान, कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त किया गया था कि कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल को लगातार उन्नत किया जाए। 31 मार्च, 2019 तक, कंपनी के पास नियमित

वेतनमान पर 177 कर्मचारियों और निश्चित कार्यकाल के आधार पर 98 कर्मचारियों की श्रम शक्ति थी, जिसमें से 60 एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी के कर्मचारी और 3 पीडबल्युडी श्रेणी से संबंधित कर्मचारी शामिल थे। कर्मचारी प्रबंधन संबंध पूरे वर्ष उत्कृष्ट रहा। वर्ष के दौरान विभिन्न संवर्गों के 23 कर्मचारी एनबीसीसी से संगठन के साथ जुड़ गए हैं।

कल्याकारी गतिविधियां

आपकी कम्पनी निरंतर आयोजन कर रही है, विभिन्न अवसरों पर उत्सव मना रही है, कर्मचारियों और उनके परिवारों को अभिप्रेरित करने के लिए यात्राओं का आयोजन करती है तथा सामाजिक लाभ प्रदान करती है।

राजभाषा को लागू करना और संवर्धन

कंपनी ने वर्ष 2018–19 के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी राजभाषा के प्रयोग को बढाने के संबंध में राजभाषा अधिनियम और नियमावली में भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयास करना जारी रखा। कर्मचारियों को दैनिक काम–काज में हिंदी के अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। सभी मानक प्रपत्र, फाइलें, आदि द्विभाषी हैं। हिंदी में पत्राचार, नोटिंग और आलेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सभी हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जा रहा है। हिंदी के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए, कंपनी ने 10 सितंबर, 2018 से 24 सितंबर, 2018 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया, जिसके दौरान राजभाषा के ज्ञान पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके अलावा, कंपनी गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन टाउन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नोएडा की सदस्य भी है और विभिन्न प्रतियोगिताओं, बैठक, सेमिनार आदि में भी प्रतिनिधित्व करती है।

सतर्कता

कंपनी पीएसयू के समूह सी श्रेणी में एक परामर्श संगठन है जिसके कारण कंपनी में कोई पूर्णकालिक सतर्कता अधिकारी (वीओ) नहीं है। श्री आर.के. अग्रवाल, जीएम – विद्युत सतर्कता अधिकारी (वीओ) के रूप में 14 नवम्बर 2014 से कार्य कर रहे हैं। वर्ष के दौरान, सतर्कता प्रकोष्ठ ने प्रबंधन के एक प्रभावी अनुभाग के रूप में कार्य किया है। वार्षिक रिपोर्ट, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, मासिक रिपोर्ट, निजी विदेशी दौरे, सीटीई के उत्तर जांच संबंधित एजेंसियों को समय पर सौंपे गए। समय–समय पर प्राप्त सीवीसी दिशानिर्देशों का पालन किया गया था और सावधानी और निवारक उपाय के रूप में पालन किया गया था और जांच संबंधी कार्यों को उचित प्रकार से पूरा किया गया था। आगे के सुधारों के लिए मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई और कंपनी के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 29 अक्टूबर, 2018 से 3 नवंबर, 2018 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया और कर्मचारियों के उच्च नैतिक स्तर को बनाए रखने के लिए आपकी कंपनी ने भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। कंपनी के सभी कर्मचारियों को प्रतिज्ञा दिलाई गई। 29 अक्टूबर, 2018 को एक कार्यशाला/संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। हमने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिए गए विषय 'भ्रष्टाचार मिटाओ – एक नए भारत का निर्माण करो' पर व्याख्यान देने के लिए एक प्रतिष्ठित संकाय सदस्य श्री जे. स्वरूप को आमंत्रित किया।

जमा

समीक्षागत वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया और 31 मार्च 2019 को कोई मूल राशि या ब्याज बकाया नहीं है।

ऋण, गारंटी और निवेश

कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई ऋण, गारंटी प्रदान नहीं की है और कोई निवेश नहीं किया है।

सहायक कम्पनियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कम्पनियां

कम्पनी के पास कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त कम्पनी नहीं है। लेकिन अब कम्पनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की सहायक कम्पनी बन गई जिसके 100 प्रतिशत शेयरों को एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने खरीद लिया है।

कर्मचारियों का विवरण

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के सहित कम्पनी कर्मचारी विवरण नियमावली, 1975, समय समय पर संशोधनों सहित, के अनुसार कर्मचारियों के विवरण घोषित करने की जरूरत होती है। कम्पनी के किसी भी कर्मचारी को 1.02 करोड़ रुपये वार्षिक या 8.50 लाख मासिक से अधिक मानदेय प्राप्त नहीं हुआ।

जोखिम प्रबंधन

कम्पनी के कार्यों को प्रभावित कर सकने वाले मुख्य जोखिमों और अनिश्चितताओं को प्रबंधित करने के लिए कम्पनी के पास स्वयं की जोखिम प्रबंधन निति है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उसके व्यवसाय की प्रकृति और संचालन के आकार और जटिलता के अनुरूप हैं। कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है।

लेखापरीक्षा समीति

आपकी कम्पनी ने बोर्ड सदस्यों के साथ ऑडिट कमेटी का गठन किया है। ऑडिट कमेटी की अनुशंसाओं को बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाता है।

मानदेय समीति

कम्पनी ने बोर्ड सदस्यों के साथ मानदेय समीति का गठन किया

औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बनाए रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप हड़ताल या श्रम अशांति के कारण मानव कार्य दिवसों का कोई नुकसान नहीं हुआ।

प्रबंधन चर्चाएं और विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीए) और कॉर्पोरेट प्रशासन

आपकी कंपनी में कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाएं पारदर्शिता, अखंडता, व्यावसायिकता और जवाबदेही पर केंद्रित है। त्रैमासिक रिपोर्ट सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित प्रारूप में है। कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार,

कॉर्पोरेट प्रशासन के बारे में स्थिति को सूचित करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत किया जा रहा है। सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार, एक 'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' और 'कॉरपोरेट प्रशासन रिपोर्ट' को क्रमशः सलंग्नक–1 और 2 में रखा गया है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाए

संबंधित पक्षों के साथ वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी द्वारा किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्था/कारोबार/लेन–देन इसके सामान्य व्यापार में और समीपता के आधार पर थे। मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारियों को दिए गए पारिश्रमिक की घोषणा वार्षिक रिपोर्ट के साथ सलंग्न एमजीटी–9 में किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में संबंधित पार्टी अनुबंधों को फॉर्म एओसी –2 में संलग्न किया गया है और इसे सलंग्नक–3 के रूप में संलग्न किया गया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

वर्ष के दौरान कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि के विरुद्ध 1.34 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 1.21 करोड़ रुपये) खर्च किए हैं, अर्थात कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों का 2 प्रतिशत औसत लाभ । कंपनी के पास सीएसआर निधि खाते में कोई रिजर्व नहीं है। कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के अनुरूप सीएसआर नीति है, जिसे कंपनी की वेबसाइट www-hsccltd-co-in पर देखा जा सकता है और इस रिपोर्ट का प्रपत्र हिस्सा सलंग्नक–5 में देखा जा सकता है।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देशों और नितियों की अनुपालना

समय समय पर डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देश और नितियों का कम्पनी द्वारा स्पष्ट पालन किया जाता है।

आईटी विभाग

- कॉर्पोरेट कार्यालय और इसकी इकाईयों में इंटरनेट कॉनेक्शन लगा दिया गया है।
- कॉर्पोरेट कार्यालय के विभिन्न विभागों को लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) से जोड़ा गया है।
- ई–निविदा गतिविधि।

निदेशक बोर्ड की बैठकों की संख्या

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान बोर्ड ने सात (7) बार बैठकें की और कम्पन ने कम्पनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित समय सीमा के अंदर बोर्ड की बैठकों का आयोजन किया।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बोर्ड की समीतियां

क. ओडिट कमेटी

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के पास बोर्ड स्तर पर कार्य करने की ऑडिट कमेटी है जिसके पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और नियम 6 और कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 6 और 7 तथा कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार शक्तियां और भूमिकाएं हैं।

ख. नामांकन और मानदेय समीति

स्वतंत्र निदेशक डॉ. (श्रीमति) विनोद पंथी की नियुक्ति पर एचएससीसी की नामांकन और मानदेय समीति को 1 अगस्त 2019 को आयोजित बोर्ड की 161 वीं बैठक में पुनर्गठित किया गया था।

ग. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पॉलिसी) नियमावाली, 2014 के प्रावधानों की अनुपालना में सीएसआर कमेटी का गठन किया।

निदेशक बोर्ड

निदेशक की नियुक्ति आदि पर पॉलिसी: एचएससीसी एक सरकारी कंपनी है इसलिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5 जून, 2015 को जारी राजपत्र अधिसूचना के दृष्टिगत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ई) के प्रावधान एचएससीसी पर लागू नहीं होते हैं।

प्रदर्शन मूल्यांकन: एचएससीसी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधान भारत सरकार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 5 जून, 2015 की राजपत्र अधिसूचना के दृष्टिगत लागू नहीं होते हैं। ।

नियुक्ति / पदमुक्ति, आदि।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित नियुक्तियां / पदमुक्तियां हुई:

क्रम संख्या	नाम	पद	विवरण	तिथि
1.	श्री अनूप कुमार मित्तल	अध्यक्ष	नियुक्ति	फरवरी 1, 2019
			पदमुक्ति	मार्च 31, 2019
2.	श्री शिवदास मीणा	अध्यक्ष	नियुक्ति	अप्रैल 5, 2019
3.	श्री ज्ञानेश पांडे	महानिदेशक	नियुक्ति	जुलाई 26, 2012
4.	श्री नवदीप रिनवा	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	पदमुक्ति	अप्रैल 23, 2018
5.	श्री विजय श्रीवास्तव	एसएस एव एफए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	पदमुक्ति	फरवरी 1, 2019
6.	श्री एस.के. जैन	निदेशक (इंजीनियरिंग)	पदमुक्ति	अप्रैल 16, 2018

7.	श्रीमति प्रिति पंत	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	नियुक्ति	अप्रैल 23, 2018
			पदमुक्ति	फरवरी 1, 2019
8.	श्रीमति नंदिता गुप्ता	सरकार द्वारा नामित	नियुक्ति	फरवरी 1, 2019
9.	डॉ. (श्रीमति) विनोद पंथी	स्वतंत्र निदेशक	नियुक्ति	अगस्त 1, 2019

चूंकि कम्पनी एक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी है इसलिए निदेशकों की सभी नियुक्तियां प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रति द्वारा की जाती हैं।

प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों का विवरण

- श्री ज्ञानेश पांडे, महानिदेशक

स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

कम्पनी के स्वतंत्र निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(6) और इसके अंतर्गत नियमों के अनुसार स्वतंत्रता की घोषणा की है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशक इसके अंतर्गत निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तूत करते हैं:

- 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के वार्षिक खातों की तैयारी में, अधिनियम की अनुसूची 3 सहित अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं के साथ लागू भारतीय लेखा मानकों का पालन किया गया है और उससे अलग कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय दिए हैं और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च, 2019 तक कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तूत किया जा सके।
- निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;
- निदेशकों ने वार्षिक खातों को एक सुनाम प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किया है;
- निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित किया है और इस तरह के आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से चल रहे हैं
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणाली पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालित हो रही है।

निदेशकों का प्रशिक्षण

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी होने के कारण एनबीसीसी (होल्डिंग कम्पनी) में निदेशकों के प्रशिक्षण के लिए अपनाई गई पॉलिसी एचएससीसी पर तब तक लागू होती है जब तक कि यह निदेशकों के प्रशिक्षण पर स्वयं की पॉलिसी को नहीं अपनाती।

हिन्दी का प्रगतिशील प्रयोग

आपकी कंपनी ने कर्मचारियों को अपने दिन–प्रतिदिन के कामकाज में हिंदी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना जारी रखा। कंपनी राज भाषा नीति और राजभाषा विभाग, भारत सरकार और गृह मंत्रालय के कार्यक्रम को लागू कर रही है।

आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स प्रेम गुप्ता एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को वित्त वर्ष 2018–19 के लिए आंतरिक सह समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसमें कन्चर्जन सहित 2.40 लाख रुपये से अधिक कर शामिल हैं। यह उनकी नियुक्ति का पहला वर्ष है।

लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

आंतरिक ऑडिटर

मेसर्स एम.एल. पुरी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को वित्त वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी के सांविधिक ऑडिटर के रूप में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा नियुक्त किया गया है। कंपनी द्वारा उनके लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए निर्धारित पारिश्रमिक लागू करों सहित 12,00,000/– (रुपए बारह लाख केवल) है। यह उनकी नियुक्ति का पहला वर्ष है।

सचिवीय ऑडिट

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी के सचिवीय ऑडिट का व्यवहारिक संचालन करने के लिए मेसर्स परवीन रस्तोगी एंड कंपनी को नियुक्त किया है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट सलंग्नक–5 में दी गई है।

लागत ऑडिट

कम्पनी (लागत लेखा और ऑडिट) नियमावली, 2014 के अनुसार लागत लेखांकन रिकॉर्ड आपकी कम्पनी पर लागू नहीं हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2014 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के लेखानियंता और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के साथ साथ धारा 129 (4) के अंतर्गत पूरक ऑडिट करने के बाद भारत के लेखानियंत्रा और महालेखापरीक्षक ने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर 'शून्य' टिप्पणी की है। राजकोष के लिए कम्पनी के खातों को इस रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में दिया गया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, प्रतिबंध और निवारण

कंपनी को बोर्ड की बैठक में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण पर एक नीति का निर्माण का अनुमोदन प्रस्तावित है। हालांकि, वर्ष 2018–19 के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली।

वार्षिक रिटर्न का निष्कर्श

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92 के अंतर्गत प्रपत्र संख्या एमजीटी–9 में वार्षिक रिपोर्ट का निष्कर्ष वार्षिक रिपोर्ट की सलंग्नक–6 में दिया गया है।

सामान्य

एत्द द्वारा निदेशक घोषणा करते हैं कि निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई उद्घोषणा या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समीक्षागत वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई लेनदेन नहीं हुआः

1. इस रिपोर्ट के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद और इस रिपोर्ट की तिथि तक किसी भी भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धता ने कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित नहीं किया।
2. कर्मचारियों के लिए ईएसओएस के अंतर्गत शेयरों का कोई इश्यू नहीं था।
3. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है।
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान 5 जून, 2015 के मंत्रालय के कॉर्पोरेट मामलों की अधिसूचना सरकारी कंपनी होने के कारण एचएससीसी पर लागू नहीं हैं।
5. कंपनी समय–समय पर आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानकों की अनुपालना करती है।

आभार

निदेशक आवास और शहरी विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों और सरकारी विभागों से प्राप्त निरंतर सहायता, सहयोग, सक्रिय समर्थन और मार्गदर्शन की गहराई से सराहना करते हैं और स्वीकार करते हैं। हम अपने सम्मानित ग्राहकों के लिए कंपनी की क्षमता और पेशेवर क्षमता में उनके विश्वास को दोहराने के लिए भी आभारी हैं।

निदेशक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑडिट बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों, सांविधिक लेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक और उनके मूल्यवान सहयोग के लिए कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रति भी आभारी हैं।

निदेशकों को निरंतर बैंकरों, और बहुत से अन्य संगठनों और लोगों का समर्थन भी प्राप्त हुआ है जिसके लिए वे उनकी सराहना करते हैं।

सभी स्तरों पर कम्पनी की निरंतर वृद्धि और उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने के लिए भी निदेशक कर्मचारियों के अनथक प्रयासों के लिए भी उनकी सराहना करते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
एचएससीसी (इंडिया) के लिए

अधोहस्ताक्षरी
ज्ञानेश पांडे
महानिदेशक
डीआईएन 03555957

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 07 अगस्त 2019

सलंग्नक –क

वर्तमान में चल रही परामर्श परियोजनाओं का सरांश

क. आर्किटेक्चर संबंधी योजना, डिजाइन इंजीनियरिंग एवं परियोजना सेवाएं

एम्स कल्याणी फेज 1

- स्वास्थ्य एवं जीवन गुणवत्ता मंत्रालय, मॉरिशश गणराज्य के लिए ईएनटी अस्पताल
- स्वास्थ्य एवं जीवन गुणवत्ता मंत्रालय, मॉरिशश गणराज्य के लिए कैंसर अस्पताल
- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, चंद्रपुर – महाराष्ट्र
- पीजीआई चण्डीगढ़ में एडवांस्ड न्यूरो साइंस सेंटर
- नागपुर (महाराष्ट्र), कल्याणी (पश्चिमी बंगाल), गुंटुर (आंध्र प्रदेश) एवं रायबरेली (यूपी) में नए एम्स
- बंगलोर में एनआईएमएचएएनएस के लिए मनोरोग विज्ञान ब्लॉक और सामान्रू लैबोरेट्री कॉम्पलेक्स
- सिलिगुड़ी में ईएसआईसी के लिए 100 बेड का अस्पताल

एम्स नागपुर ओपीडी

मॉरिशश में ईएनटी अस्पताल

- एम्स–नई दिल्ली
  - बर्न एवं प्लस्टिक वार्ड
  - वृद्ध ब्लॉक
  - नया पेड वार्ड
  - मां एवं शिशु ब्लॉक
  - नया ओपीडी ब्लॉक
- पीजीआईएमईआर, डॉ. आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली के लिए रिहायसी डॉक्टरों के लिए होस्टल
- संगुरूर में पीजीआई चण्डीगढ़ की सेटेलाइट युनिट (ओपीडी और मुख्य कार्य)

एम्स गुंटुर ओपीडी

एम्स रायबरेली में टीचिंग ब्लॉक

एम्स कल्याणी फेज 2

एम्स कल्याणी फेज 3

- पीएमएएएसवाई अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट फेज 3
  - बुरला
  - डिबरुगढ़
  - गुवाहटी
  - शिमला
  - इलाहबाद
  - पणजी (गोआ)
  - दर्जलिंग
- मिजोरम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च फल्कान, मिजोरम
- लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलिज एवं सहयोगी अस्पताल नई दिल्ली का पुनर्विकास

वर्तमान में चल रही परामर्श परियोजनाओं का सारांश

ख. खरीद प्रबंधन सेवाएं

- सुपर स्पेशियल्टी और आपातकालीन ब्लॉक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली
- कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, करनाल, हरियाणा के लिए चिकित्सा उपकरण।
- एम्स, राय बरेली, यूपी के लिए चिकित्सा महाविद्यालय के लिए चिकित्सा उपकरण।
- ईएनटी एवं कैंसर अस्पताल, मॉरिशश गणराज्य के लिए चिकित्सा उपकरण।
- सीएनसीआई–कोलकाता के लिए चिकित्सा उपकरण।
- लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलिज, नई दिल्ली के लिए चिकित्सा उपकरण
- पाली में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के लिए चिकित्सा उपकरण

AIIMS Guntur Hostel Block

प्रबंधन चर्चा और विश्लेशण रिपोर्ट

उद्योग संरचना और विकास

एचएससीसी(इंडिया) लिमिटेड आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की भारत सरकार की उद्यम और सहायक कंपनी है, जो मार्च 1983 में स्थापित की गई थी। 8,259 रुपये प्रति की दर पर 100 रुपये प्रति के इक्विटी शेयर (कुल बाई बैक मूल्य – 4,955.73 लाख रुपये) की पुनःखरीद के बाद कम्पनी की शेयर पूंजी 180 लाख रुपये है और शुद्ध मूल्य 13,870.20 लाख रुपये है। शुरूआत से कम्पनी का कुल व्यापार सरकार या अन्य स्रोतों से बिना किसी उधार के व्यवस्थित किया गया है। सितम्बर 1999 में एचएससीसी को 'मिनी रत्न' कम्पनी घोषित किया गया है और इसने दिसम्बर 2015 में 'मिनी रत्न श्रेणी 1' का दर्जा प्राप्त किया।

पिछले वर्ष के दौरान कंपनी का पूरा हिस्सा एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा डीआईपीएएम के विकल्प के विनिवेश के तहत 285 करोड़ रुपये में खरीदा गया था।

कम्पनी अस्पताल नियोजन, डिजाइन, विस्तार इंजीनियरिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, परियोजना प्रबंधन और निगरानी के साथ साथ आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों व विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चिकित्सा उपकरणों की खरीद, आपूर्ति, स्थापना और अधिग्रहण की परियोजनाओं में कार्यरत है।

एचएससीसी ने परियोजनाओं के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है, जो ग्राहक के विशिष्ट, लागत प्रभावी और नवीन समाधानों को विकसित करने के लिए सबसे अच्छा संयोजन प्रदान करने के लिए अपनी विशेषज्ञता को प्रदान करता है। एचएससीसी ने न केवल भारत में बल्कि कई देशों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेजों, प्रयोगशालाओं आदि सहित प्रमुख स्वास्थ्य परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। कंपनी ने अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन, अस्पताल कम्प्यूटरीकरण, स्वास्थ्य संबंधी प्रबंधन अध्ययन और प्रशिक्षण और भर्ती आदि के क्षेत्रों में भी अपनी गतिविधियों में विभिन्नता उत्पन्न की है।

एचएससीसी स्वास्थ्य परामर्श के क्षेत्र में अग्रणी संगठन के रूप में विकसित हुआ है। कंपनी वर्तमान में पूरे भारत में काम कर रही है, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र में कारोबार में वृद्धि हुई है।

शक्तियाँ:

- शुरू से ही ऋण मुक्त और लाभ कमाने वाली कंपनी
- भारत सरकार का सहयोग और समर्थन
- एक छत के नीचे परामर्श सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला
- बहु–पक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषित परियोजनाओं को संभालने का व्यापक अनुभव
- जटिल और बड़ी परियोजनाओं को संभालने की क्षमता के साथ मजबूत परियोजना अनुभव
- गुणवत्ता और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के माध्यम से संगठन का प्रदर्शन
- योग्य और प्रतिबद्ध तथा स्वस्थ कार्य बल

कमजोरियां

- निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन
- संघर्षण को खत्म करने की अयोग्यता
- अधिकतर व्यापार सार्वजनिक क्षेत्रत्र में ग्राहकों से उत्पन्न होता है
- राजस्व प्रतिमान एक बार परियोजनाओं पर आधारित है न कि निरंतर आय या सुनिश्चित व्यापार को उत्पन्न करने वाली दोहराव वाली सेवाओं पर
- विशिष्ट विक्रेताओं/एजेंसियों की सीमित संख्या

अवसरः

- देश अस्पतालों, बेड, डॉक्टरों, नर्सों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या के मामले में पीछे है
- मौजूदा अस्पतालों का पुनर्विकास और उन्नयन
- सार्क देशों में व्यापार का विस्तार
- अन्य भवन इंजीनियरिंग और रखरखाव सेवाओं में विविधता की गुंजाइश।
- स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढाँचे की माँग (सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में)
- अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में गतिविधियों के आउटसोर्सिंग के लिए अवसर प्रदान करना
- बुनियादी ढांचा विकास गतिविधियों की तरह बुनियादी वास्तुकला, डिजाइन, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन और खरीद कौशल का विकास

खतरेः

- लंबे समय तक कारोबार/पूर्वोत्तर की ओर जा रही व्यवसायिक परियोजनाएं जो लंबे समय तक टर्नओवर का प्रसार करती हैं।
- निजी क्षेत्र के उन्नत संचालन के मद्देनजर अनुभवी कर्मियों की कमी।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की नीति का अपने सार्वजनिक उपक्रमों की सहायता की बजाय परामर्श सेवाओं के वैकल्पिक स्रोत के रूप में निजी क्षेत्र को आमंत्रित करना।
- एक बड़ी संख्या में निजी सेक्टर और सरकारी क्षेत्र के प्रतियोगियों के साथ विभाजित मार्केट
- निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिस्पर्धियों का अत्यधिक कम शुल्क
- बुनियादी ढाँचे की वजह से अनुभव प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की बड़ी संख्या के कारण बुनियादी डी एंड ई कौशल का वर्चस्व बढ़ाना
- भूमि की अनुपलब्धता परियोजनाओं में ठहराव का कारण बनती है, कारण नियंत्रण से परे हैं।
- खरीद परियोजनाओं के लिए शुल्क में कमी और माइक्रो लघु एसाइनमेंट की कमी जिसके कारण माइक्रो लघु एसाइनमेंट्स में बिजनेस की हानि होती है।

दृष्टिकोण:

एचएससीसी स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्रों में एक बहु–अनुशासनात्मक प्रसिद्ध परामर्श और खरीद प्रबंधन सेवा संगठन है। इसका सेवा स्पेक्ट्रम सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक चिकित्सा सेवा क्षेत्रों के में व्यवहार्यता अध्ययन, डिजाइन इंजीनियरिंग, विस्तृत निविदा प्रलेखन, निर्माण पर्यवेक्षण, व्यापक परियोजना प्रबंधन, खरीद समर्थन सेवाओं को शामिल करता है। इसके महत्वपूर्ण ग्राहकों में निम्नलिखित शामिल हैं।

- आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और इसके अस्पताल/संस्थान
- विदेश मंत्रालय और अन्य मंत्रालय
- राज्य सरकारें और उनके अस्पताल/संस्थान
- पीएसयू/अन्य संस्थान
- मॉरिशस सरकार

विश्वस्तरीय परामर्श संगठन के रूप में विकसित होने के लिए, भवन इंजीनियरिंग और रखरखाव सेवाओं और कंपनी के क्लाइंट बेस जैसे संचालनों में विविधता लाने और विस्तार करने पर जोर दिया जा रहा है।

जोखिम और चिंताएं

कंपनी के लिए मुख्य जोखिम और चिंता का क्षेत्र संबंधित मंत्रालय से खरीद कार्य में कमी और वर्तमान परिदृश्य में कुछ नागरिक कार्यों में निरंतर/कम परामर्श शुल्क है।

आईटी संबंधी प्रोत्साहन

- कॉर्पोरेट कार्यालय और इकाइयों में इंटरनेट कनेक्शन स्थापित किया गया है।
- कॉर्पोरेट कार्यालय में विभिन्न विभागों को लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) के माध्यम से जोड़ा गया है।
- ई–टेंडर गतिविधि।

संचालन कार्यप्रदर्शन के संबंध में वित्तीय कार्यप्रदर्शन पर चर्चा

पिछले वर्ष के 1,513.71 करोड़ रूपये और 10.19 करोड़ रूपये की तुलना में कंपनी की कुल आय 2,071.04 करोड़ रुपये थी जिसमें ब्याज और अन्य आय 21.67 करोड़ रुपये थी। कर से पहले कंपनी का लाभ पिछले वर्ष के 37.05 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष के दौरान 79.49 करोड़ रुपये था।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान अर्जित कुल आय के संबंध में पिछले वर्ष की तुलना में परिचालन की लागत में 1.38 प्रतिशत की कमी आई है। संचालन लागत में कमी मुख्य रूप से प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के लिए सुधार में कमी के कारण हुई।

खण्ड रिपोर्टिंग

भारतीय लेखा मानकों एएस–108 में दिए गए निर्देशक सिद्धांत "खण्ड रिपोर्टिंग" के आधार पर कम्पनी के व्यापार खण्ड में निर्माण गतिविधि, परामर्श, उपकरणों और दवाओं आदि की आपूर्ति शामिल है। इसलिए इसके सभी कार्य

भारतीय लेखा मानक एएस– 108 "खण्ड रिपोर्टिंग"के अर्थ के एकल खण्ड के अंतर्गत आते हैं।

चूंकि कम्पनी की गतिविधियां मूख्य रूप से देश के अंदर हैं और इसके उत्पादों/सेवाओं की प्रकृति को देखते हुए संचालन जोखिम और रिटर्न समान हैं और इस प्रकार केवल एक ही खण्ड है।

आंतरिक नियंत्रण तंत्र और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के पास अपने व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आंतरिक नियंत्रण की एक कुशल प्रणाली है, जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता और शीघ्रता शामिल है। संचालन की क्षमता, निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन और कानून और नियमों का अनुपालन।

आंतरिक ऑडिट कार्य में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम और आंतरिक नियंत्रण में पारदर्शिता पर जोर देते हुए, कंपनी का आंतरिक ऑडिट चार्टर्ड एकाउंटेंट की बाहरी फर्मों को सौंपा जाता है। आंतरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट समय–समय पर सुधारात्मक कार्यवाही के लिए प्रबंधन को प्रस्तुत की जाती है।

मानव संसाधनों का विकास

एचएससीसी ज्ञान आधारित कंपनी है, जिसके कारण इसकी वास्तविक ताकत इसकी जनशक्ति में निहित है। 31 मार्च, 2018 को कंपनी की जनशक्ति नियमित वेतनमान पर 184 और नियत कार्यकाल के आधार पर 134 थी। कर्मचारी प्रबंधन का संबंध पूरे वर्ष उत्कृष्ट रहा। बदलती बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप, एचएससीसी कर्मचारियों के ज्ञान और कौशलों को लगातार उन्नत किया जाता है। वर्ष के दौरान कंपनी के कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त किया गया था, ताकि कंपनी के संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कौशल को विकसित किया जा सके। कंपनी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए विभिन्न सामाजिक लाभ प्रदान करके कर्मचारियों को निरंतर प्रेरित करती है।

आचार संहिता

कम्पनी के बोर्ड ने कम्पनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता का निर्माण किया है जिसे ई–मेल के माध्यम से और हार्ड कॉपी के माध्यम से सभी संबंधित कार्यकारियों के पास भेजा गया है। बोर्ड के सभी सदस्यों और निर्धारित वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों ने आचार संहिता की अनुपालना करना सुनिश्चित किया है।

सरकारी उपक्रम विभाग को वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करना

कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में वार्षिक रिपोर्ट को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के पास भेजा जा रहा है जिसमें कॉर्पोरेट प्रशासन के बारे में जानकारी दी जाती है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और चिरस्थाय

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और अनुसूची 7 के अनुसार कम्पनी ने वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 84.16 लाख (चौरासी लाख और सोलह हजार रूपये मात्र) का योगदान "स्वच्छ कुम्भ कोश" में किया जिसे प्रयागराज मेले में सफाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और 50.00 लाख (पचास लाख रुपये मात्र) का योगदान एम्स को "गौचर बीमारी" के उपचार से संबंधित रोगियों के लिए एम्स को दिया।

कार्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट

I. कम्पनी का दर्शन

एक अच्छी कार्पोरेट प्रशासन निति वह होती है जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी का नियंत्रित होती है जो प्रबंधन को पारदर्शी, नैतिक, जिम्मेदार और ईमानदार बनाती है जिसके परिणामस्वरूप शेयरधारकों के मूल्य में बढोतरी होती है। प्रबंधन संबंधित विशिष्ट मामलों की एक विस्तृत घोषणा करता है।

II. निदेशक बोर्ड

1. श्रेणी और दूसरी कम्पनियों में निर्देशन सहित निदेशक बोर्ड की संरचना

31 मार्च 2019 को कम्पनी के निदेशक बोर्ड का विवरण नीचे दिया गया है

निदेशक	पूर्णकालिक / अंशकालिक	अन्य कम्पनियों के बोर्ड के सदस्य
श्री शिवदास मीणा	अध्यक्ष	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
श्री ज्ञानेश पांडे	पूर्ण–कालिक महानिदेशक	शून्य
श्रीमति नंदिता गुप्ता*	नामित निदेशक	धर्मशाला स्मार्ट सिटी
डॉ. (श्रीमति) विनोद पंथी**	गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक	शून्य

#श्री एस.के. जैन, निदेशक (इंजी.) को 16 अप्रैल 2018 को उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद कार्यभार मुक्त किया गया।

#श्री नवदीप रिनवा– संयुक्त सचिव 23 अप्रैल 2018 से सेवानिवृत हो गए, और सुश्री प्रिती पंत, संयुक्त सचिव को उनके स्थान पर निदेशक बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में मनोनित किया गया है, जिनका कार्यकाल भी 01 फरवरी 2019 को समाप्त हो गया था।

*श्रीमती नंदिता गुप्ता ने एचएससीसी के सरकार द्वारा नामित निदेशक का कार्यभार 1 फरवरी 2019 से ग्रहण किया है।

**डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी ने एचएससीसी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में 1 अगस्त 2019 से कार्यभार संभाल लिया है।

बोर्ड में किसी भी निदेशक के दस से अधिक कम्पनियों में निदेशक का पद नहीं है। इसके अलावा उनमें से कोई भी उन सभी सरकारी कम्पनियों में दस से अधिक समीतियों में सदस्य नहीं है या पांच से अधिक समीतियों के अध्यक्ष नहीं हैं जिनमें वे निदेशक हैं। 31 मार्च 2019 को अन्य सार्वजनिक कम्पनियों में समीति के निदेशकों के संबंध में अनिवार्य घोषणाएं निदेशकों द्वारा की गई हैं। कोई भी निदेशक आपस में एक दूसरे संबंधित नहीं है।

2. कार्यकाल

अध्यक्ष और महानिदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है।

अध्यक्ष और महानिदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों को प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के

लिए या पदग्राही की सेवानिवृति पर नियुक्त किया जाता है, या भारत सरकार के आगे के आदेशों के अनुसार नियुक्त किया जाता है, जो भी पहले हो।

स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी नामित निदेशक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से सेवानिवृत होने पर बोर्ड से सेवानिवृत्त होते हैं या भारत सरकार के अगले आदेश तक सेवानिवृत होते हैं।

3. निदेशकों का चयन

एचसीसी एक सरकारी कंपनी है, इसके सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान,एचएससीसी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के आदेश संख्या O-17034/37/2019-PS दिनांक 17 जुलाई, 2019 को डॉ। (श्रीमती) विनोद पंथी को एचएससीसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित किया गया। डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी 36 वीं वार्षिक आम बैठक तब तक पद पर रहने के योग्य हैं जब तक कि उनकी पुनरूनियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं की जाती।

4. बोर्ड के सदस्यों के लिए परिचय कार्यक्रम

एचएससीसीके बोर्ड में शामिल सभी निदेशकों को कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन और अधिकारियों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों के माध्यम से कंपनी में शामिल किया गया था। वे आवश्यक दस्तावेजों/ब्रोशर, कंपनी की आंतरिक नीतियों के साथ इंडक्शन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में उपस्थिति हुए थे।

इसके अलावा, निदेशकों को कंपनी के प्रति उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझने के लिए विभिन्न वैधानिक निकायों से लागू कानूनों से समय–समय पर परिचित कराया जाता है।

5. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कंपनी के स्वतंत्र निदेशक कंपनी के मामलों से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए कार्यकारी, सरकारी निदेशकों या प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना साल में कम से कम एक बार बैठक करते हैं। वे कंपनी के प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का भी आकलन करते हैं जो बोर्ड को प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक है।

हालांकि, वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, चूंकि कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, इसलिए ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

6. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री ज्ञानेश पांडे, प्रबंध निदेशक वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) हैं।

7. बोर्ड की बैठक

अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के दौरान निदेशक मंडल की सात बैठकें (153 वीं से 159 वीं) 12 जून, 19 सितंबर, 27 सितंबर, 2018, 08 फरवरी, 26 फरवरी, 20 मार्च और 27 मार्च, 2019 को आयोजित की गई।

बैठकें और उपस्थिति

निदेशक	उनके कार्यकाल में बोर्ड की बैठकों की संख्या	उपस्थित हुए	अंतिम वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित हुए
श्री ज्ञानेश पांडे	7	7	हां
श्रीमती विजया श्रीवास्तव	3	3	नहीं
श्री नवदीप रिया	0	0	हां
श्री एस.के. जैन	0	0	हां
श्री अनूप कुमार मित्तल	4	4	लागू नहीं है
श्रीमती नंदिता गुप्ता	4	4	लागू नहीं है
श्री प्रिति पंत	3	2	लागू नहीं है

8. निदशकों का शेयरधारिता प्रचलन

31 मार्च 2019 को धारित की गई कुल इक्विटी शेयर पूंजी 1,80,01,400 रुपये है (100 रुपये प्रति के 1,80,014 इक्विटी शेयर)

निदेशक	एचएससीसी के शेयरों की संख्या
श्री ज्ञानेश पांडे, महानिदेशक	6
श्री शिवदास मीणा	शून्य
श्रीमति नंदिता गुप्ता	शून्य
डॉ. (श्रीमति) विनोद पंथी	शून्य

9. अनुपालना

एजेंडा तैयार करते समय, कम्पनीज अधिनियम, 2013 सहित अन्य लागू काननों, नियमों और विनियमों की अनुपालना में एजेंडा पर टिप्पणियां और बैठक के मुख्य अंश। भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों को भी सुनिश्चित किया गया

iii. सामान्य निकाय की बैठक

1. सामान्य वार्षिक बैठक

अंतिम तीन सामान्य वार्षिक बैठके इस प्रकार थीः–

वित्तीय वर्ष	तिथि	समय	लोकेशन
2018–19	31 दिसम्बर 2018	03:00 P.M	एनबीसीसी भवन, लोधी रोड़, नई दिल्ली
2017–18	13 दिसम्बर 2017	05.00 P.M.	कमेटी रूम नं. 249, ए विंग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का दूसरा तल, निर्माण भवन, नई दिल्ली
2016–17	29 नवम्बर 2016	12.00 P.M.	कमेटी रूम नं. 155, ए विंग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला तल, निर्माण भवन, नई दिल्ली

2. विशेष सामान्य बैठक

वित्त वर्ष	दिनांक	समय	लोकेशन
2019–19	27 मार्च 2019	11:30 A.M	एनबीसीसी भवन, लोधी रोड़, नई दिल्ली

3. डाक मतपत्र

आने वाले सामान्य वार्षिक बैठक में किसी भी प्रस्तावित कार्य के लिए डाक मतपत्र की आवश्यकता नहीं है।

IV. निदशकों की बोर्ड स्तर की समीतियां

क. ऑडिट कमेटी

डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के बाद, एचएससीसी की ऑडिट कमेटी को 1 अगस्त, 2019 को आयोजित 161 वीं बोर्ड बैठक में पुनर्गठित किया गया था। ऑडिट कमेटी की संशोधित रचना इस प्रकार है:

1. डॉ (श्रीमती) विनोद पंथी (अध्यक्ष)
2. श्रीमती नंदिता गुप्ता (सदस्य)
3. श्री ज्ञानेश पांडे (सदस्य)

अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के दौरान, 28 जून, 2018, 19 सितंबर, 2018, 27 सितंबर, 2018 को ऑडिट कमेटी की की तीन बैठकें (18 वीं से 20 वीं) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

सुश्री प्रीति पंत, जेएस, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, को श्री नवदीप रिनवा, जेएस, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्थान पर 23 अप्रैल, 2018 एक एक पत्र के माध्यम से नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, श्री एस.के. जैन, निदेशक (इंजी.) को 16 अप्रैल, 2018 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर कार्यभार मुक्त किया गया है। 12 जून, 2018 को आयोजित 153 वीं बोर्ड बैठक में ऑडिट समिति का पुनर्गठन किया गया, 26 फरवरी, 2019 को आयोजित 157 वीं बोर्ड बैठक में फिर से पुनर्गठित किया गया और 24 मई 2019 को आयोजित 160 वीं बोर्ड बैठक में फिर से इसका पुनर्गठन किया गया।

बैठकें और उपस्थिति

सदस्य	उनके संबंधित कार्यकाल में ऑडिट कमेटियों की बैठकों की संख्या	उपस्थिति
श्री ज्ञानेश पांडे	3	3
श्रीमति प्रिति पंत	3	2
श्रीमति विजया श्रीवास्तव	3	3

ख. कोर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समीति

डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के बाद एचएससीसी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति को 1 अगस्त, 2019 को आयोजित 161 वीं बोर्ड बैठक में पुनर्गठित किया गया था। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति की संशोधित रचना इस प्रकार है:

1. श्रीमती नंदिता गुप्ता (अध्यक्ष)
2. डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी (सदस्य)
3. श्री ज्ञानेश पांडे (सदस्य)

अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के दौरान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली में 27 सितंबर, 2018 को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति की एक बैठक (7 वीं) आयोजित की गई।

23 अप्रैल, 2018 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्र के माध्यम से श्री नवदीप रिनवा के स्थान पर सुश्री प्रीति पंत, जेएस, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, को नियुक्त किया गया। इसके अलावा, श्री एस.के. जैन, निदेशक (इंजी.) को 16 अप्रैल, 2018 को अपना कार्यकाल पूरा होने के कारण कार्यभार मुक्त किया गया। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का पुनर्गठन 12 जून, 2018 को आयोजित बोर्ड की 153 वीं बैठक में किया गया था, जिसे 26 फरवरी 2019 को आयोजित 157 वीं बोर्ड बैठक में फिर से पुनर्गठित किया गया था। इसके बाद 24 मई 2019 को आयोजित 160 वीं बोर्ड बैठक में इसे आगे पुनर्गठित किया गया।

बैठकें और उपस्थिति

सदस्य	उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित सीएसआर की बैठकों की संख्या	उपस्थिति
श्रीमति विजया श्रीवास्तव	1	1
श्रीमति प्रिति पंत	1	1

ग. नामांकन और मानदेय समीति

डॉ. (श्रीमति) विनोद पंथी, स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति पर एचएससीसी की नामांकन और मानदेय समीति का पुनर्गठन 1 अगस्त2019 को आयोजित बोर्ड की 161वीं बैठक में पुनर्गठित किया गया था। नामांकन और मानदेय समीति की संशोधित संरचना इस प्रकार है:

1. डॉ. (श्रीमति) विनोद पंथी (अध्यक्ष)
2. श्रीमति नंदिता गुप्ता (सदस्य)
3. श्री ज्ञानेश पांडे (सदस्य)

अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के दौरान नामांकन और मानदेय समीति की कोई बैठक नहीं हुई।

सुश्री प्रीति पंत, जेएस, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को श्री नवदीप रिनवा, जेएस, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 23 अप्रैल 2018 के पत्र के माध्यम से नियुक्त किया गया है। 12 जून 2018 को होने वाली बोर्ड की 153वीं बैठक में मानदेय समीति को पुनर्गठित किया गया।

निदेशकों का मानदेय

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, सीएमडी सहित कार्यकारी निदेशकों को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमान के अनुसार सरकार द्वारा और शर्तों के अनुसार वेतनमान दिया जाता है। सरकार द्वारा जारी उनकी नियुक्ति/अनुबंध की शर्तें उन पर लागू होती हैं। प्रदर्शन संबंधी वेतन सहित भत्ते और अनुलाभ कंपनी नियमों के अनुसार दिए जा रहे हैं।

बोर्ड में अंशकालिक आधार पर नियुक्त निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के लिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं, बल्कि सरकारी अधिकारी के रूप में सरकार से अपना वेतन लेते हैं।

कंपनी के अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक भी कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं, बोर्ड के निदेशक की स्वीकृति के अनुसार उन्हें केवल अप्रैल 2015 से 5,000/– रुपये प्रति बैठक के हिसाब से भुगतान किया गया था।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने गैर–आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों को किसी भी बैठके लिए फीस का भुगतान नहीं किया है।

V. सम्प्रेशण माध्यम

कंपनी अपने शेयरधारकों को अपनी वेबसाइट के माध्यम से अपनी वार्षिक रिपोर्ट, सामान्य बैठकों और घोषणओं की जानकारी देती है।

क. वार्षिक रिपोर्ट: वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी के निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण शामिल होते हैं। प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है और कंपनी की वेबसाइट पर दिखाई देती है।

ख. वेबसाइट: कंपनी की वेबसाइट www.hsccltd.co.in एचएससीसी के प्रबंधन, दृष्टि, मिशन, नीतियों, कॉर्पोरेट प्रशासन, कॉर्पोरेट चिरस्थायीत्व, निवेशक संबंध, अपडेट और समाचार पर एक व्यापक संदर्भ प्रस्तूत करती है।

ग. कंपनी की वेबसाइट पर घटना के आधार पर समाचारों को प्रकाशित किया जाता है।

VI. शेयरधारकों के लिए सामान्य निर्देश

क.	कम्पनी की रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट	CIN-U74140DL1983GOI015459
ख.	36वीं वार्षिक सामान्य बैठक: दिनांक, समय और स्थान	मंगलवार, 17 सितम्बर 2019 को सांय 12.20 बजे, एनबीसीसी भवन, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003
ग.	वित्त वर्ष	1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019
घ.	2019–20 के लिए वित्तीय कैलेंडर 30 जून 2019 को समाप्त होने वाले क्वार्टर के परिणाम 30 सितम्बर 2019 को समाप्त होने वाले क्वार्टर के लिए परिणाम 31 दिसम्बर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए परिणाम 31 मार्च 2020 को खत्म होने वाले वर्ष के लिए परिणाम	 14 अगस्त 2019 तक 14 नवम्बर 2019 तक 14 फरवरी 2020 तक मई 2020 के अंत तक
ड़.	खाता बंद करने की तिथि	11 सितम्बर 2019 (मंगलवार) से 17 सितम्बर 2019 (मंगलवार) तक (दोनों दिनों सहित)
च.	लाभांश तिथि	यदि 17 सितम्बर 2019 को सामान्य वार्षिक बैठक घोषित होती है तो 15 अक्टुबर 2019 को या इससे पहल

VII. घोषणाएं

1. इस अवधि के दौरान इसके निदेशकों और प्रबंधन के साथ किसी महत्वपूर्ण पक्ष संबंधी लेन–देन नहीं थे, जो कि बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ एक संभावित संघर्ष था। इसके अलावा, कंपनी के पास कोई सहायक कंपनी नहीं है।

2. निदेशकों को उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक के अलावा और गैर–आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों के लिए बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क के अतिरिक्त, निदेशकों में से किसी का भी कंपनी के साथ ऐसा कोई महत्वपूर्ण या पूर्वनिर्भर संबंध नहीं है जो उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है ।

3. वैधानिक देयों की स्थिति के साथ–साथ विभिन्न विभागों से प्राप्त सांविधिक अनुपालना रिपोर्ट को नियमित रूप से बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

4. कंपनी डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है, जबकि बोर्ड की संरचना को छोड़कर प्रशासनिक मंत्रालय स्वतंत्र निदेशक के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में है।

5. वर्ष के दौरान किसी भी व्यय को खातों की पुस्तकों में डेबिट नहीं किया जाता है, जो व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए नहीं हैं और कोई भी व्यय जो कि व्यक्तिगत प्राकृतिक के हैं, जो निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए खर्च किए गए हैं।

6. मेसर्स एम.एल. पुरी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट (फर्म पंजीकरण संख्या 002312एन) को कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

7. यौन उत्पीड़न से संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान दायर, निपटाए गए और लंबित शिकायतों का विवरण कंपनी की निदेशकों की रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।

VIII. सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

मुख्य वित्तीय अधिकारी और महानिदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट के रूप में सलंग्न है (सलंग्नक–क)

XI. अनुपालनाए

कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों की अनुपालना के संबंध में ऑडिटरों से प्राप्त अनुपालना प्रमाणपत्र यहां सलंग्न है और रिपोर्ट का हिस्सा है।

घोषणा

मैं, शिव दास मीणा, अध्यक्ष, एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि बोर्ड के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों ने 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कम्पनी की आचार संहिता की अुनपालना की पुष्टि की है।

अधोहस्ताक्षरी
शिव दास मीणा
अध्यक्ष
डीआईएन 01881010

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 7 अगस्त 2019

सलंग्नक–क

सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

सेवा में
निदेशक बोर्ड
एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

हम, ज्ञानेश पांडे, महानिदेशक और चंद्र शेखर गुप्ता, मुख्य वित्त अधिकारी एतद द्वारा प्रमाणित करते हैं कि:

क. हमने 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और उस तिथि को और हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान विश्वास और ज्ञान के अनुसार निम्न पाया:

(1) उक्त कथनों में कोई भौतिक रूप से असत्य कथन नहीं है या किसी भी भौतिक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या ऐसे बयानों को शामिल नहीं किया गया है जो भ्रामक हो सकते हैं;

(2) उक्त कथन एक साथ कम्पनी के मामलों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखा मानकों, लागू कानूनों और विनियमों की अनुपालन में हैं।

ख. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा उस वर्ष के दौरान कोई भी लेन–देन नहीं किया गया है जो कंपनी के आचार संहिता के लिए कपटपूर्ण, गैरकानूनी या उलंघन करने वाला है।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है। हम इस तरह के आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में किसी भी तरह की रिपोर्ट योग्य कमियों के बारे में नहीं जानते हैं।

घ. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्न सुझाव दिए हैं:

(1) वर्ष 2018–19 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

(2) वर्ष 2018–19 के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव और वित्तीय विवरण पर टिप्पणियों में उनकी घोषणा

(3) अज्ञात पक्ष को धन का नकली आरटीजीएस करना: 9 मई, 2019 को सीजीएम (एफएंडए) द्वारा धोखाधड़ी वाले लेनदेन के बारे में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें एचएससीसी के अधिकारिक बैंक खाते से मैसर्स एमएस इंटरप्राइजिज को 1.89 करोड़ की राशि है का लेनदेन है जिसक नम्बर 50200018906938 है, जिसके साथ एचएससीसी के कोई व्यावसायिक संबंध नहीं हैं।

वर्तमान स्थिति:

दिनांक 10 मई 2019 की शिकायत को 13 मई 2019 को एसएसपी नोएडा को भेज दिया गया है। एसएसपी नोएडा ने यह शिकायत नोएडा इकोनॉमिक ओफेंस विंग (एनईओडबल्यु) को डिस्पैच संख्या 2060 दिनांक 13 मई 2019 के माध्यम से भेज दी है।

पुलिस प्राधिकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उक्त कथित शिकायत दिनांक 10 मई 2019 को एफआईआर संख्या 242 दिनिांक 28 फरवरी 2017 और एफआईआर संख्या 983 दिनांक 4 सितम्बर 2017 के साथ जोड़ दिया गया है।

अधोहस्ताक्षरी	अधोहस्ताक्षरी
ज्ञानेश पांडे	सीएस गुप्ता
(महानिदेशक)	(सीएफओ)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 7 अगस्त 2019

कॉर्पोरेट प्रशासन पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

सेवा में
सदस्यगण,
एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

1. हमने 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड ("कम्पनी") द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों की अनुपालना का परीक्षण किया है जो सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर धारा 8.2.1 में निर्धारित की गई हैं।

2. कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों की अनपालना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच उसकी प्रक्रिया और क्रियान्वयन तक ही सीमित थी, जिसे कम्पनी द्वारा अपनाया गया था ताकि उन शर्तों की अनुपालना की जा सके। यह न तो एक लेखापरीक्षण है और न ही कम्पनी के वित्तीय विवरण पर एक राय है।

कम्पनी ने बोर्ड की संरचना, ऑडिट कमेटी और मानदेय कमेटी के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों 3.1.1, 4.1.1, 4.1.2 और 5.1 और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 और उसके अंतर्गत नियमों तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के अंतर्गत नियमों के साथ साथ कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियमावली, 2014 और कम्पनी अधिनियम 2013 के शेड्यूल 4 और सीएसआर कमेटी की संरचना के संबंध में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (1) के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की है।

कम्पनी ने बोर्ड की बैठकों के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों की खण्ड 3.3.1 की अनुपालना नहीं की है जिसमें बोर्ड की बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतर था।

हम आगे बयान करते हैं कि इस प्रकार की अनुपालना न तो कम्पनी की भावी व्यवहारिकता और न ही क्षमता और प्रभावशीलता को सुनिश्चत करता है जिसके साथ कम्पनी ने अपने कार्यों को किया है।

प्रवीन रस्तोगी एण्ड कम्पनी के लिए
कम्पनी सचिव

अधोहस्ताक्षरी
प्रवीन रस्तोगी
सीपी नं. 2883
एम. नं. 4764

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 7 अगस्त 2019

सलंग्नक–3

एओसी–2

संबंधित पक्ष के साथ किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं का विवरण

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों की घोषणा

1. वित्त वर्ष 2018–19 के लिए सामान्य व्यापार में लेकिन समीपता के आधार पर नहीं, अनुबंधों/व्यवस्थाओं या लेनदेनों का विवरण: शून्य
2. वित्त वर्ष 2018–19 के लिए सामान्य व्यापार में और समीपता के आधार पर किए गए अनुबधों/व्यवस्थाओं या लेनदेनों का विवरण:

संबंधित पक्ष का नाम और प्रकृति	संबंध	अवधि	विशिष्टताएं	राशि
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	होल्डिंग कम्पनी	बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार	सम्पत्ति की खरीद	68.34

अधोहस्ताक्षरी
शिव दास मीणा
अध्यक्ष
डीआईएन 01881010

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 7 अगस्त 2019

सलंग्नक–4

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड में कोर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और चिरस्थायीत्व

पृष्ठभूमि

भारत सरकार ने अगस्त 2013 में कंपनी अधिनियम 2013 लागू किया। कंपनी अधिनियम की धारा 135 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के विषय से संबंधित है। यह उन कंपनियों के लिए शुद्ध मूल्य, टर्नओवर और शुद्ध लाभ के आधार पर योग्य मानदंड निर्धारित करता है जो सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए आवश्यक हैं और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के व्यापक तौर–तरीकों को निर्दिष्ट करते हैं। जिन गतिविधियों को कंपनियों द्वारा अपनी सीएसआर नीतियों में शामिल किया जा सकता है, वे अधिनियम की अनुसूची 3 में सूचीबद्ध हैं। अधिनियम की धारा 135 और अधिनियम की अनुसूची 7 के प्रावधान सीपीएसई सहित सभी कंपनियों पर लागू होते हैं।

लाभ कमाने वाली सभी सीपीएसई के लिए अनिवार्य है कि वे अधिनियम और सीएसआर नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर गतिविधियाँ करें। सीपीएसई से अपेक्षा की जाती है कि वह अधिनियम और सीएसआर नियमावली में निर्धारित सीएसआर गतिविधियों पर पिछले तीन वित्तीय वर्ष के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत खर्च करे।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीएसआर संबंधी नियम तैयार किए हैं और 27 फरवरी 2014 को जारी किए हैं। सीएसआर नियम सीपीएसई सहित सभी कंपनियों के लिए लागू हैं।

सीपीएसई द्वारा डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और चिरस्थायीत्व पर हाल ही में दिशानिर्देश, जो 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी हैं, का उद्देश्य सीएसआर और चिरस्थायीत्व सराहनीय रूप से सुदृढ़ करना है और सीपीएसई को व्यवसाय के संचालन में सतत विकास के बड़े उद्देश्यों की अनदेखी न करने की सलाह देना है।

सीएसआर पॉलिसी

एचएससीसी एक चिंता करने वाला कॉर्पोरेट नागरिक है और समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है और समाज के कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों की बेहतरी के लिए काम करने में विश्वास रखता है।

एचएससीसी, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर दिशानिर्देशों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों की अनुपालना करता है।

विजन

गतिविधि के स्थल या क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से योगदान देना, जहां कम्पनी संचालन करती है। ऐसा करने में समाज के कमजोर वर्गों की पीड़ा को दूर करना।

पहचान और क्रियान्वयन

(1) एचएससीसी निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों में की जाने वाली परियोजनाओं/गतिविधियों की पहचान करेगा:

- स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता
- स्वच्छ पेयजल
- विशेष रूप से ग्रामीण स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय का प्रावधान

- छात्रों के लिए छात्रवृत्ति
- अन्य कल्याणकारी श्रेणियों की समय–समय पर पहचान की जाती है

(2) कंपनी के व्यवसाय के लिए प्राकृतिक आभूषण के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और अन्य सामाजिक क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा।

(3) सीएसआर में निवेश लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर होगा।

(4) सीएसआर गतिविधि सामुदायिक सद्भावना उत्पन्न करने, सामाजिक प्रभाव और उपस्थिति की दृष्टि से होगी।

(5) सीएसआर गतिविधि ऐसी होनी चाहिए जिससे कंपनी की सकारात्मक छवि बनाने में मदद मिले।

(6) हर परियोजना/गतिविधि के लिए, समय सीमा और आवधिक पड़ावों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

(7) सीएसआर के तहत पहचानी जाने वाली परियोजना गतिविधियों को विशेष एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। ऐसी विशिष्ट एजेंसियों में निम्न शामिल होंगे:

- समुदाय आधारित संगठन चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक
- स्थानीय निकाय जैसे पंचायत
- स्वैच्छिक एजेंसियां (एनजीओ)
- संस्थान/शैक्षणिक संगठन
- स्व–सहायता समूह
- सरकारी, अर्ध सरकारी और स्वायत्त संगठन
- स्कोप
- महिला मंडल/समितियां, आदि।
- सिविल कार्यों के लिए अनुबंधित एजेंसियां
- व्यावसायिक परामर्श संगठन आदि

यह सुनिश्चित करने के लिए हर ध्यान रखा जाएगा कि केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा संचालित कार्यक्रमों के साथ एचएससीसी द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों का दोहराव न हो।
जहां भी सीएसआर परियोजनाएं विशिष्ट एजेंसियों को सौंपी जाती हैं, ऐसी एजेंसियों की विश्वसनीयता और स्वच्छ ट्रैक रिकॉर्ड को सत्यापित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। एचएससीसी सरकारी, अर्ध–सरकार, स्वायत्त संगठन या राष्ट्रीय सीएसआर हब आदि द्वारा बनाए गए पैनलों से भी चयन कर सकता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित सीएसआर संबंधी प्रावधान

सब सेक्शन (1) में निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रत्येक कम्पनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम्पनी निरंतर पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत इसकी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पॉलिसी में खर्च करेगी।
बशर्ते कि कम्पनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि को खर्च करने के लिए अपने आसपास के स्थानीय क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों का संदर्भ प्रदान करेगी जहां यह संचालन करती है,

कम्पनी अधिनियम 2013 का शेड्यूल 7

वे गतिविधियां जिन्हें कम्पनी द्वारा उनकी कोर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नितियों में शामिल किया गया है निम्नलिखित हैं:

(i)	अत्यधिक भूख और गरीबी का उन्मुलन
(ii)	शिक्षा को बढावा;
(iii)	लिंग समानता का संवर्धन और महिलाओं का सशक्तिकरण
(iv)	शिशु मृत्यु को कम करना और मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार करना
(v)	एचआईवी, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से लड़ना
(vi)	पर्यावरणीय चिरस्थायीत्व को सुनिश्चित करना
(vii)	रोजगार को बढाने वाले व्यवसायिक कौशलों का विकास
(viii)	सामाजिक बिजनेस परियोजनाएं
(ix)	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोश या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक –आर्थिक विकास के लिए स्थापित अन्य निधियों में और अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए निधियों में योगदान देना और
(x)	अन्य दूसरे मामलों में योगदान देना जिन्हें निर्दिष्ट किया जा सकता है

कम्पनी अधिनियम, 2013 के शेड्यूल 7 में नवीनतम संशोधन के अनुसार निम्नलिखित मद को शामिल किया गया है:

कम्पनी अधिनियम, 2013 के शेड्यूल 7 में सीएसआर और चिरस्थायीत्व पर डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वच्छ भारत कोश, स्वच्छ गंगा फंड और पीएमएनआरएफ में योगदान

सीएसआर और चिरस्थायीत्व (दिसम्बर 2012) पर डीपीई के दिशानिर्देशों में सीएसआर के संबंध में प्रावधान

सीएसआर बजट को अनिवार्य रूप से बोर्ड प्रस्ताव के माध्यम से निम्न तरीके से शुद्ध लाभ के प्रतिशत के रूप में सृजित किया जाएगा:

वित्त वर्ष में सीएसआर के लिए सीपीएसई खर्च रेंज के प्रकार

	शुत्रू लाभ (पिछला वर्ष)	(लाभ का प्रतिशत)
(i)	100 करोडत्र रु. से कम 3%-5%	
(ii)	100 करोड़ से 500 करोड़ रुपये तक 2%-3% (न्यूनतम 3 करोड़ रुपये तक)	
(iii)	500 करोड़ और उससे अधिक 0.5%-2%	

सीएसआर के अंतर्गत संभावित क्षेत्र (सूची संकेतात्मक है और अंतिम नहीं है)

i)	पीने के पानी की सुविधा
ii)	शिक्षा
iii)	विद्युत सुविधा
iv)	सौर विद्युत प्रणाली
v)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
vi)	सिंचाई सुविधाएं
vii)	स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य

viii)	प्रदूषण नियंत्रण
ix)	पशु देखभाल
x)	खेलों को बढावा देना
xi)	कला और संस्कृति को बढावा
xii)	पर्यावरण को बचाने वाली प्रौद्योगिकियां
xiii)	फारवार्ड और बैकवार्ड लिंकेज के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जीवनयापन को बढावा
xiv)	देश के किसी भी हिस्से में भूकम्प, चक्रवात, सूखा और बाढ़ की स्थिति जैसी प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को राहत
xv)	सरकार के विकास कार्यक्रमों में सहायता
xvi)	गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोत
xvii)	सामुदायिक केंद्रों/रात्रि आश्रयों/वृद्ध आश्रमों का निर्माण
xviii)	व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना
xviii)	कौशल विकास केंद्रों की स्थापना
xix)	गांवों को गोद लेना
xx)	17 श्रेणी के उद्योगों के लिए पर्यावरण सुरक्षा के लिए कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के चार्टर से संबंधित वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सुझाए गए बिंदुओं पर कार्यवाही करना
xxi)	एससी, एसटी, ओबीसी और विकलांग प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप
xxii)	होस्टलों (विशेष रूप से एससी/एसटी और लड़कियों के लिए) को गोद लेना/निर्माण करना
xxiii)	कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास और युवाओं के लिए प्लेसमेंट सहायता कार्यक्रम
xxiv)	सड़कों, पाथवेज और पुलों का निर्माण
xxv)	उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)
xxvi)	सुधार/शमन से संबंधित गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन
xxvii)	पर्यावरण/पारिस्थितिकी और चिरस्थायी विकास से संबंधित गतिविधियां
xxviii)	सीएसआर और चिरस्थायीत्व पर डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वच्छ भारत काश, स्वच्छ गंगा कोश, पीएमएनआरएफ में योगदान

पुराने बजट के उपयोग के लिए परियोजनाएं

वर्तमान परियोजना स्थल के आसपास सरकारी स्कूलों के पुराने हो चुके भवनों की पहचान। वर्तमान भवनों का जीर्णोद्धार या नए भवनों का निर्माण, और टॉयलेट ब्लॉक और पीने के पानी का प्रावधान। तए

- छात्राओं या समाज के कमजोर वर्ग की छात्राओं के लिए सीधे उनके खातों में मासिक छात्रवृति का प्रावधान।
- समाज के कमजोर वर्ग के नागरिकों को डॉक्टर की सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान (केवल जांच और पर्चे)
- सीएसआर बैलेंस फंड को स्थायी जमा में अलग से निवेश किया जा सकता है और अर्जित ब्याज का उपयोग सीएसआर गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है।
- स्वच्छ गंगा कोष में सीएसआर के पुराने बैलेंस का उपयोग किया जा सकता है।
- सरकारी अस्पतालों में नाइट शेल्टर के निर्माण में सीएसआर फंड में योगदान का प्रावधान।

- दिल्ली और उसके आसपास वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने का प्रावधान।
- सरकारी स्कूलों में लेडीज टॉयलेट ब्लॉक के निर्माण/नवीनीकरण का प्रावधान।

निगरानी

सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी एक सीएसआर समिति द्वारा की जाएगी जिसे सीएमडी द्वारा गठित किया जाएगा और सीएसआर बोर्ड समिति का रखरखाव किया जाएगा। निम्नलिखित प्रक्रिया का उपयोग निगरानी के लिए किया जाएगाः

1) की जाने वाली गतिविधियाँ
2) बजट आबंटन
3) निर्धारित समय–रेखाएँ
4) जिम्मेदारियों और अधिकारियों को परिभाषित करना
5) प्रमुख परिणाम अपेक्षित

उत्तरदायित्व कथन

हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि एचएससीसी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति को लागू किया गया है और सीएसआर समिति सीएसआर उद्देश्यों और कंपनी की नीति की अनुपालन में सीएसआर परियोजनाओं और गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

हस्ता/–
श्री ज्ञानेश पाण्डेय
प्रबंध निदेशक
सदस्य सीएसआर समिति

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 7 अगस्त, 2019

सलंग्नक–5

प्रपत्र संख्या एमआर–3
31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष
वित्त वर्ष के लिए सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कम्पनी (कर्मचारियों की नयुक्ति और मानदेय) नियमावली, 2014]

सेवा में
सदस्यगण,
एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
205, (दूसरा तल), ईस्ट एंड प्लाजा, प्लॉट नं. 4,
एलएससी, सेंटर–2, वसुंधरा एनक्लेव,
नई दिल्ली–110096

हमने एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड (जिसे यहां "कंपनी" कहा गया है) जिसका सीआईएनः U74140D1983GOI015459 है,

द्वारा लागू संविधिक प्रवधानों की अनुपालना और अच्छे कम्पनी प्रशासन के कार्यव्यवहारों की अनुपालना का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस प्रकार किया गया जिसने हमें व्यापारिक आचारों/संविधिक अनुपालनाओं और उन पर हमारी राय को व्यक्त करने की क्षमता प्रदान की।

कंपनी की पुस्तकों, दस्तावेजों, मुख्य अंशों पुस्तकों, प्रपत्रों और रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों और कंपनी द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर, सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी के पास 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष को शामिल करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र हैं।

हमने 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड ('कंपनी') द्वारा रखे गए खातों, दसतावेजों, मुख्य अंशों की पुस्तकों, प्रपत्रों, रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच निम्न प्रावधानों के अनुसार की है:

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(2) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (अधिनियम) और इसके तहत बनाए गए विनियम (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं)

(3) सेबी (डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स) रेगुलेशन, 2018 और इसके अंतर्गत निर्धारित उपनियम (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं)

(4) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत निर्धारित नियम और कानून, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधारों की सीमा तक। (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं)

(5) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देशः

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011; (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कंपनी असूचीबद्ध है)

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018य (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कंपनी असूचीबद्ध है।)

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (कंपनी की सूची के अनुसार ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है।)

ड़) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियां और सूचीकरण) विनियम, 2008 (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कंपनी सूचिबद्ध नहीं है);

च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ कारोबार के संबंध में (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कंपनी असूचीबद्ध है)

छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का वितरण) विनियम, 2009 (असूचीबद्ध होने के कारण ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं); तथा

ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कंपनी अनलिस्टेड है);

(6) कंपनी के अन्य लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के अनुपालन के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए सिस्टम और तंत्र के लिए कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर हमने भरोसा किया है। कंपनी के अधिनियमों, कानूनों और विनियमों की प्रमुख मदों/समूहों की सूची नीचे दी गई है:

1. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
2. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995
3. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
4. श्रम भुगतान अधिनियम, 1936
5. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
6. भविष्य अधिनियम का भुगतान, 1972
7. लागू लेखा मानक
8. माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
9. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के तहत निर्धारित अधिनियमय
10. कार्य स्थल पर महिल यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

हमने निम्नलिखित क्लॉज के लागू होने के अनुपालन की भी जांच की है:

- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश
- निदेशक बोर्ड और सामान्य बैठकों पर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक।

हमने प्रत्यक्ष वित्तीय और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के साथ कंपनी द्वारा अनुपालन की जांच नहीं

की है, क्योंकि यह वैधानिक वित्तीय लेखा परीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने उक्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानदण्डों, आदि की अनुपालना की है:

1. कम्पनी ने बोर्ड की संरचना, ऑडिट कमेटी और मानदेय कमेटी के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों 3.1.1, 4.1.1, 4.1.2 और 5.1 और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 और उसके अंतर्गत नियमों तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के अंतर्गत नियमों के साथ साथ कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियमावली, 2014 और कम्पनी अधिनियम 2013 के शेड्यूल 4 और सीएसआर कमेटी की संरचना के संबंध में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (1) के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की है।
2. कम्पनी ने बोर्ड की बैठकों के संबंध में डीपीई निर्देशावली की धारा 3.3.1 की अनुपालना नहीं की है। बोर्ड की बैठकों के बीच तीन माह से अधिक का अंतर था।

इसके अलावा हम रिपोर्ट करते हैं कि:

कम्पनी के निदेशक बोर्ड का गठन, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक को छोड़कर, 31 मार्च 2019 तक उचित प्रकार से किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक बोर्ड के गठन में होने वाले परिवर्तनों को अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना में किए गए थे।

सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया है। बोर्ड की बैठकों का शेड्यूल, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत टिप्पणियों को कम से कम सात दिन पहले भेजा गया, और बैठक से पहले और बैठकों में अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए एजेंडा आइटमों पर अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने और स्पष्टीकरण का तंत्र स्थापित है

उचित प्रकार से दर्ज और अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बैठकों के मुख्य अंशों के अनुसार, बोर्ड के निर्णयों को एकमत से लिया गया था और कोई मतभेद दर्ज नहीं किया गया।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कमपनी के विरुध कोई कार्यवाही नहीं की गई और कम्पनी को कोई कारण बताओ नोटिस प्राप्त नहीं हुआ।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि ऑडिट अवधि के दौरान उक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानदण्डों, आदि के अनुसार कम्पनी में निम्नलिखित घटनाएं/कार्य किए गए जिनका कम्पनी के मामलों पर प्रभाव पड़ा।

कम्पनी ने निवेश और सार्वजनिक सम्पत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बीच एचएससीसी के एनबीसीसी में स्ट्रैटजिक विनिवेश के लिए 6 नवम्बर 2018 को हुए समझौते के कारण 285 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

स्ट्रैटजिक विनिवेश के परिणामस्वरूप भारत के राष्ट्रपति के पास 179960 इक्विटी शेयरों को, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से थे, एनबीसीसी को स्थानांतरित कर दिया गया।

प्रवीन रस्तोगी एण्ड कम्पनी,
कम्पनी सचिव

हस्ता/-
प्रवीन रस्तोगी
सी.पी. नं. 2823
एम. नं. 4764

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 7 अगस्त 2019

सचिवीय ऑडिटरों की रिपोर्ट (2018–18) पर प्रबंधन का जवाब

ऑडिटरों की समीति	ऑडिटरों की समीति (कॉर्पोरेट प्रशासन)	प्रबंधन का जवाब
1. कम्पनी ने बोर्ड की संरचना, ऑडिट कमेटी और मानदेय कमेटी के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों 3.1.1, 4.1.1, 4.1.2 और 5.1 और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 और उसके अंतर्गत नियमों तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के अंतर्गत नियमों के साथ साथ कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियमावली, 2014 और कम्पनी अधिनियम 2013 के शेड्यूल 4 और सीएसआर कमेटी की संरचना के संबंध में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (1) के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की है क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई।	–उक्त–	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और भारत सरकार द्वारा निदेशकों– कार्यकारी, गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। संबंधित निदेशकों की संख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कंपनी ने प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सरकार के साथ मामला उठाया है। डॉ (श्रीमती) विनोद पंथी को आवास एवं शहरों मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है, हालांकि, अन्य निर्देशकों की नियुक्ति का इंतजार है।
कम्पनी ने बोर्ड की बैठकों के संबंध में डीपीई निर्देशावली की धारा 3.3.1 की अनुपालना नहीं की है। बोर्ड की बैठकों के बीच तीन माह से अधिक का अंतर था।	–उक्त–	उस समय कम्पनी स्ट्रैटजिक विनिवेश की प्रक्रिया में थी।

सलंग्नक–6

प्रपत्र संख्या एमजीटी–9
31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष को वार्षिक रिटर्न के मुख्य अंश

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार)

1. रजिस्ट्रेशन और अन्य विवरणः

1.	सीआईएन	U74140DL1983GOI015459
2	पंजीकरण की तिथि	30 मार्च 1983
3	कम्पनी का नाम	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
4	कम्पनी की श्रेणी/उपश्रेणी	शेयरों के अनुसार लिमिटेड कमपनी
		सरकारी कम्पनी
5	पंजीकृत कार्यालय का पता और सम्पर्क विवरण	205 (दूसरा तल), ईस्ट एंड प्लाजा, प्लॉट नं. 4, एलएससी, सेंटर–3, वसुंधरा एनक्लेव, नई दिल्ली 110096
		ई–मेलः co.sectt@nbccindia.com, सम्पर्कः 0120–2542436,40
6	क्या कम्पनी सूचिबद्ध है?	नहीं
7	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई है, का नाम, पता और सम्पर्क विवरण	लागू नहीं है

2. कम्पनी की प्रमुख व्यापार गतिविधिः

कम्पन के टर्नओवर में 10 प्रतिशत से अधिक का योगदान देने वाली सभी व्यापार गतिविधियों को नीचे दर्शाया गया है:–

क्रम संख्या	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1.	इंजीनियरिंग सेवा परामर्श	9983	100

3. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कम्पनियों के विवरण

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/सहायक/सहयोगी कम्पनी	शेयरों का प्रतिशत	लागू अनच्छेद
1	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	L74899DL1960GOI003335	होल्डिंग	100	2(46)

4. शेयर होल्डिंग पैटर्न

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल वितरण)

(1) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरूआत में शेयरों की संख्या (1 अप्रैल 2018 को)				वर्ष के अंत में शेयरो की संख्या (31 मार्च 2019 को)				वर्ष के दौरान प्रतिशत में दलाव
	डीमैट	शैतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	शैतिक	कुल	कुल का प्रतिशत	
क. प्रोमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/एचयूएफ	शून्य	54	54	0.03	36	6	42	0.01	शून्य
ख) केंद्र सरकार	शून्य	1,79,960	1,79,960	99.97	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) राज्य सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) निकाय कॉर्पोरेशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1,79,972	शून्य	1,79,972	99.99	99.99
ड) बैंक/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग (क) (1)	**शून्य**	**1,80,014**	**1,80,014**	**100**	**1,80,008**	**6**	**1,80,014**	**100**	**शून्य**
(2) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क) एनआरआई लोग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) अन्य लोग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) निकाय कॉर्पोरे न	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग (क) (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (क)		**1,80,014**	**1,80,014**	**100**	**1,80,008**	**6**	**1,80,014**	**100**	**शून्य**
ख. सरकारी शेयरहोल्डिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1. संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क) म्युचुअल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) बैंक/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) केंद्र सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) राज्य सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ड) वेंचर कैपिटल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) बीमा कम्पनियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
छ) एफआईआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
झद्ध अन्य (निर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–योग (ख) (1):	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. गैर–संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क) निकाय कॉर्पोरेशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) व्यक्ति विशेष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) 1 लाख रुपये तक नोमिनल शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) 1 लाख रुपये से अधिक नोमिनल शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) अन्य (विवरण दें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
गैर–रिहायसी भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विदेशी कार्पोरेट निकाय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विदेशी नागरिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्लीयरिंग सदस्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ट्रष्ट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विदेशी निकाय–डीआर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–योग (ख) (2):–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरूआत में शेयरों की संख्या (1 अप्रैल 2018 को)				वर्ष के अंत में शेयरो की संख्या (31 मार्च 2019 को)				वर्ष के दौरान प्रतिशत में दलाव
	डीमैट	शैतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	शैतिक	कुल	कुल का प्रतिशत	
कुल पब्लिक (ख)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग(क+ख+ग)		**1,80,014**	**1,80,014**	**100**	**1,80,008**	**6**	**1,80,014**	**100**	**शून्य**

(ii) प्रोमोटरों की शेयरहोल्डिंग

क्रम संख्या	शेयरधारक का नाम	वर्ष के शुरू में शेयर (1 अप्रैल 2018 को)			वर्ष के अंत में शेयर (31 मार्च 2019 को)			वर्ष के दौरान शेयर धारिता में बदलाव का प्रतिशत
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों का प्रतिशत जो गिरवी रखे गए हैं	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत %	गिरवी रखे गए शेयरों का प्रतिशत	
1	भारत का राष्ट्रपति	1,79,960	99.97	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	भारत सरकार के राष्ट्रपति के नामित	54	0.03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	1,79,972	99.97	शून्य	99.97
4	ज्ञानेश पांडे*	6	6	शून्य	6	6	शून्य	0
5	राजेंद्र चौधरी*	शून्य	शून्य	शून्य	6	6	शून्य	0
6	योगेश शर्मा*	शून्य	शून्य	शून्य	6	6	शून्य	0
7	बलदेव कौर शोकी*	शून्य	शून्य	शून्य	6	6	शून्य	0
8	चंद्र शेखर गुप्ता*	शून्य	शून्य	शून्य	6	6	शून्य	0
9	नीलेश शाह*	शून्य	शून्य	शून्य	6	6	शून्य	0
10	राकश गुप्ता*	शून्य	शून्य	शून्य	6	6	शून्य	0

*एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की तरफ से

(iii) प्रोमोटरों की शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन है तो कृपया उल्लेख करें)

क्रम संख्या	विवरण	दिनांक	कारण	वर्ष की शुरूआत मे शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
				शेयरों की संख्या	शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	वर्ष की शुरूआत में						
2.	वर्ष के दौरान परिवर्तन						
3.	वर्ष के अंत में						

4) उच्चतम दस शेयरधारकों की शेयरहोल्डिंग का पैटन

(निदेशकों, प्रोमोटरों और जीडीआर और एडीआर के होल्डरों के अतिरिक्त)

क्रम संख्या	विवरण	दिनांक	कारण	वर्ष की शुरूआत में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
				शेयरों की संख्या	शेयरों का प्रति त	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	वर्ष की शुरूआत में	1 अप्रैल 2018		NA			
2.	वर्ष के दौरान परिवर्तन						
3.	वर्ष के अंत में	31 मार्च 2019					

(5) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों की शेयरहोल्डिंग

क्रम संख्या	प्रत्येक निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी की शेयरहोल्डिंग	दिनांक	कारण	वर्ष के शुरू में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
				शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	**श्री अनूप कुमार मित्तल** वर्ष की शुरूआत में वर्ष के दौरान परिवर्तन वर्ष के अंत में	शून्य					
2.	**श्री ज्ञानश पांडे** वर्ष की शुरूआत में वर्ष के दौरान परिवर्तन वर्ष के अंत में	छपस	शून्य	6 शून्य 6	0.00 शून्य 0.00	6 शून्य 6	0.00 शून्य 0.00
3.	**सुश्री नंदिता गुप्ता** वर्ष की शुरूआत में वर्ष के दौरान परिवर्तन वर्ष के अंत में	शून्य					

(6) कर्ज

बकाया/संकलित ब्याज सहित कम्पनी का कर्ज, लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं

विवरण	सुरक्षित लोन जमाओं को छोड़कर	असुरक्षित लोन	असुरक्षित लोन	कुल कर्ज
वित्त वर्ष की शुरूआत में कर्ज				
i) मूल धन	शून्य			
ii) देय ब्याज जिसका भुगतान नहीं किया गया				
iii) संचित ब्याज लेकिन देय नहीं				
कुल (i+ii+iii)				
वित्त वर्ष के दौरान कर्ज में परिवर्तन	शून्य			
*योग	शून्य			
*घटाव	शून्य			
शुद्ध परिवर्तन				
वित्त वर्ष के अंत में कर्ज				
i) मूल धन	शून्य			
ii) देय ब्याज जिसका भुगतान नहीं किया गया				
iii) संचित ब्याज लेकिन देय नहीं				
कुल (i+ii+iii)		शून्य		

6. निदेशको और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों का मानदेय

क. महानिदशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक का मानदेय

(राशि रुपये में)

क्रम संख्या	मानदेय का विवरण	एमडी/डबल्युटीडी/प्रबंधक का नाम	कुल राशि
	नाम	ज्ञानेश पांडे	
	पद	महानिदेशक	
1	सकल वेतन		
	(क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन	50,28,701.00	50,28,701.00
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत अनुलाभ	1,74,703.00	1,74,703.00

	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ	–	–
2	स्टॉक विकल्प	–	–
3	स्वैट इक्विटी	–	–
4	संरचना	–	–
	– लाभ के प्रतिशत के रूप में	–	–
	– अन्य, उल्लेख करें	–	–
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	–	–
	कुल (क)	**52,03,404.00**	**52,03,404.00**
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग	लागू नहीं है	

ख. अन्य निदेशकों का मानदेय

(राशि रुपये में)

क्रम संख्या	मानदेय का विवरण	निदशक का नाम	कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक	NA	
	बोर्ड कमेटी की बैठकों में उपस्थिति के लिए शुल्क		
	कमीशन		
	अन्य, उल्लेख करें		
	कुल (1)		
2	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक	NA	
	बोर्ड की की बैठकों में उपस्थिति के लिए शुल्क		
	कमीशन		
	अन्य, कृपया उल्लेख करें		
	कुल (2)		
	कुल (ख)=(1+2)		
	कुल प्रबंधकीय मानदेय		
	अधिनियम के अनुसार सम्पूर्ण सीलिंग		
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग		

ग. एमडी/प्रबंधक/डबल्युटीडी के अलावा प्रबंधकीय कर्मचारियों के लिए मानदेय

(राशि रुपये में)

क्रम संख्या	मानदेय का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी का नाम				कुल राशि
	नाम					
	पद					
1	सकल वेतन					
	(क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन					
	(ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभ					
	(ग) आय कर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ					
2	स्टॉक विकल्प					

क्रम संख्या	मानदेय का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी का नाम				कुल राशि
3	स्वैट इक्विटी					
4	कमीशन					
	–लाभ के प्रतिशत के रूप में					
	–अन्य, उल्लेख करें					
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें					
	कुल					

vii) उलंघनों के लिए पैनल्टी/दण्ड/कम्पाउंडिंग

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	पैनल्टी/दण्ड/कम्पाउंडिंग का विवरण	प्राधिकार आरडी/एनसीएलटी कोर्ट	की गई अपील, यदि कोई है (विवरण दें)
क. कम्पनी					
पैनल्टी	NA				
दण्ड					
कम्पाउंडिंग					
ख. निदेशक					
पैनल्टी	NA				
दण्ड					
कम्पाउंडिंग					
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
पैनल्टी	NA				
दण्ड					
कम्पाउंडिंग					

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
शिवदास मीणा
अध्यक्ष
डीआईएनः 01881010

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 7 अगस्त 2019

31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय कथनों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत भारत के लेखा नियंता और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार, 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के लेखानियंता और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित ऑडिट पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र ऑडिट के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उनके द्वारा ऐसा किया जाना उनकी ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 25 मई, 2019 में उल्लिखित है।

मैंने, भारत के लेखा नियंता और महालेखा परीक्षक की तरफ से, अधिनियम की धारा 143 (6) के अंतर्गत 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय कथनों का एक अतिरिक्त ऑडिट किया है। यह अतिरिक्त ऑडिट संविधिक ऑडिटर के कार्य दस्तावेजों के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और प्राथमिक रूप से संविधिक ऑडिटरों और कम्पनी के कर्मचारियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन दस्तावेजों के विशिष्ट परीक्षण तक सीमित है।

मेरे अतिरिक्त ऑडिट क अधार पर कुछ भी मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं आया जिस पर कोई टिप्पणी करनी पड़े या अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत संविधिक ऑडिटरों की रिपोर्ट में कुछ अतिरिक्त जोड़ना पड़े।

भारत के लेखा नियंता और महालेखा परीक्षक
के लिए और उनकी तरफ से

Prachi Pandey
2.8/XI/

;प्राची पांडेद्ध
प्रमुख निदेशक

वाणिज्यीक ऑडिट के प्रमुख निदेशक और पदेन सदस्य
ऑडिट बोर्ड 1
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 2 अगस्त 2019

foRrh; fooj.k

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा,

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यगण

इंड एस वित्तीय विवरण के ऑडिट पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड ('कंपनी') के इंडिया एएस वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2019 तक बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय का विवरण सहित), कैश फ्लो स्टेटमेंट का विवरण और उसके बाद समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन के कथन शामिल हैं, और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश सहित वित्तीय विवरणों को नोट किया गया (यहां पर इसे "इंड एएस वित्तीय विवरण" कहा गया है।)

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त इंड एएस वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा आवश्यक सूचना प्रदान करता है और 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में कम्पनी की स्थिति की सही और उचित तस्वीर प्रस्तूत करता है जो आमतौर पर भारत में अपनाए जाने वाले लेखा सिद्धांतों के अनुसार है, और अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और इसके कैश फ्लो सहित इसके लाभ की सही तस्वीर प्रस्तुत करता है जो योग्य राय के आधार में उल्लिखित मामले के प्रभाव पर निर्भर है।

योग्य राय के लिए अधार

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों के अनुसार इंड एएस वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के 'इंड एएस वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मदारियां" खण्ड में आगे वर्णित किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी 'आचार संहिता' के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, जिसमें नैतिक आवश्यकताएं हैं जो अधिनियम के प्रावधान और नियमों के अंतर्गत हमारे वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे इंड एएस वित्तीय विवरण पर हमारी ऑडिट संबंधी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अनुसूची 29 "खातों पर टिप्पणियां" जो वित्तीय विवरण का एक भाग है, में निम्नलिखित टिप्पणियों के लिए ध्यान आमंत्रित किया गया है:

1) *निम्नलिखित बैंकों का मिलान लंबित हैं, इसलिए मिलान की गई बैंक में शेष राशि का लाभ और हानि और कंपनी की बैलेंस शीट पर प्रभाव पड़ेगा जिसका वर्तमान में अनुमान नहीं है। (टिप्पणी नं. 29– ॥(एफ देखें)*

क्रम संख्या	बैंक का नाम	शाखा	परियोजना जिसके साथ संबंध है (परियोजना संख्या)	खाता नं.
1	इंडियन ओवरसीज बैंक	सेक्टर–1, नोएडा	आयुष नई दिल्ली	172502000000644
2	इंडियन ओवरसीज बैंक	सेक्टर–1, नोएडा	एचएससीसी बैंक खाता	172502000000151
3	इंडियन ओवरसीज बैंक	सेक्टर–1, नोएडा	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड	172502000000331
4	एम्स न्यू ओपीडी ब्लॉक	सेक्टर–1, नोएडा	एम्स न्यू ओपीडी ब्लॉक	34930766338
5	इंडियन ओवरसीज बैंक	सेक्टर–1, नोएडा	पीएमएसएसवाईजीटीपी अमृतसर	172501000017019
6	इंडियन ओवरसीज बैंक	सेक्टर–1, नोएडा	तेजपुर एलजीबीआरआईएमएच	172501000017325
7	एचडीएफसी	सेक्टर–26, नोएडा	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड	502000011829157

2) बैंकों, प्रतिधारण धन खाता, क्लाइंट डिपॉजिट फंड, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स, ईएमडी, सिक्योरिटी डिपॉजिट (प्राप्य और देय दोनों), मंत्रालयों का शेष, क्लाइंट्स और सरकार की बकाया की राशि जो अप्रत्यक्ष कर और अन्य राज्य कर से संबंधित है, से प्राप्त ब्याज अपुष्ट और मिलान रहित हैं। असंगत शेष राशि का कंपनी के लाभ और हानि और बैलेंस शीट पर प्रभाव पड़ेगा जो वर्तमान में अनुमानित नहीं है।

3) आंतरिक नियंत्रण तंत्र, जिसकी जांच करने की आवश्यकता होती है और सभी लेनदेनों जिसमें एफडीआर में कम्पनी द्वारा किए गए स्थायी जमा पर ब्याज, संचित ब्याज और लिक्विड फंड और ठेकेदारों को सुरक्षित अग्रिमों का समय पर लेखांकन और समायोजन, ठकेदारों और पेशेवरों को अंतरिम बिल का भुगतान, व्यय, आय और खातों में बैंक के लेनदेन शामिल हैं, में कमियां पाई गई। (वित्तीय विवरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (स्वतंत्र ऑडिटरों की रिपोर्ट का सलंग्नक 2 देखें)

4) ऐसी परियोजनाएँ हैं जिन्हें पूरा कर लिया गया है और मंत्रालय/ग्राहकों को सौंप दिया गया है, लेकिन कंपनी की पुस्तकों में इन खातों का वित्तीय समापन नहीं किया गया है। इसके अलावा, ऐसी परियोजनाएँ हैं जो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें सौंपने और कार्यभार संभालने की प्रक्रिया नहीं हुई है। लाभ या हानि पर इसका प्रभाव उस वर्ष में होगा, जिसमें वित्तीय समापन होता है। (नोट संख्या –29–II (घ) देखें)

अन्य मामले

वर्ष के दौरान कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के भविष्य के आर्थिक लाभ की खपत के अपेक्षित पैटर्न के संबंध में अपना लेखांकन अनुमान बदल दिया। कंपनी ने अब सीधे तौर पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास लागू किया है। कम्पनी ने अब सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण पर सीधी रेखा विधि के अनुसार मासिक यथानुपात आधार पर सम्पत्तियों और कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2013 के अंतर्गत निर्धारित विशिष्ट सम्पत्ति के अवशिष्ट मूल्य की शेष आयु के लिए अनुमानित ह्रास लागू किया है।

इसके अलावा, अब 10,000/– तक की लागत की सम्पत्ति खरीद के वर्ष में पूर्ण रूप से ह्रासित है। पहले यह राशि 5,000/– रुपये थी।

इंड एएस वित्तीय विवरण और उस पर ऑडिटरों की रिपोर्ट के अतिरिक्त सूचना

कम्पनी का निदेशक बोर्ड अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, सलंग्नकों सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व रिपोर्ट शामिल हैं।

इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम किसी भी रूप में सुनिश्चित निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

इंड एएस वित्तीय विवरण के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करने में, यह विचार करने की है कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत है या ऑडिट से प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत तो नहीं है। यदि, हमने जो कार्य किया है उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है, तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

इंड एएस वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो वित्तीय स्थिति और वित्तीय कार्यप्रदर्शन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तूत करते हैं जिसमें अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) सहित संशोधित कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के अनुसार अन्य व्यापक आय, (इक्विटी में परिवर्तन) और कंपनी के नकदी प्रवाह शामिल है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और प्रयोग;उचित और विवेकपूर्ण है निर्णय और अनुमान; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्चयन और रखरखाव, जो लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करता है, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है, शामिल हैं, जो एक सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण सामग्री के दुरुपयोग को रोकते हैं।

इंड एएस वित्तीय कथनों की तैयारी में प्रबंधन एक सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में निरंतर काम करने की कम्पनी की योग्यता का मूल्यांकन करने, सुनाम प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों की घोषणाएं करने और यदि प्रबंधन कम्पनी को बेचना नहीं चाहता है या अपने संचालनों को बंद नहीं करना चाहता है, या यदि उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो लेखांकन के सुनाम प्रतिष्ठान आधार का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है।

बोर्ड के निदेशक कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

इंड एएस वित्तीय कथनों के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या इंड एएस वित्तीय विवरण पूरी तरह से भौतिक बयानों से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या के कारण, और हमारी जिम्मेदारी एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा किसी गलत भौतिक विवरण का पता लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समुचित रूप से, यह उम्मीद होती है कि वे इन इंड एएस वित्तीय कथनों के आधार पर लिए गए प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं।

एसए के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में हम पेशेवरण निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में हम पेशेवर संशयवाद का बनाए रखते हैं। हमः

- धोखाधड़ी या गलती के कारण इंड एएस वित्तीय कथनों की भौतिक गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन भी करते हैं, उन जोखिमों को रोकने के लिए ऑडिट विधि का डिजाइन और कार्यान्वयन करते हैं और ऐसे ऑडिट साक्ष्यों को प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए एक पर्याप्त और उचित आधार प्रदान करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप एक भौतिक गलत बयानी का पता न लग पाने का जोखिम गलती से या आंतरिक नियंत्रण के दोहराव के कारण हुई गलत बयानी से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ गांठ, फर्जीवाड़ा, जानबूझ कर चूक, गलत प्रस्तूती शामिल हो सकती है।

- ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त हो। अधिनियम की धारा 143 (3) (1) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावी हैं या नहीं।
- इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित घोषणाओं की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के सुनाम प्रतिष्ठान के आधार के प्रयोग करने की उपयुक्तता के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त ऑडिट साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटना या परिस्थितियों से संबंधित सामग्री में अनिश्चितता मौजूद है जिसके कारण कम्पनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह का कारण बन सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनुश्चितता मौजूद है, तो हमें वित्तीय विवरणों में घोषणाओं से संबंधित हमारी ऑडिटर की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की जरूरत होती है, यदि इस प्रकार की घोषणाएं हमारी राय को बदलने के लिए पर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी ऑडिट की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्यों के आधार पर हैं। लेकिन आगे की घटनाएं या परिस्थितियां कम्पनी के एक सुनाम प्रतिष्ठान बने रहने में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।
- इंड एएस कथनों की सम्पूर्ण प्रस्तुती, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करते हैं जिसमें घोषणाएं शामिल हैं, और यह शामिल है कि क्या इंड एएस वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं को सही ढंग से प्रस्तूत करता है।

हम अन्य मामलों के साथ नियोजित क्षेत्र और ऑडिट के परिणामों के संबंध में उन लोगों से सम्पर्क करते हैं जिनके पास प्रशासन का प्रभार होता है, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी शामिल है जो हमें ऑडिट के दौरान पता लगती है।

हम प्रशासन का प्रभार रखने वाले लोगों को एक बयान देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में उचित नैतिक आवश्यकताओं की अनुपालना की है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और दूसरे मामलों के संबंध में भी सम्प्रेषण करते हैं जिनका हमारी स्वतंत्रता के साथ संबंध होता है, और जहां लागू होता है, संबंधित सुरक्षाओं के बारे में भी सम्प्रेषण करते हैं।

मामले पर जोर

हम वित्तीय विवरण पर टिप्पणियों में निम्न मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

1) वित्तीय विवरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट का सलंग्नक 2 देखें) कमजोर है और उसे मजबूत करने की जरूरत है।

2) 2,926.00 लाख तक की राशि का महत्वपूर्ण लेनदेन देखा गया जिसे संदिग्ध विश्वसनीयता के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। इसके लिए प्रावधान 01 अप्रैल 2017 को रिजर्व से किया गया है क्योंकि लेनदेन वित्तीय वर्ष 16–17 से पहले दर्ज किए गए थे। (नोट संख्या–29–II (ज) और (1) देखें)

3) कम्पनी ने वर्ष के दौरान 410.76 लाख रुपये की एफडीआर को 'संचित ब्याज खाता' से स्थानांतरित करके एफडीआर को दर्ज किया है। संचित ब्याज खाते में 74.59 लाख रुपये का डेबिट शेष काट दिया गया है। (नोट संख्या 26 देखें)

हालाँकि जोर देने के मामले में हमारी राय संशोधित नहीं

अन्य कानूनी और विनियामक आव"यकताओं पर रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143 और उपधारा (11) के संबंध में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) की आवश्यकता के अनुसार हम सलंग्नक–1 में आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्धारित मामलों

पर एक बयान देते हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) की आवश्यकता के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की तलाश की और प्राप्त किया, जो हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सर्वोत्तम थे।

(ख) हमारी राय में कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित खातों की उचित पुस्तकें अभी तक रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में दी गई बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और कैश फ्लो विवरण, खातों की पुस्तकों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत दिए गए लेखा मानकों के साथ साथ कंपनी (लेखा और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम की अनुपालना करते हैं।

(ड़) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 620(1) और कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 465(2) के अंतर्गत जारी अधि सूचना संख्या– जीएसआर 829 (ई) दिनांक 21 अक्टूबर 2003 के अनुसार कम्पनी अधिनियम 2012 की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान सरकारी कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, अनुबंध –2 में हमारी रिपोर्ट देखें।

(छ) अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, उक्त धारा जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना के अनुसार एक सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं होती हैं।

(ज) कंपनी के ऑडिट नियम (ऑडिट एंड ऑडिटर) नियमावली, 2014 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और स्पष्टीकरण के अनुसार:

(1) कंपनी ने अपने वित्तीय कथनों में अपने वित्तीय पदों पर 31 मार्च, 2019 तक लंबित मुकदमों के प्रभाव की घोषणा की है – (नोट संख्या –29 देखें)

(2) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिसके लिए कोई भी महत्वपूर्ण हानि नहीं थी।

(3) ऐसी कोई राशि नहीं थी जो कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित की जानी थी।

जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत आवश्यक है, हम अनुलग्नक 3 एक बयान देते हैं जिसमें भारत के लेखानियंता और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों का जवाब है।

एम. एल पुरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए
एफआरएनः 002312 एन
हस्ता/–
सीए राजेश चंद गुप्ता
(हिस्सेदार)
एम.नं. 095584

दिनांकः 25 मई 2019
स्थानः नई दिल्ली

स्वतंत्र ऑडिटरों की रिपोर्ट का संलग्न 1

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा 11 के खण्ड (1) के अंतर्गत कम्पनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश पर रिपोर्ट

1. (क) कंपनी ने आम तौर पर उचित विवरणों को बनाए रखा है जिसमें मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाए गए हैं।

   (ख) वर्ष 2018–19 के लिए मुख्य कार्यालय में कंपनी की अचल संपत्तियों को वर्ष के दौरान चार्टर्ड एकाउंटेंट की फर्म द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है और इस तरह के सत्यापन पर किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण विसंगति की सूचना नहीं है, जो हमारे विचार से उचित है, कंपनी के आकार और अचल संपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए। लेकिन हमें प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना स्थलों पर रखी गई अचल संपत्तियों का प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है। हालाँकि अचल संपत्तियों के ऐसे भौतिक सत्यापन के दस्तावेज हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं थे। इसलिए हमारे लिए यह संभव नहीं है कि हम महत्वपूर्ण विसंगति (यों) पर टिप्पणी करें, यदि कोई है, तो इस तरह की अचल संपत्तियों का सत्यापन परियोजना स्थलों पर किया जाता है।

   (ग) *कुछ लीज पर दी गई भूमियों और भवनों को छोड़ कर कम्पनी के नाम पर सभी अचल सम्पत्तियों के अधिकार अनुबंध वर्ष के दौरान 6835.99 लाख रुपये के थे (नोट संख्या 2 देखें) और सेक्टर–1, नोएडा में दो प्लॉट ई–13 और ई–14 जिनका आकार 25018.13 वर्ग मीटर है, एचएससीसी (इंडिया लिमिटेड को आबंटित किए गए थे और अतिरिक्त पट्टा विलेख न्यू ओखला इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट अथॉरिटी (नोएडा) के साथ 22 अप्रैल 2013 को किया गया था। विलेख के क्लॉज नं. 4 के अनुसार पट्टाधारी अर्थात एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड उक्त भूमि पर निर्धारित चार वर्ष की अवधि के अंदर भवन का निर्माण कार्य पूरा करेगा, यदि पट्टादाता समय का विस्तार नहीं करता है। पट्टा विलेख के अनुसार निर्माण के लिए निर्धारित अवधि 21–04–2017 को पूरी हो चुकी है और कम्पनी ने न ही समय विस्तार का आवेदन किया है और न ही भवन का निर्माण किया है। इसलिए कम्पनी ने विस्तार शुल्क के रूप में 21.95 लाख रुपये का प्रावधान किया है जो न्यू ओखला इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट अथॉरिटी में देय होगा। (नोट संख्या 2 देखें)*

2. **कंपनी द्वारा कोई इन्वेंटरी नहीं रखी जाती है क्योंकि सभी अनुबंधों को टर्नकी आधार पर सामग्री के साथ ठेकेदारों को प्रदान किया जाता है। हालांकि, सामग्री के लिए कंपनी द्वारा दिए गए 8930.85 लाख रुपये की अग्रिम अग्रिम राशि के संबंध में, ठेकेदारों के पास पड़ी इन्वेंट्री के लिए अभियंता प्रभारी से प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है।**

3. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने तो कोई लोन दिया है और न ही किसी कम्पनी, फर्म, लिमिटेड उत्तरदायित्व हिस्सेदारी या अन्य पक्षों से कोई लोन, असुरक्षित या सुरक्षित लोन लिया है जो कम्पनी अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल हैं। इसलिए इस क्लॉज के दूसरे पैरा लागू नहीं हैं।

4. कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और/या 186 के उलंघन में कोई अग्रिम लोन, गारंटी या सुरक्षा या निवेश नहीं किया है।

5. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से जमा स्वीकार नहीं किया है। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश, धारा 73 से 74 या अधिनियम के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

6. चूंकि कंपनी कोई निर्माण गतिविधि नहीं कर रही है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत लागत रिकॉर्ड बनाए रखने का प्रश्न लागू नहीं होता है।

7. संविधिक देयों के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार

क) कंपनी आमतौर पर नियमित रूप से निर्विवाद वैधानिक देय राशि जमा करती रही है, जिसमें प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देय राशि उचित प्राधिकार के साथ लागू होती है।

(ख) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री–कर, धन कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क,, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि आमतौर पर नियमित रूप से जमा की जाती है और 31 मार्च 2019 को निम्न को छोड़ कर कोई भी देय छह महिने से अधिक के लिए कोई भी अविवादित संविधिक देय बकाया नहीं है:–

संविधिक देय का प्रकार	राशि (लाख रूपये में)
आयकर	47.22
भवन शुल्क	160.61
जीएसटी	2.03
टीडीएस	41.73

जिन्हें बैलेंस शीट में देय दर्शाया गया है।

(ग) कंपनी आयकर अधिकारियों के समक्ष आयकर की 321.51 लाख रुपये की राशि और टीडीएस की 34. 94 लाख रुपये की राशि को रद्द करने के लिए एक आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया में है, जिसके लिए अपीलीय अधिकारियों के समक्ष कोई अपील दायर नहीं की गई है।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने ठेकेदार के श्रमिकों से संबंधित पीएफ और ईएसआई में देय राशि जमा करने के बारे में प्रणाली और प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं।

(ड़) आयकर, सेवा कर, ईएसआई, भविष्य निधि और अन्य देय का विवरण जिन्हें नीचे दिए गए अनुसार 31 मार्च 2019 को विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है:–

देय की प्रकृति	राशि (लाखों में)	संबंधित अवधि	जहां विवाद बकाया है
सेवा कर	5.29 के अतिरिक्त जुर्माना और ब्याज की राशि	अक्टुबर 2009 से सितम्बर 2010	केंद्रीय कर आयुक्त (अपील)
सेवा कर (कॉन्वेट क्रेडिट)	10.05 के अतिरिक्त ब्याज	अप्रैल 2010–मार्च 2012	केंद्रीय उत्पाद सेवा कर अपलीय ट्रिब्यूनल, इलाहबाद
सेवा कर (जुर्माना)	2.64 के अलावा 2.64 रुपये का जुर्माना	जनवरी 2004	केंद्रीय उत्पाद सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल, दिल्ली
ईएसआई	1.83	1 जनवरी 1997 से 31 जुलाई 2004	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर
भविष्य निधि	6.86	2004–05 से 2008–09	भविष्य निधि ट्रिब्यूनल, दिल्ली
आय कर	42.14	2014–15	आईटीएटी

च. हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार ऐसी कोई राशि नहीं है जिन्हें 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो।

8. कम्पनी ने शुरू से ही वित्तीय संस्थानों या बैंकों या सरकार या ऋणपत्र धारकों से कोई ऋण नहीं लिया है। इसलिए इस आदेश का पैरा कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

9. कम्पनी ने प्रारंभिक पब्लिक ऑफर या आगे पब्लिक ऑफर (जिसमें ऋण दस्तावेज शामिल हैं) और आवधिक लोन के माध्यम से ध्यान इकट्ठा नहीं किया है, इसलिए इस क्लॉज का पैरा लागू नहीं है।

10. विभिन्न लेनदेनों में धोखाधड़ी की जानकारी मिली है जिन्हें कुछ अधिकारियों और कर्मचाररियों द्वारा किया गया है। पुलिस को की गई रिपोर्ट की राशि इस प्रकार है:

    1) 301.07 लाख रुपये (241.52 लाख और 59.55 लाख रुपये) जिनका पता वित्त वर्ष 2016–17 के चौथे क्वार्टर में चला।

    2) 189.07 लाख रुपये की धोखाधड़ी का पता वित्त वर्ष 2019–20 के पहले क्वार्टर में चला।

    कुल महत्वपूर्ण लेनदेन 2,926.00 लाख रुपये का हुआ जिसमें (1) और (2) शामिल हैं जिसे संदेहास्पद विश्वसनीयता का नाम दिया जा सकता है (नोट संख्या 29–2 (ज) और (झ) को देखें)

11. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (12) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

12. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए सीएआरओ, 2016 के आदेश के खंड 3 (12) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

13. हमारे संबंधित पार्टी के साथ कंपनी के लेन–देन की जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां नोट अनुसूची में संख्या –34 जो वित्तीय विवरण का एक भाग है, में संबंधित पार्टी लेनदेन के लागू और संबंधित पक्ष के साथि लेनदेन का विवरण दिया गया है।

14. कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों का कोई तरीजीह आबंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है या पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्रों का आबंटन नहीं किया है। तदनुसार आदेश के अनुच्छेद 3 (14) के प्रावधान इस कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

15. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के अंतर्गत शामिल किए गए निदेशकों या व्यक्तियों के साथ कोई भी गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है।

16. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 1ए के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(16) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है ।

एमएल पुरी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स के लिए
एफआरएनः 002312एन

अधोहस्ताक्षरी
सीए राजेश चंद गुप्ता
(हिस्सेदार)
एम.न.: 095584

दिनांकः 25 मई 2019
स्थानः नई दिल्ली

31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एकल आधार पर वित्तीय विवरणों पर एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों को सम तिथि को स्वतंत्र ऑडिटरों की रिपोर्ट का सलंग्नक 2

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष को एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों का ऑडिट किया और साथ ही उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कम्पनी की एकल आधार पर वित्तीय विवरणों का भी ऑडिट किया।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटैंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर जारी निर्देश नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर कम्पनी आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उनका रखरखाव करने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के नीतियों के पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से चल रहे थे। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लेखा रिकॉर्ड्स की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयार थी।

ऑडिटरों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व है हमारे ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना। हमने हमारा ऑडिट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग मानकों के अनुसार किया है और उसे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लागू होते हैं और दोनों को आईसीएआई द्वारा जारी किया जाता है। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट में यह अनिवार्य है कि हम नैतिक आवश्यकताओं की अनुपालना करें और ऑडिट को यह सुनिश्चित करने के लिए तर्कपूर्ण विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए नियोजित और पूरा किया जाता है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया और बनाए रखा गया और क्या इस प्रकार के नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से काम कर रहे थे। हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके परिचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, महत्वपूर्ण कमी के जोखिम का आकलन करना शामिल, और यह मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करता है। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरण ों के गलत मूल्यांकन के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण हो। हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन को वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार रिकॉर्ड किया गया है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के बारे में समय पर पता लगाने या उचित विवरण प्रदान करने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करता है जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रण की सांठ गांठ या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतियाँ हो सकती हैं और उनका पता न लगने की संभावना होती है। इसके अलावा, भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अंतर्गत आते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर निम्न हो सकता है।

राय

हमारी राय में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली कमजोर है और इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटैंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित महत्वपूर्ण घटकों पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में सुधार की आवश्यकता है।

एमएल पुरी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स के लिए
एफआरएनः 002312एन

अधोहस्ताक्षरी
सीए राजेश चंद गुप्ता
(हिस्सेदार)
एम.न.: 095584

दिनांकः 25 मई 2019
स्थानः नई दिल्ली

स्वतंत्र ऑडिटरों की रिपोर्ट का सलंग्नक 3

वर्ष 2018–19 से लागू कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत दिशानिर्देश

भारत के लेखा नियंता और महा लेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत वर्ष 2018–19 के लिए एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के वार्षिक खातों के ऑडिट के दौरान संविधिक ऑडिटरों द्वारा जांच किए जाने वाले क्षेत्रों को दर्शाते हुए निर्देश/उप–निर्देश

निर्देश	उठाए गए कदम	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1. क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थों, यदि कोई है, के साथ साथ आईटी सिस्टम से बाहर खातों के लेनदेन की प्रक्रिया के खातों की विश्वसनीयता के निहितार्थों का वर्णन किया जा सकता है।	कम्पनी के पास लेखांकन आधारित ईआरपी का केंद्रीकृत सिस्टम है लेकिन प्रत्येक परियोजना के लिए अलग ट्रायल तैयार किए जाते हैं। कम्पनी अंतर–इकाई(प्रोजेक्ट) का रखरखाव की पॉलिसी का पालन नहीं करती जिसके कारण धोखाधड़ी हो सकती है और ग्राहकों के खातों का मिलना नहीं होता। इसके अलावा मिलान ईआरपी से बाहर भी किए जा सकते हैं और इसलिए कुछ प्रविष्टियां मिलान से छूट जाती हैं। संचित ब्याज का मिलान नियमित आधार पर नहीं होता, जो लेखांकन सिस्टम में प्रमुख कमियां हैं। (नोट संख्या–26, 29–II (घ और ड़) देखें।	इस स्तर पर सम्पूर्ण प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। प्रभाव को केवल उस समय सुनिश्चित किया जा सकता है जब संदेहास्पद लेनदेनों की पहचान की जाती है।
2. क्या कम्पनी की लोन चुकाने की अयोग्यता के कारण उधारदाता द्वारा एक वर्तमान ऋण या छूट/ऋणों/लोनों/ब्याज आदि को बट्टेखाते की पुनःसंरचना की गई है? यदि हां तो अंतिम प्रभाव का उल्लेख किया जा सकता है।	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार ऋणों/लोनों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते डालने का कोई मामला नहीं है।	शून्य

क्या केंद्र/राज्य की एजेंसियों से विशेष योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य फंडों को उचित प्रकार से इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया था? उलंघनों के मामलों का उल्लेख करें।	मंत्रालय से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए फंडों को प्राप्त किया गया है। वर्ष के अंत में मंत्रालय के खाते में बकाया बैलेंस के संबंध में हमारे पास कोई पुष्टि नहीं है। हमें यह जानकारी दी गई है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान मंत्रालय के साथ कोई मिलान नहीं किया गया है। (मुख्य रिपोर्ट की योग्य राय के आधार के बिंदु नं. 2, 3 और 4 को देखें)।	पुष्टि के वर्ष में इसका ध्यान रखा जाएगा और इसलिए फंड के उपयोग की पुष्टि केवल परियोजना के स्वामी/मंत्रालय की प्राप्ति पर ही की जा सकती है।

एमएल पुरी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स के लिए
एफआरएनः 002312एन

अधोहस्ताक्षरी
सीए राजेश चंद गुप्ता
(हिस्सेदार)
एम.न.: 095584

दिनांकः 25 मई 2019
स्थानः नई दिल्ली

31 मार्च 2019 को एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के ऑडिटरों की रिपोर्ट के आधार पर समेकित वित्तीय विवरण पर संविधिक ऑडिटर की योग्यता के संबंध में प्रबंधन का जवाब

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>ऑडिटर की टिप्पणी</th><th>प्रबंधन का जवाब</th></tr>
<tr><td>1</td><td>निम्नलिखित बैंकों का मिलान बकाया है, इसलिए मिलान रहित बैंक बैलेंस का प्रभाव कम्पनी के लाभ और हानि व बैलेंस शीट पर होगा, जिसका अनुमान वर्तमान में नहीं लगाया जा सकता।
<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>बैंक का नाम</th><th>शाखा</th><th>परियोजना जिसके साथ संबंध है (प्रोजेक्ट नं.)</th><th>खाता नम्बर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>इंडियन ओवरसीज बैंक</td><td>सेक्टर–1 ए नोएडा</td><td>आयुष नई दिल्ली</td><td>172502000000644</td></tr>
<tr><td>2</td><td>इंडियन ओवरसीज बैंक</td><td>सेक्टर–1 ए नोएडा</td><td>एचएससीसी बैंक खाता</td><td>172502000000151</td></tr>
<tr><td>3</td><td>इंडियन ओवरसीज बैंक</td><td>सेक्टर–1 ए नोएडा</td><td>एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड</td><td>172502000000331</td></tr>
<tr><td>4</td><td>एसबीआई</td><td>सेक्टर–1 ए नोएडा</td><td>एम्स का नया ओपीडी ब्लॉक</td><td>34930766338</td></tr>
<tr><td>5</td><td>इंडियन ओवरसीज बैंक</td><td>सेक्टर–1 ए नोएडा</td><td>पीएमएसएसवाई जीटीबी अमृतसर</td><td>172501000017019</td></tr>
<tr><td>6</td><td>इंडियन ओवरसीज बैंक</td><td>सेक्टर–1 ए नोएडा</td><td>तेजपुर एलजीबीआरआईएमएस</td><td>172501000017325</td></tr>
<tr><td>7</td><td>एचडीएफसी</td><td>सेक्टर–26 नोएडा</td><td>एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड</td><td>502000011829157</td></tr>
</table></td><td>कम्पनी ने उक्त तिथि को सात मिलान रहित बैंकों में से पांच का मिलान कर लिया है। शेष दो मिलान रहित बैंकों के साथ उचित फोलो अप और कॉम्युनिकेशन्स किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>बैंकों से प्राप्य ब्याज, रिटेंशन मनी अकाउंट, ग्राहक जमा निधियां, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, ईएमडी, सिक्युरिटी जमा (प्राप्य और देय दोनों), मंत्रालयों के बैलेंस, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और अन्य राज्य करों के संबंध में ग्राहक और सरकार के शुल्कों की पुष्टि और मिलान नहीं किया गया है। मिलान न किए गए बैलेंसों का कम्पनी के लाभ और हानि व बैलेंस शीट पर प्रभाव होगा जिसका अनुमान वर्तमान में नहीं लगाया जा सकता।</td><td>एचएससीसी ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पीएसयू से कार्यों को प्राप्त किया है। लेखांकन कार्यव्यवहारों के अनुसार गाहकों से बैलेंस की पुष्टि कम्पनी द्वारा की जा रही है। प्रबंधन की राय है कि वह वित्त वर्ष 2019–20 में पर्याप्त बैलेंस की पुष्टि कर पाएगा।</td></tr>
</table>

क्रम संख्या	ऑडिटर की टिप्पणी	प्रबंधन का जवाब
3	आंतरिक नियंत्रण तंत्र, जिसमें सभी लेनदेनों की जांच और पुष्टि की आवश्यकता है जिसमें कम्पनी द्वारा एफडीआर में किए गए स्थायी जमा पर ब्याज, संचित ब्याज और लिक्विड फंड और ठेकेदारों को सुरक्षित अग्रिमों का समय पर लेखांकन और समयोजन, ठेकेदारों और पेशेवरों को अंतरिम बिलों का भुगतान, व्यय, आय और खातों बैंक लेनदेन शामिल है, कमजोर पाया गया है और इसलिए हानियों की संभावना को बढाता है जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। (वित्तीय विवरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण)	आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की योग्यता के संबंध में कम्पनी अपने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को मजबूत करने की प्रक्रिया में है। कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का प्राथमिक मूल्यांकन बाहरी एजेंसी द्वारा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त विस्तृत परीक्षण और मजबूत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए चार्टर्ड अकाउंटैंट्स की एक फर्म को नियुक्त करने की प्रक्रिया प्रस्तावित है।
4	कुछ परियोजनाएं हैं जो पूरी हो चुकी हैं और मंत्रालय/ग्राहक को सौंप दी गई हैं लेकिन इन कम्पनी के खातों में इनका वित्तीय समापन नहीं किया गया है। इसके अलावा कुछ परियोजनाएं हैं जो पूरी हो चुकी हैं लेकिन उनका अधिग्रहण नहीं किया गया है। इसका लाभ और हानि खाते पर प्रभाव उस वर्ष में होगा जिसमें वित्तीय समापन किया जाएगा।	यह महसूस किया जाता है कि भौतिक रूप से समाप्त परियोजन का समापन वर्तमान वित्तीय वर्ष में संभवतः पूरा किया जाएगा

अधोहस्ताक्षरी

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 7 अगस्त 2019

सीएस गुप्ता
;सीएफओद्ध

31 मार्च 2019 को बैलेंस शीट

(रुपये लाखों में)

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
I.	**सम्पत्तिय**				
	1. गैर चालू सम्पत्तियां				
	(क) प्रोप्रटी, प्लांट और उपकरण	2	7,494.15	681.86	691.94
	(ख) अमूर्त सम्पत्तियां	3	2.09	6.25	7.13
	(ग) विकास के अंतर्गत अमूर्त सम्पत्तियां	4	13.16	13.16	6.21
	(घ) वित्तीय सम्पत्तियां				
	(i) अन्य वित्तीय सम्पत्तियां	5	32.73	35.58	37.01
	(ङ) आस्थगित कर सम्पत्तियां (शुद्ध)	6	3,950.02	5,133.40	4,384.94
			11,492.15	5,870.25	5,127.23
	2. चालू सम्पत्तियां				
	(क) वित्तीय सम्पत्तियां				
	(i) व्यापार प्राप्य राशियां	7	8,534.19	11,027.57	6,965.88
	(ii) नकद और नकद तुल्य	8	19,663.88	10,159.06	17,148.56
	(iii) अन्य बैंक बैलेंस	9	2,58,419.63	2,12,691.63	1,44,499.29
	(iv) अन्य वित्तीय सम्पत्तियां	10	24,923.94	43,443.75	44,325.41
	(ख) चालू कर सम्पत्तियां (शुद्ध)	11	568.49	622.42	356.44
	(ग) अन्य चालू सम्पत्तियां	12	22,746.22	19,985.78	15,802.80
			3,34,856.35	**2,97,930.21**	**2,29,098.38**
	कुल सम्पत्तियां		**3,46,348.50**	**3,03,800.46**	**2,34,225.61**
II.	**इक्विटी और देनदारियां**				
	1. इक्विटी	13			
	(i) इक्विटी शेयर पूंजी		180.01	180.01	240.02
	(ii) अन्य इक्विटी		13,690.19	10,063.87	13,959.81
	कुल इक्विटी		13,870.20	10,243.88	14,199.83
	कुल इक्विटी				
	2. देनदारियां –				
	चालू देनदारियां				
	(क) प्रावधान	14	960.94	870.13	741.25
			960.94	870.13	741.25
	चालू देनदारियां				
	(क) वित्तीय देनदारियां				
	(i) व्यापार देय	15			
	–माइक्रो और छोटे उपक्रमों का काया		760.04	-	-
	–क्रेडिटरों का बकाया माइक्रो और दोटे उपक्रमों के अलावा		68,019.64	39,072.43	19,140.02
	(ii) अन्य वित्तीय देनदारियां	16	43,570.74	58,587.61	60,952.20
	(ख) अन्य चालू देनदारियां	17	2,15,353.34	1,91,197.65	1,35,535.10
	(ग) प्रावधान	18	3,813.60	3,828.76	3,657.21
			3,31,517.36	2,92,686.45	2,19,284.53
	कुल इक्विटी और देनदारियां		**3,46,348.50**	**3,03,800.46**	**2,34,225.61**

महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकरण सूचना नोट 1 से 41

निदेशक बोर्ड के लिए और बोर्ड की तरफ से

अधोहस्ताक्षरी/–
(ज्ञानेश पांडे)
महानिदेशक
(डीआईएनः 03555957)

अधोहस्ताक्षरी/–
(नंदिता गुप्ता)
निदेशक/संयुक्त निदेशक
(डीआईएनः 02410865)

अधोहस्ताक्षरी/–
(चंद्र शेखर गुप्ता)
जीएम (एफएण्डए)

अधोहस्ताक्षरी/–
(अजय सूरी)
डीजीएम (एफएण्डए)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25 मई 2019

संलग्न सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
एम.एल. पुरी एण्ड कम्पनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स
(आईसीएआई फर्म रजि. नं.: 002312एन)
अधोहस्ताक्षरी/–
राजेश चंद गुप्ता
हिस्सेदार
सदस्यता संख्या. 095584

31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रुपये लाखों में)

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
I.	संचालनों से आय			
	सेवाओं का मूल्य	19	204,946.25	150,352.00
	अन्य संचालन आय	20	1,381.18	196.38
II.	अन्य आय		776.35	822.65
III.	**कुल आय (I + II)**		**207,103.78**	**151,371.03**
IV.	**व्ययः**			
	कार्य और परामर्श व्यय	22	194,317.88	141,684.61
	कर्मचारी लाभ व्यय		3,948.28	3,895.03
	ह्रास और ऋणशोधन व्यय	24	43.63	78.40
	अन्य व्यय			1,994.43
	ऋण माफी			-
	कुल व्यय (IV)		**199,154.56**	**147,652.47**
V.	**अपवाद मदों और करों से पहले लाभ (III-IV)**		**7,949.22**	**3,718.56**
VI.	अपवाद मद			(13.46)
VII.	कर से पहले लाभ (V-VI)		7,949.22	3,705.10
VIII	कर व्यय रू			
	(1) चालू कर			2,095.79
	(2) आस्थगित कर			(748.46)
	(3) पिछले वर्षों के संबंध में कर		202.87	-
IX.	अवधि के लिए लाभ/हानि (VII-VIII)	(VII-VIII)	**4,981.37**	**2,357.77**
X.	अन्य व्यापक आय			
	(i) मदें जिनका मिलान लाभ और हानि से नहीं होगा		-	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ/हानि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
XI.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (IX+X)		**4,981.37**	**2,357.77**
XVI.	प्रति शेयर आय (प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य 100 रु.)	28		
	(1) बेसिक (रु. में)			**1,047.82**
	(2) मिश्रित (रु. में)			**1,047.82**

महत्वपूर्ण लेखा पॉलिसी का सरांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना नोट 1 से 41

निदेशक बोर्ड के लिए और बोर्ड की तरफ से

अधोहस्ताक्षरी/–
(ज्ञानेश पांडे)
महानिदेशक
(डीआईएनः 03555957)

अधोहस्ताक्षरी/–
(नंदिता गुप्ता)
निदेशक/संयुक्त निदेशक
(डीआईएनः 02410865)

अधोहस्ताक्षरी/–
(चंद्र शेखर गुप्ता)
जीएम (एफएण्डए)

अधोहस्ताक्षरी/–
(अजय सूरी)
डीजीएम (एफएण्डए)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25 मई 2019

संलग्न सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
एम.एल. पुरी एण्ड कम्पनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स
(आईसीएआई फर्म रजि. नं.: 002312एन)
अधोहस्ताक्षरी/–
राजेश चंद गुप्ता
हिस्सेदार
सदस्यता संख्या. 095584

31 मार्च 2019 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपये लाखों में)

विवरण	रिपोर्टिंग अवधि के शुरू में बैलेंस	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बैलेंस
31 मार्च 2018 को बैलेंस	240.02	(60.00)	**180.01**
31 मार्च 2019 को बैलेंस	180.01	-	**180.01**

ख. अन्य इक्विटी

(रुपये लाखों में)

विवरण	रिजर्व और सरप्लस			कुल
	सामान्य रिजर्व	पूंजी ऋणशोधन रिजर्व	प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल 2017 को बैलेंस	**3,195.54**	-	**10,764.27**	**13,959.81**
अवधि के लाभ	-	-	2,357.77	2,357.77
पुनः खरीद विप्रेषण	-	-	(4,895.73)	(4,895.73)
भुगतान किया गया लाभांश जिसमें लाभांश वितरण कर शामिल है	-	-	(1,357.98)	(1,357.98)
प्रतिधारित आय से ट्रांसफर	200.00	-		200.00
पूंजी ऋणशोधन रिजर्व का सृजन	(60.00)	60.00	-	-
31 मार्च 2018 को बैलेंस	3,335.54	60.00	6,868.33	10,263.87
अवधि के लिए लाभ	-		4,981.37	4,981.37
लाभांश का भुगतान जिसमें अंतरिम लाभांश और लाभांश वितरण कर शामिल है	-	-	(1,355.06)	(1,355.06)
31 मार्च 2019 को बैलेंस	**3,335.54**	**60.00**	**10,494.64**	**13,890.18**

महत्वपूर्ण लेखा पॉलिसी का सरांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना नोट 1 से 41

निदेशक बोर्ड के लिए और बोर्ड की तरफ से

अधोहस्ताक्षरी/–
(ज्ञानेश पांडे)
महानिदेशक
(डीआईएनः 03555957)

अधोहस्ताक्षरी/–
(नंदिता गुप्ता)
निदेशक/संयुक्त निदेशक
(डीआईएनः 02410865)

अधोहस्ताक्षरी/–
(चंद्र शेखर गुप्ता)
जीएम (एफएण्डए)

अधोहस्ताक्षरी/–
(अजय सूरी)
डीजीएम (एफएण्डए)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25 मई 2019

संलग्न सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
एम.एल. पुरी एण्ड कम्पनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स
(आईसीएआई फर्म रजि. नं.: 002312एन)
अधोहस्ताक्षरी/–
राजेश चंद गुप्ता
हिस्सेदार
सदस्यता संख्या. 095584

31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रुपये लाखों में)

	विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
क.	संचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
	कर और विशेष मदों से पहले शुद्ध लाभ	7,949.23	3,705.10
	निम्न के लिए समायोजनरू		
	सम्पत्ति, प्लांट और उपकरण का ह्रास	38.80	75.22
	अमूर्त सम्पत्तियों पर ऋणशोधन	4.83	3.18
	सम्पत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि (शुद्ध)	-	(0.04)
	ब्याज से आय	(776.35)	(792.12)
	क्रियाशील पूंजी में परिवर्तनों से पहले क्रियाशील लाभ	**7,216.50**	**2,991.34**
	निम्न के लिए समायोजनः		
	अन्य वित्तीय सम्पत्ति में घटोतरी/बढोतरी (गैर–चालू)	2.85	1.43
	व्यापारिक प्राप्य राशियों में घटोतरी/बढोतरी	2,493.38	(4,061.69)
	अन्य वित्तीय सम्पत्तियों (चालू) में घटोतरी/बढोतरी	18,520.00	883.88
	अन्य चालू सम्पत्तियों में घटोतरी/बढोतरी	(2,760.44)	(4,182.98)
	प्रावधानों–गैर चालू में घटोतरी/बढोतरी	90.81	128.88
	व्यापार प्राप्य राशियों में घटोतरी/बढोतरी	29,707.25	19,932.41
	अन्य वित्तीय देनदारियों (चालू) में घटोतरी/बढोतरी	(15,016.87)	(2,364.59)
	प्रावधान–चालू, में घटोतरी/बढोतरी	(15.16)	171.55
	अन्य चालू देनदारियों में घटोतरी/बढोतरी	24,155.69	55,662.55
	विशिष्ट आइटमों से पहले संचालनों से प्राप्त नकद	**64,394.01**	**69,162.79**
	प्रत्यक्ष कर का भुगतान	(1,730.55)	(2,361.77)
	संचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद (क)	**62,663.46**	**66,801.01**
ख.	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाहः		
	प्राप्रटी, प्लांट और उपकरण की खरीद	(6,851.09)	(65.17)
	प्रोप्रटी, प्लांट और उपकरण की बिक्री		0.07
	अमूर्त सम्पत्तियों की खरीद		(2.30)
	विकास के अंतर्गत अमूर्त सम्पत्तियों की खरीद	-	(6.95)
	3 माह से अधिक मूल परिपक्वता वाले फ्लेक्सी डिपोजिट	(13,124.80)	9,476.66
	3 माह से अधिक और 12 माह तक क मूल परिपक्वता वाले स्थायी जमा	(31,180.99)	(77,883.13)
	प्राप्त ब्याज ;स्रोत पर घटाया गया शुद्ध कर)	(646.05)	1,004.03
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद (ख)	**(51,803.60)**	**(67,476.79)**
ग.	वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	भुगतान किया गया लाभांश	(1,355.06)	(1,357.98)
	शेयरों की पुनः खरीद	-	(4,955.73)
	वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह (ग)	**(1,355.06)**	**(6,313.71)**
	नकद में शुद्ध बढोतरी और नकद समराशि में शुद्ध बढोतरी (क)+(ख)+(ग)	**9,504.80**	(6,989.49)
	नकद और नकद समकक्ष–ऑपनिंग	**10,159.06**	17,148.56
	नकद और नकद समकक्ष–क्लोंजिंग	**19,663.86**	10,159.07

	विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
i)	नकद और नकद समकक्ष में निम्न शामिल हैं:		
	चालू खातों में बैंकों में बैलेंस	**3,131.72**	3,106.82
	हाथ में नकदी	**0.05**	0.05
	मंत्रालयों / ग्राहकों की तरफ से		
	बैंकों में बचत खातों में बैलेंस	**16,532.11**	7,052.20
		19,663.88	**10,159.07**

ii) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े बाहर जोन वाली नकदी को दर्शाते हैं

निदेशक बोर्ड के लिए और बोर्ड की तरफ से

अधोहस्ताक्षरी / –
(ज्ञानेश पांडे)
महानिदेशक
(डीआईएन: 03555957)

अधोहस्ताक्षरी / –
(नंदिता गुप्ता)
निदेशक / संयुक्त निदेशक
(डीआईएन: 02410865)

अधोहस्ताक्षरी / –
(चंद्र शेखर गुप्ता)
जीएम (एफएण्डए)

अधोहस्ताक्षरी / –
(अजय सूरी)
डीजीएम (एफएण्डए)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 मई 2019

संलग्न सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
एम.एल. पुरी एण्ड कम्पनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स
(आईसीएआई फर्म रजि. नं.: 002312एन)
अधोहस्ताक्षरी / –
राजेश चंद गुप्ता
हिस्सेदार
सदस्यता संख्या. 095584

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नितियां

1.1 प्रमुख गतिविधियों की प्रकृति

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड भारत सरकार की एक मिनी रत्न (श्रेणी –1 कंपनी) है जो भारत और विदेश में स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के लिए परामर्श और निष्पादन एजेंसी के रूप में पेशेवर सेवाओं की व्यापक रेंज प्रदान करती है जिसमें अवधारणा पक्ष भी शामिल है। इसमें अध्ययन, प्रबंधन परामर्श, परियोजना प्रबंधन, रसद और स्थापना, खरीद, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और इंजीनियरिंग और हेल्थकेयर सुविधा डिजाइन, आदि शामिल हैं।

1.2 भारतीय लेखा मानकों की अनुपालन की सामान्य जानकारी और स्थिति

नई दिल्ली में मुख्य कार्यालय के साथ कम्पनी भारत में निगमित और रिहायसी है। कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है।

ये कम्पनी के प्रथम वित्तीय विवरण हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। (भारतीय लेखा मानकों की अुनापलना की व्याख्या के लिए नोट 41 को देखें)

कम्पनी का एनबीसीसी को रणनितिक विनेवेश का निर्णय भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या एफ. नं. 3/8/2016–डीआईपीएएम–2–ए दिनांक 13 सितम्बर 2018 और डीओ नं. 3/8/2016–डीपीआईएम–2ए दिनांक 13 सितम्बर 2018 के माध्यम से लिया गया था। प्रबंधन नियंत्रण सहित कम्पनी की 100 प्रतिशत चूकता इक्विटी शेयर पूंजी को एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को 285 करोड़ रुपये की कीमत पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

जब तक अन्यथा नहीं कहा जाता है, तब तक सभी राशि लाखों रुपए में व्यक्त की गई हैं।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए विवरणों को 25 मई 2019 निदेशक मंण्डल द्वारा जारी करने के लिए अधिकृत और अनुमोदित किया गया था।

1.3 महत्वपूर्ण लेखांकन नितियों का सरांश

वित्तीय विवरणों को नीचे दी गई लेखांकन नीतियों और मापन के आधार का उपयोग करके तैयार किया गया है।

1.3.1 विदेशी मुद्रा स्थानांतरण

कार्यात्मक और प्रस्तुतिकरण मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन और शेष

विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिपोर्टिंग मुद्रा में दर्ज किया गया है, लेनदेन की तिथि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विदेशी मुद्रा राशि को लागू किया गया है।

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं का पुनः रूपांतरण किया जाता है। गैर–मौद्रिक वस्तुएं जो एक विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्धित ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापी जाती हैं, लेनदेन की तिथ कों विनिमय दर का उपयोग करके सूचित की गई हैं।

मौद्रिक वस्तुओं के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, या कंपनी की ऐसी मौद्रिक वस्तुओं की दरों

पर रिपोर्ट करने पर, जिनसे वे शुरू में वर्ष के दौरान दर्ज किए गए थे, या पिछले वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए थे, वर्ष में आय/व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, जिस वर्ष में वे उत्पन्न हुए हैं। जहां ऐसे लेनदेन ग्राहकों की ओर से होते हैं, वहां लाभ/हानि संबंधित ग्राहकों के खातों में स्थानांतरित कर दी जाती है

1.3.2 राजस्व पहचान

कंपनी मुख्य रूप से परियोजना प्रबंधन परामर्श और खरीद सेवाओं से राजस्व प्राप्त करती है। राजस्व एक ग्राहक के साथ एक अनुबंध में निर्दिष्ट अवधारणा के आधार पर मापा जाता है और तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को बाहर रखा जाता है। जब ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा पर नियंत्रण स्थानांतरित करता है तो कंपनी राजस्व की मानती है।

क) परियोजना प्रबंधन परामर्श

पीएमसी अनुबंधों के मामले में, कंपनी भू–तकनीकी जांच, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, संसाधन–नियोजन, विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करने और कार्यों के निष्पादन की निगरानी आदि जैसे कार्य करती है। इन सेवाओं से संबंधित विभिन्न तत्वों के बीच अधिक अपासी निर्भरता के कारण, उन्हें एक एकल प्रदर्शन दायित्व के रूप में जाना जाता है और राजस्व को मापने की इनपुट पद्धति के आधार पर पहचान जाता है, जैसा कि ग्राहक प्राप्त करता है और एक साथ लाभों का उपयोग करता है।

डिजाइन, इंजीनियरिंग, अध्ययन, डीपीआर, एमओयू, प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में राजस्व को उन लागत की इनपुट विधि के आधार पर अवधि के दौरान आय के रूप में पहचाना जाता है जिसके लिए ग्राहक के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार शुल्कों के संबंध में प्रस्तूत किया जाता है।

ख) खरीद सेवा

कंपनी ग्राहक की ओर से संपत्ति खरीदने का व्यापार करती है और राजस्व को मापन प्रगति की इनपुट विधि के आधार पर एक समय के आधार पर पहचाना जाता है, क्योंकि कम्पनी के पास विश्वसनीय अनुमान लगाने की योग्यता है, जो समान तंत्र में इसके महत्वपूर्ण एतिहासिक अनुभव से प्राप्त होते हैं। राजस्व में शामिल हैं:

1. वह कार्य, जिसके लिए केवल आशय पत्र प्राप्त हुए हैं, हालांकि, औपचारिक अनुबंध/समझौते निष्पादन की प्रक्रिया में हैं।

2. ग्राहक द्वारा लंबित प्रमाणन द्वारा कंपनी द्वारा निष्पादित और मापा गया कार्य

3. कार्य का जिसका निष्पादन हो चुका है लेकिन उसे मापा नहीं गया/आंशिक रूप से निष्पादित किया गया है, जो इंजीनियरिंग अनुमान पर आधारित है।

4. अतिरिक्त/विस्थापित आइटम और दावे जो ग्राहकों के विरुध जो नकदी में परिवर्तन योग्य सीमा में होते हैं।

1.3.3 अन्य आय

ब्याज से प्राप्त आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए संचित आधार पर सूचित किया जाता है। अल्प अवधि में प्राप्य ठेकेदारों को दिया गया गतिशीलता अग्रिम पर ब्याज आय को साधारण ब्याज विधि से पहचाना जाता है जो प्रभावी ब्याज दर का अनुमान लागता है। ठेकेदारों को दिए गए गतिशील अग्रिम पर ब्याज से प्राप्त शुद्ध आय का अनुमान गतिशील अग्रिमों पर ग्राहक को देय ब्याज से लगाया जाता है।

ग्राहक की तरफ से बैंकों में जमाओं पर ब्याज से प्राप्त आय को इस प्रकार के जमाओं पर ग्राहकों को देय ब्याज से निकला जाता है।

1.3.4 अमूर्त सम्पत्तियां

मान्यता

अमूर्त सम्पत्तियों को शुरू में उनकी खरीद की लागत पर मापा जाता है। लागत में खरीद कीमत, उधार लेने की कीमत यदि पूंजीकरण मानकों को पूरा किया जाता है और सम्पत्ति को वांछित प्रयोग के लिए कार्य की अवस्था में लाने में लगने वाली लागत शामिल है। खरीद लागत निकालने के लिए व्यापारिक छूट और रिबेट को घटाया जाता है।

भारतीय लेखा मानकों को अपनाए जाने के बाद कम्पनी ने कम्पनी ने 1 अप्रैल 2017 को इसकी सभी अमूर्त सम्पत्तियों के ढुलाई मूल्य को बनाए रखने का विकल्प निरंतर जारी रखा है जिसे पीछले जीएएपी के अनुसार मापा जाता है और उस ढुलाई मूल्य को अमूर्त सम्पत्तियों की लागत के रूप में प्रयोग किया है।

बाद में मापन (परिशोधन)

अमूर्त सम्पत्तियों का परिशोधन सीधी रेखा विधि से चार्ज किया जाता है जिसका आधार प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित और अनुमोदित सम्पत्तियों के उपयोगी जीवन के संदर्भ में मापी की गई दर होता है।

सम्पत्ति श्रेणी	अनुमानित उपयोगी जीवन (वर्षों में)
अमूर्त सम्पत्तियां कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3 वर्ष

मान्यता समाप्त करना

अमूर्त सम्पत्ति या कोई भी महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे शुरू में मान्यता प्रदान की जाती है तो उसे डिस्पोज करने के बाद या इसके प्रयोग या डिस्पोजल का कोई भावी आर्थिक लाभ नहीं रह जाता है तो उसकी मान्यत खत्म कर दी जाती है। संपत्ति की मान्यता खत्म करने पर उत्पन्न कोई भी लाभ या हानि (शुद्ध निपटान आय और सम्पत्ति की ढुलाई राशि के बीच के अंतर के रूप में गणना की जाती है) को लाभ और हानि खाते के विवरण में शामिल किया जाता है।

1.3.5 प्रोप्रटी, प्लांट और उपकरण

मान्यता

प्रोप्रटी, प्लांट और उपकरण का विवरण उनकी खरीद लागत पर दिया जाता है। लागत में खरीद मूल्य, उधार लेने की लागत शामिल है यदि पूंजीकरण मानदंड पूरा किया गया है और प्रत्यक्ष रूप से उस सम्पत्ति को उसके उपयोग की स्थिति में लाने में लगी संबंधित लागत शामिल है। खरीद लागत निकालने के लिए व्यापारिक छूट और रिबेट को घटाया जाता है।

भारतीय लेखा मानकों को अपनाए जाने के बाद कम्पनी ने कम्पनी ने 1 अप्रैल 2017 को इसकी सभी अमूर्त सम्पत्तियों के ढुलाई मूल्य को बनाए रखने का विकल्प निरंतर जारी रखा है जिसे पीछले जीएएपी के अनुसार मापा जाता है और उस ढुलाई मूल्य को अमूर्त सम्पत्तियों की लागत के रूप में प्रयोग किया है।

बाद में मापन (मूल्य ह्रास)

प्रोपर्टी, प्लांट और उपकरण का मूल्य ह्रास सीधी रेखा विधि से चार्ज किया जाता है जिसका आधार प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित और अनुमोदित सम्पत्तियों के उपयोगी जीवन के संदर्भ में मापी की गई दर होता है जिसे तकनीकी विशेषज्ञों की समीति और प्रबंधन द्वारा मापा जाता है या कम्पनी अधिनियम के शेड्यूल 2 के भाग ग के अंतर्गत निर्धारित उपयोगी जीवन के आधार पर प्राप्त दर के आधार पर मापा जाता है। निम्नलिखित उपयोगी मूल्यों का प्रयोग किया जाता है:

सम्पत्ति की श्रेणी	अनुमानित उपयोगी जीवन (वर्षों में)
भवन	
भवन (फैक्ट्री भवनों के अतिरिक्त)	60 वर्ष
अन्य (जिसमें अस्थायी संरचनाएं आदि शामिल हैं)	60 वर्ष
सिविल निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला प्लांट और मशीनें	03 वर्ष
फर्नीचर और फिटिंग	12 वर्ष
मोटर वाहन	10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	08 वर्ष
कंप्युटर और डाटा प्रोसेसिंग युनिट	05 वर्ष
सर्वर और नेटवर्क	06 वर्ष
अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए डिवाइस जैसे डेस्कटॉम, लैपटॉप आदि	03 वर्ष

प्रीमियम का भुगतान उस भूमि पर किया जाता है जहाँ पट्टे की शर्तों को निर्दिष्ट अवधि के लिए निष्पादित किया गया है, आनुपातिक रूप से पट्टे की अवधि से अधिक लिखा जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण व्यक्तिगत रूप से 10,000 रुपये तक की लागत के अधिग्रहण के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास कर रहे हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मूल्यह्रास के अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन और तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और उचित रूप से समायोजित की जाती है, यदि उपयुक्त हो।

मान्यता समाप्त करना

सम्पत्ति, प्लांट और उपकरण या कोई भी महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे शुरू में मान्यता प्रदान की जाती है तो उसे डिस्पोज करने के बाद या इसके प्रयोग या डिस्पोजल का कोई भावी आर्थिक लाभ नहीं रह जाता है तो उसकी मान्यत खत्म कर दी जाती है। संपत्ति की मान्यता खत्म करने पर उत्पन्न कोई भी लाभ या हानि (शुद्ध निपटान आय और सम्पत्ति की ढुलाई राशि के बीच के अंतर के रूप में गणना की जाती है) को लाभ और हानि खाते के विवरण में शामिल किया जाता है।

1.3.6 पट्टे

कम्पनी एक पट्टाधारी के रूप में

वित्तीय पट्टे

एक पट्टा जो सभी जोखिमों और पुरस्कारों को मूख्य रूप से कम्पनी को स्थानांतरित करता है उसे वित्तीय पट्टा कहा जाता है। वित्तीय पट्टे का पूंजीकरण पट्टे की शुरूआत होने की तिथि को प्रोपर्टी के उचित मूल्य पर किया जाता है या, यदि कम पर किया जाता है तो पट्टा भुगतान की वर्तमान न्यूनतम कीमत पर किया जाता है।

पट्टा भुगतान के ब्याज तत्व को पट्टे की अवधि के दौरान वित्तीय लागत के रूप में लाभ और हानि विवरण के लिए चार्ज किया जाता है। पट्टे पर दी गई सम्पत्ति का मूल्य ह्रास का आकलन सम्पत्ति के उपयोगी जीवन या पट्टा अवधि, जो भी कम हो, के दौरान जाता है।

क्रियाशील पट्टे

वे सम्पत्तियां जहां प्रमुख जोखिमों और पुरस्कारों के स्वामीत्व को पट्टादाता द्वारा अपने पास रखा जाता है उन्हें क्रियाशील पट्टे की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टे का किराया सीधी रेखा के आधार पर लाभ

और हानि विवरण में डाला जाता है, जहां किराए में बढोतरी को प्रत्याशित महंगाई लागतों के लिए पट्टादाता की भरपाई की जाती है।

1.3.7 गैर–वित्तीय सम्पत्तियों की क्षति

सम्पत्तियों की ढुलाई राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को जाती है जहां आंतरिक/बाह्य संकेतकों के आधार पर कोई भी क्षति होती है। एक क्षति के कारण हानि की पहचान लाभ और हानि के विवरण में की जाती है जहां ढुलाई की राशि सम्पत्तियों से प्राप्त होने वाली राशि से अधिक होती है। क्षति के कारण होने वाली हानि को वापिस किया जाता है, यदि रिकवर होने वाली राशि में बदलाव होता है और इस प्रकार की क्षति या तो अब नहीं होता या कम हो गया है या वे संकेत अब नहीं हैं जो क्षति की ओर इशारा करते थे।

1.3.8 वित्तीय उपकरण

आरंभिक पहचान और मापन

वित्तीय सम्पत्ति और वित्तीय देनदारियों को मान्यता दी जाती है जब कम्पनी वित्तीय उपकरण के अनुबंधात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है और उन्हें शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है जिसे लेनदेन लागतों के लिए समायोजित किया जाता है।

बाद में मापन

परिशोधित लागत पर ऋण उपकरण – एक ऋण उपकरण का आकलन परिशोधित लागत पर किया जाता है यदि निम्न दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है:

- संपत्ति एक व्यावसायिक मॉडल में रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करने के लिए संपत्ति रखना है, और
- परिसंपत्ति के संविदात्मक नियम नकदी प्रवाह के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर वृद्धि देते हैं जो मूल राशि पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) के एकमात्र भुगतान हैं।

प्रारंभिक आकलन के बाद इस तरह की वित्तीय अस्थियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय सम्पत्तियों की मान्यता समाप्त करना

एक वित्तीय सम्पत्ति मूल रूप से उस समय समाप्त की जाती है जब उस सम्पत्ति से नकद प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो जाते हैं या कम्पनी नकदी प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर देती है।

वित्तीय देनदारियां

प्रारंभिक पहचान और आकलन

सभी वित्तीय देनदारियों की पहचान शुरू में उचित मूल्य पर की जाती है और लेनदेन लागत जो वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण में आती है उसे भी समायोजित किया जाता है। वित्तीय देनदारियों को परिशोधित लागत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

बाद में आकलन

प्रारंभिक मान्यता के बाद इन देनदारियों को प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देनदारियों की मान्यता समाप्त करना

एक वित्तीय देनदारी को उस समय समाप्त किया जाता है जब देनदारी के अंतर्गत बाध्यता को डिस्चार्ज या रद्द कर दिया जाता है या वह एक्सपायर हो जाती है। तदनुसार निपटान रहित ऋण बैलेंस और बैंक गारंटी का पुनःलेखन संबंधित परियोजना के बंद होने पर किया जाता है या पहले किया जाता है जो प्रबंधन के पिछले अनुभव और प्रत्येक मामले के वास्तविक तथ्यों के आधार पर किया जाता है और उसे अन्य संचालन आय के रूप में दर्ज किया जाता है।

इसके अलावा जब एक उसी ऋणदाता द्वारा अलग शर्तों पर वित्तीय देनदारी को दूसरी द्वारा विस्थापित किया जाता है, या वर्तमान देनदारी की शर्तों को पर्याप्त रूप से बदल दिया जाता है, तो इस प्रकार का विनिमय या परिवर्तन मूल देनदारी का समापन माना जाता है और नई देनदारी का शुरू होना माना जाता है। संबंधित ढुलाई राशियों में अंतर को लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

वित्तीय उपकरणों का समायोजन

वित्तीय सम्पत्तियों और देनदारियों का समायोजन किया जाता है और शुद्ध राशि को बैलेंस शीट में दर्ज किया जाता है यदि मान्य राशियों को समायोजन करने का अधिकार कानूनी रूप से वर्तमान में लागू है और शुद्धता के आधार पर निपटान करने का इरादा होता है, ताकि सम्पत्तियों को नकदी में परिवर्तित किया जा सके और साथ ही देनदारियों का निपटारा किया जा सके।

1.3.9 वित्तीय सम्पत्तियों की हानि

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार कम्पनी वित्तीय सम्पत्तियों के लिए क्षति की आकलन औ पहचान के लिए अनुमानित क्रेडिट हानि (ईसीएल) प्रतिमान को लागू करती है।

ईसीएल, अनुबंध के अनुसार कम्पनी को देय सभी नकद राशियों और कम्पनी द्वारा प्राप्त होने वाली नकदी के बीच अंतर होता है। जब नकदी का आकलन किया जाता है तो कम्पनी निम्न पर विचार करती है:–

- सम्पत्तियों की प्रत्याशित आयु में वित्तीय सम्पत्तियों की सभी अनुबंध शर्तें (जिसमें भुगतान और विस्तार शामिल हैं)
- कोलेटरल की बिक्री या अन्य क्रेडिट बढ़ोतरी से प्राप्त नकद जो अनुबंध की शर्तों का भाग हैं।

व्यापार प्राप्य राशियां

एक व्यावहारिक समीक्षक के रूप में कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित हानि की मान्यता के लिए प्रावधान मैट्रिक्स पद्धति का उपयोग करके 'सरलीकृत दृष्टिकोण' को अपनाया है। प्रावधान मैट्रिक्स व्यापार प्राप्तियों के अपेक्षित जीवन के दौरान देखी गई तीन साल की औसत डिफॉल्ट दरों पर आधारित है और इसे आगे के अनुमानों के लिए समायोजित किया गया है। ये औसत डिफॉल्ट दरें व्यापार प्राप्तियों पर कुल क्रेडिट जोखिम पर लागू होती हैं और आजीवन अपेक्षित क्रेडिट घाटे का निर्धारण करने के लिए रिपोर्टिंग तिथि में एक वर्ष से अधिक समय तक बकाया रहती हैं।

अन्य वित्तीय संपत्तियां

अन्य वित्तीय संपत्तियों और जोखिम एक्सपोजर पर हानि की मान्यता के लिए कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यदि क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि हुई है, तो हानि प्रदान की जाती है।

1.3.10 आय कर

लाभ और हानि में मान्य कर व्यय में चालू कर और आस्थगित कर का योग शामिल है जिसे अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता नहीं है।

कर की गणना कर दरों और कर कानूनों पर आधारित होती है जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित आयकर की गणना बैलेंस शीट दृष्टिकोण का उपयोग करके की जाती है।

आस्थगित कर देयताएं आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त हैं।

आस्थगित कर अस्थियों को इस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभावित है कि अंतर्निहित कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट या कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग भविष्य की कर योग्य आय के विरुध किया जाएगा। इसका आकलन कंपनी के भविष्य के संचालन परिणामों के पूर्वानुमान के आधार पर किया जाता है, जो महत्वपूर्ण गैर–कर योग्य आय और व्यय के लिए समायोजित किया जाता है और किसी अप्रयुक्त कर हानि या क्रेडिट के उपयोग पर विशिष्ट सीमाएं निर्धारित करता है।

1.4 नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समकक्षों में हाथ में नकदी, बैंक खाते में शेष राशि, पारगमन में प्रेषण, हाथ में चेक और डिमांड डिपॉजिट, साथ में अन्य अल्पकालिक, अत्यधिक तरल निवेश (मूल परिपक्वता 3 महीने से कम) जो आसानी से ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं, शामिल हैं जो मूल्य में परिवर्तन के एक नगण्य जोखिम के अधीन हैं।

1.5 इक्विटी रिजर्व और लाभां"ा भुगतान

शेयर पूंजी जारी किए गए शेयरों के नाममात्र मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। शेयरों को जारी करने से संबंधित किसी भी लेनदेन की लागत को प्रतिधारित आय, संबंधित आय कर लाभों में से घटाया जाता है।

इक्विटी के अन्य घटकों में अन्य व्यापक आय (ओसीआई) शामिल है जो परिभाषित लाभ देयता के पुन; मूल्यांकन पर बीमांकिक लाभ या हानि से उत्पन्न होती है और योजना सम्पत्तियों पर वापस आती है।

प्रतिधारित आय में सभी मौजूदा और पूर्व अवधि शामिल हैं जो मुनाफे को बनाए रखते हैं। शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण उस अवधि में एक दायित्व के रूप में मान्य है जिसमें लाभांश शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित है। किसी भी अंतरिम लाभांश का भुगतान निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन पर मान्य होता है। लाभांश वितरण पर देय लाभांश और संगत कर सीधे इक्विटी में मान्य हैं।

1.6 बाद के रोजगार लाभ और अल्प अवधि के कर्मचारी लाभ

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित योगदान योजनाएं रोजगार के बाद की लाभ योजनाएं हैं, जिनके तहत एक इकाई एक अलग फंड में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और आगे के योगदान का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा, जो कि संबंधित कर्मचारी सेवाओं को प्राप्त होने वाली अवधि में एक व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त हैं।

(क) भविष्य निधि

भविष्य निधि योगदान पीएफ ट्रस्ट द्वारा प्रशासित एक ट्रस्ट को किया जाता है। ट्रस्ट के सदस्यों के लिए देय ब्याज दर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत केंद्र सरकार द्वारा घोषित

ब्याज की वैधानिक दर से कम नहीं होगी, और यदि कोई है, तो कंपनी द्वारा उसे सही किया जाएगा।

(ख) पेंशन योजना

निर्धारित योगदान योजनाओं जैसे कि सेवानिवृति योजना, कर्मचारी पेंशन योजना आदि के योगदान को कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के योगदान के आधार पर व्यय के रूप में लिया जाता है। कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान, प्रोविडेंट फंड के नियोक्ता के हिस्से से किया जाता है।

(ग) चिकित्सा सुविधा

कंपनी के पास चिकित्सा लाभ योजना है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित नियमित वेतनमान पर कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना को कंपनी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट 'एचएससीसी कर्मचारी मेडिकल फंड ट्रस्ट' द्वारा किया जाता है। ट्रस्ट में योगदान लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त है।

निर्धारित लाभ योजना

(क) भविष्यनिधिः

कंपनी सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ को भविष्यनिधि के रूप में प्रदान करती है। योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है, जिसका नाम है "एचएससीसी कर्मचारी ग्रैच्युटी फंड ट्रस्ट"। कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम से एक समूह ग्रेच्युटी सह जीवन बीमा पॉलिसी ली है। उसी के लिए देयता को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा देय राशि के आधार पर पहचाना जाता है, जिसकी गणना वार्षिक आधार पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक्चुरियल वैल्यूएशन पर की जाती है। निर्धारित लाभ योजनाओं के संबंध में सभी बीमांकिक लाभ और हानियां उस वर्ष के लाभ और हानि के के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें यह उत्पन्न होती है।

(ख) क्षतिपूरित अनुपस्थितिः

अर्जित अवकाश और आधा वेतन अवकाश के प्रति कंपनी की देयता, अनुमानित इकाई माप पद्धति का उपयोग करते हुए, वर्ष के अंत में स्वतंत्र एक्चुअरी द्वारा निर्धारित की जाती है। यह योजना अवित्तपोषित है और दायित्व को वार्षिक आधार पर अनुमानित इकाई ऋण पद्धति का उपयोग करते हुए स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि खाते में रखा जाता है। बिमांकिंक लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में रखा गया है।

अन्य अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक लाभ में वेतन, बोनस, आरआरपी, एलटीसी जैसे कर्मचारी लागत शामिल होते हैं जिन्हें अघोषित मूल्य पर मापा जाता है और उस वर्ष में अर्जित किया जाता है जिसमें संबंधित सेवाएं कंपनी के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाती हैं।

कर्मचारी पृथक्करण लागत

कम्पनी की स्वेच्छिक सेवानिवृति योजना के अंतर्गत सेवानिवृति का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को दिए जाने वाले अनुग्रह को प्रबंधन द्वारा विकल्प को स्वीकार करने वाले वर्ष में लाभ और हानि के विवरण में डाला जाता है।

1.7 प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक सम्पत्तियां

कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रावधानों में वारंटियों, अनुसंधान और विकास, निरंतर विकास, योगदान, और

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रावधान शामिल हैं। एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास पिछली घटना के परिणामस्वरूप एक वर्तमान दायित्व होता है, तो यह संभव है कि दायित्व का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधान रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित हैं। इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य में डिस्काउंट किया जाता है जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण होता है।

तथ्यों और तथ्यों के कानूनी पहलुओं के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया जाता है।

आकस्मिक संपत्ति की घोषणा तब की जाती है जब आय का प्राप्त होना निश्चित हो जाता है।

1.8 मध्यस्थता पुरस्कार

संबंधित ब्याज प्राप्य राशियां/देय के साथ मध्यस्थता/न्यायालय के पुरस्कार, शुरूआत के समय पर खातों में नहीं ली गई सीमा तक, आदेश होने के बाद पहचाने जाते हैं। मध्यस्थता मशीनरी, भारत सरकार अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश को अंतिम रूप देने के लिए जिम्मेदार है। इन मामलों में प्राप्य/देय ब्याज का भुगतान तब किया जाता है जब भुगतान संभावित हो, जब प्रबंधन द्वारा मामले को निपटाया जाता है।

1.9 नकद हानियां

ग्राहक/अनुबंधकर्ताओं के संबंध में देरी के लिए लिक्विडेटेड डैमेज/मुआवजा, यदि कोई हो, का भुगतान किया जाता है, जब भुगतान संभावित हो, यह तब होता है जब प्रबंधन द्वारा मामले को निपटाया जाता है।

1.10 पूर्व अवधि व्यय/आय

पूर्व अवधि से संबंधित और चालू वर्ष में महत्वपूर्णन न माने जाने वाले व्यय/आय को चालू वर्ष के सिंबंधित खातों में डाला जाता है।

1.11 लेखांकन प्रयोग में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

नितियां और अनिश्चितताएं

वित्तीय विवरण भारत में जीएएपी के अनुसार तैयार किए जाते हैं, जिनके लिए प्रबंधन को अनुमानों लगाने की आवश्यकता है जो वित्तीय विवरण की तिथि को संपत्तियों, देनदारियों और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं और अवधि के दौरान आय और व्यय की मात्रा की जानकारी देते हैं। हालाँकि वित्तीय विवरणों के साथ उपयोग किए जाने वाले ये अनुमान और मान्यताएँ वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित हैं, जो प्रबंधन की राय में विवेकपूर्ण और उचित हैं, वित्तीय परिणामों के साथ तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमानों और मान्यताओं से वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को उस अवधि से संभावित रूप से मान्यता प्राप्त है जिसमें परिणाम ज्ञात हैं/लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार महत्वपूर्ण हैं।

संपत्ति और देनदारियों, आय और व्यय की मान्यता और माप पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले अनुमानों और मान्यताओं के बारे में जानकारी नीचे दी गई है।

महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

कंपनी के लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय निम्नलिखित हैं जो वित्तीय विवरणों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।

आस्थगित कर सम्पत्तियों की मान्यता – स्थगित कर की संपत्ति को किस हद तक मान्यता दी जा सकती है, यह कंपनी की भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है, जिसके विरुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

परिसंपत्तियों की हानि के लिए संकेतकों का मूल्यांकन – परिसंपत्तियों की हानि के संकेतकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का आकलन करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में गिरावट हो सकती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण – प्रबंधन संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के शेष उपयोगी जीवन और मूल्य ह्रास का आकलन करता है और मानता है कि माना गया उपयोगी जीवन और मूल्य ह्रास उचित हैं

अनुमान अनिश्चितता

संपत्ति और देनदारियों, आय और व्यय की मान्यता और आकलन पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले अनुमानों और मान्यताओं के बारे में जानकारी नीचे दी गई है।

अग्रिमों/प्राप्तियों की पुनःप्राप्ति – परियोजना प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख और क्षेत्रीय/सामरिक व्यापार समूह समय–समय पर अग्रिमों और प्राप्तियों की वसूली की समीक्षा करते हैं। वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा की जाती है और इस तरह के मूल्यांकन के लिए काउंटर–पार्टियों की वित्तीय स्थिति, बाजार की जानकारी और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) – प्रबंधन द्वारा डीबीओ का अनुमान कई महत्वपूर्ण अंतर्निहित धारणाओं पर आधारित है जैसे कि मुद्रास्फीति की मानक दरें, चिकित्सा लागत रुझान, मृत्यु दर, छूट दर और भविष्य के वेतन की प्रत्याशा। इन धारणाओं में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक परिभाषित लाभ खर्चों को प्रभावित कर सकती है।

आकस्मिकता– कंपनी के विरुध आकस्मिकताओं/दावों/मुकदमों के संबंध में संसाधनों के संभावित बहिर्वाह का आकलन करने के लिए प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है, यदि कोई हो, क्योंकि लंबित मामलों के परिणाम की सटीकता के साथ भविष्यवाणी करना संभव नहीं है।

वारंटियों के लिए प्रावधान– वारंटियों के प्रबंधन का अनुमान इंजीनियरिंग अनुमानों पर आधारित है और इन मान्यताओं में भिन्नता प्रावधान राशि और वार्षिक वारंटी खर्चों को प्रभावित कर सकती है जहां वारंटियां उप–अनुबंधकर्ताओं से उपलब्ध नहीं है।

नकद क्षति– प्राप्त होने वाली नकद क्षतियों का अनुमान अनुबंध की शर्तों अनुसार दर्ज किए जाते हैं; अनुमान वास्तविकता से अनुबंधकर्ता पर लेवी के रूप में भिन्न हो सकते हैं।

1.12 मानक जारी किए गए हैं लेकिन प्रभावी नहीं हैं

भारतीय लेखा मानक 116: 30 मार्च 2019 को कम्पनी मामलों के मंत्रालय ने भारतीय लेखा मानक 116, लीज को अधिसूचित किया। भारतीय लेखा मानक 116 मौजूदा लीज मानाक, इंड एएस 17 और संबंधित व्याख्याओं को विस्थापित करेगा। यह मानक मान्यता, मापन, प्रस्तूतीकरण और एक अनुबंध के दोनों पक्षों अर्थात पट्टाधारी और पट्टादाता, के लिए लीज की घोषणा करेगा। इंड. एएस 116 एक सिंगल लीज लेखा विधि प्रतिमान प्रदान करता है और इसके अंतर्गत पट्टाधारी को बारह महिनों से अधिक सभी लीजों के लिए

सम्पत्तियों और देनदारियों को मान्यता प्रदान करनी पड़ती है, यदि अंतर्निहित सम्पत्ति कम मूल्य की नहीं है। वर्तमान में संचालन लीज व्ययों को लाभ और हानि विवरण में डाला जाता है। इस मानक में पट्टाधारियों के लिए अधिक घोषणाएं भी शामिल हैं। इंड. एएस 116 इंड. काफी सीमा तक एएस 17 की लेखांकन आवश्यकताओं को शामिल करता है।

इंड एएस 116 के लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है।

यह मानक पारगमन के दो संभावित तरीकों की अनुमान देता है:

- पूर्ण पूर्वव्यापी – प्रत्येक पूर्व अवधि के लिए पूर्वव्यापी रूप से इंड. एएस 8 लेखांकन नीतियां, लेखा अनुमान और त्रुटियां
- संशोधित पूर्वव्यापी – पूर्वव्यापी रूप से, प्रारंभिक प्रयोग की तिथि को मान्य मापदण्ड के प्रारंभिक प्रयोग के संचित प्रभाव।

संशोधित परिवर्ततित पूर्वव्यापी उपागम के अंतर्गत पट्टादाता लीज देनदारी को शेष लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य के रूप में दर्ज करता है, जिसे निरंतर उधार दर पर सम्पत्तियों के निम्न में से किसी एक प्रयोग के अधिकार में से डिस्काउंट किया जाता है:

- इसकी ढुलाई राशियां, जैसे मानक को प्रारंभिक तिथि से लागू किया गया है, लेकिन शुरूआती प्रयोग की तिथि का पट्टाधारी की बढती हुई उधार दर पर डिस्काउंट कर दिया गया या
- लीज देनदारी के बराबर एक राशि जिसे प्रारंभिक प्रयोग की तिथि से तुरंत पहले किसी पूर्वभुगतान या संचित लीज भुगतान की राशि द्वारा समायोजित किया गया है जिसका संबंध इंड. एएस 17 के अंतर्गत मान्यताप्राप्त लीज से है।

इस संशोधन के लागू होने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी वर्तमान में स्टैंडअलोन वित्तीय कथनों पर इस संशोधन के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है।

इंड. एएस 12 सलंग्नक ग, आयकर उपचारों के बारे में अनिश्चितताः 30 मार्च, 2019 को, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने इंड. एएस 12 सलंग्नक ग, आयकर उपचारों के बारे में अनिश्चितता को अधिसूचित किया था जो कर योग्य लाभ (या हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर की दरें निर्धारित करने के लिए लागू किया जाता है, जब इंड. एएस 12 के अंतर्गत आयकर उपचार में अनिश्चितता होती है। सलंग्नक के अनुसार, कंपनियों को प्रत्येक कर उपचार, या कर उपचारों के समूह को स्वीकार करने वाले उचित कर प्राधिकरण की संभावना निर्धारित करने की आवश्यकता होती है जिसे कम्पनियों ने अपने आयकर भरने में प्रयोग किया है या प्रयोग करने की योजना बनाई है, जिस पर सबसे अधिक संभावित राशि या कर उपचार के प्रत्याशित मूल्य की गणना करते समय विचार किया जाता है, जब कर योग्य लाभ (कर हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों का निर्धारण किया जाता है।

यह मानक पारगमन की दो संभावित विधियां प्रदान करती है–

- पूर्ण पूर्वव्यापी उपागम– इस उपागम के अंतर्गत सलंग्नक ग का प्रयोग इंड. एएस 8–लेखांकन नितियां, लेखांकान अनुमान और त्रुटियां, के अनुसार दूरदर्शिता का प्रयोग किए बिना पूर्वव्यापी रूप से प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के लिए किया जाएगा, और
- पूर्वव्यापी रूप से बिना तुलनात्मकता के समायोजन के, प्रारंभिक प्रयोग पर इक्विटी को समायोजित करके सलंग्नक ग के शुरूआती प्रयोग का संचित प्रभाव।

इंड. एस 12 परिशिष्ट ग के प्रभावी होने की तिथि 1 अप्रैल, 2019 या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी 1 अप्रैल, 2019 को इस मानक को अपनाएगी और प्रारंभिक प्रयोग की तिथि को इक्विटी

में संचयी प्रभाव को तुलनात्मक समायोजन के बिना 1 अप्रैल, 2019 को समायोजित करने का निर्णय लिया है।

इंड. एएस 12 परिशिष्ट ग को अपनाने का प्रभाव स्टैंडअलोन वित्तीय कथनों पर महत्वहीन होगा।

इंड. एएस 12 – आयकर संशोधनः 30 मार्च, 2019 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने लाभांश वितरण करों के लिए लेखांकन के संबंध में इंड. एएस 12, 'आयकर' में मार्गदर्शन के लिए संशोधन जारी किए। संशोधन स्पष्ट करता है कि एक इकाई लाभ और हानि, अन्य व्यापक आय या इक्विटी में लाभांश के आयकर परिणामों को मान्यता देता है जहां इकाई मूल रूप से उन पिछले लेनदेन या घटनाओं को मान्यता देती है।

इस संशोधन के प्रभावी होने की तिथि 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी वर्तमान में स्टैंडअलोन वित्तीय कथनों पर इस संशोधन के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है।

इंड. एएस 19 में संशोधन–योजना संशोधन, संक्षेपण या निपटान– 30 मार्च, 2019 को, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय इंड. एएस 19 'कर्मचारी लाभ' में संशोधनों को जारी किया, जिनका संबंध योजना संशोधनों, संक्षेपणों और निपटारों के लिए लेखांकन से है।

इन संशेधनों के अनुसार एक उपक्रम को:

- एक योजना संशोधन, संक्षेपण या निपटारे के बाद शेष अवधि के लिए वर्तमान सेवा लागत और शुद्ध ब्याज को निर्धारित करने के लिए अपडेटिड धारणाओं का प्रयोग करने की आवश्यकता है; और
- लाभ और हानि में पिछली सेवा लागत, या निपटान पर एक लाभ या हानि, अधिशेष में किसी भी कमी को पहचानने की आवश्यकता होती है, बेशक वह अधिशेष पहले सम्पत्ति सीलिंग के प्रभाव के कारण नहीं पहचाना गया था।

इस संशोधन के लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। इस संशोधन का कम्पनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तय विवरणों पर टिप्पणियां

नोट 2 सम्पत्ति, प्लांट और उपकरण

रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत से अंत तक कम्पनी की प्रोपर्टी, प्लांट और उपकरण का विवरण और उनकी ढुलाई राशियों से मिलान नीचे दिया गया है:

(रु. लाखों में)

	विवरण	सकल ढुलाई राशि (लागत पर)				संचित ह्रास				शुद्ध बुक वैल्यु
		31 मार्च 2018 को	योजन	डिस्पोजल	31 मार्च 2019 को	1 अप्रैल 2018 को	वर्ष में चार्ज	डिस्पोजल पर	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2019 को
क	अमूर्त सम्पत्तियां									
	भवन #	340.07	6,834.99	-	7,175.06	198.22	5.74	-	203.95	6,971.11
	फर्नीचर और फिक्सचर	218.83	2.37	-	221.20	127.69	9.67	-	137.36	83.83
	वाहन	11.48	-	-	11.48	9.57	0.28	-	9.85	1.63
	कार्यालय उपकरण	196.71	4.02	-	200.73	161.52	5.70	-	167.22	33.50
	कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग इकाई	218.20	9.72	-	227.92	184.95	12.45	-	197.40	30.53
	कुल (1)	985.30	6,851.09	-	7,836.39	681.95	33.83	-	715.79	7,120.60
ख	भौतिक सम्पत्तियां (लीज के अंतर्गत)									
	भूमि **	446.65	-	-	446.65	68.14	4.96	-	73.10	373.55
	कुल (2)	**446.65**	-	-	**446.65**	**68.14**	**4.96**	-	**73.10**	**373.55**
	कुल (1+2)	**1,431.95**	**6,851.09**	-	**8,283.04**	**750.09**	**38.80**	-	**788.89**	**7,494.15**

	विवरण	सकल ढुलाई राशि (लागत पर)				संचित ह्रास				छमज ठववा टंसनम
		1 अप्रैल 2017 को *	योजन	डिस्पोजल	31 मार्च 2018 को	1 अप्रैल 2017 को *	वर्ष के लिए चार्ज	डिस्पोजल पर	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2018 को
क	शैतिक सम्पत्तियां									
	भवन #	340.07	-	-	340.07	182.61	15.61	-	198.22	141.85
	फर्नीचर और फिक्सचर	189.37	29.46	-	218.83	103.98	23.71	-	127.69	91.13
	वाहन	11.48	-	-	11.48	8.84	0.73	-	9.57	1.91
	कार्यालय उपकरण	190.47	6.44	0.20	196.71	152.18	9.51	0.17	161.52	35.19
	कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग इकाई	188.93	29.28	-	218.20	164.25	20.70	-	184.95	33.26
	कुल (1)	**920.33**	**65.17**	**0.20**	**985.30**	**611.86**	**70.26**	**0.17**	**681.95**	**303.35**
ख	शैतिक सम्पत्ति (लीज के अंतर्गत)									
	भूमि **	446.65		-	446.65	63.18	4.96	-	68.14	378.51
	कुल (2)	**446.65**	-	-	**446.65**	**63.18**	**4.96**	-	**68.14**	**378.51**
	कुल (1+2)	**1,366.98**	**65.17**	**0.20**	**1,431.95**	**675.04**	**75.22**	**0.17**	**750.09**	**681.86**

इंड. एएस को अपनाने की तिथि को विचारित लागत का प्रतिनिधित्व करता है। सकल ब्लॉक और पिछले जीएएपी से संचित मूल्यह्रास का प्रदर्शन

**परिसंपत्तियों की मूल लागत की बेहतर समझ के उद्दश्य से किया गया है।

कंपनी ने कंपनी के नाम पर 6,834.99 लाख रुपये के लंबित पंजीकरण भवन का निर्माण किया है। आनुपातिक आधार पर लाभ और हानि खाते पर मूल्यह्रास चार्ज किया है।

** लीजहोल्ड भूमि 1996 से लीज डीड की तिथि से 90 वर्ष के लिए आनुपातिक रूप से परिशोधित की गई है, जिसका मूल्य 57.49 लाख रुपये है और 2006 से इसका मूल्य 389.16 लाख रुपये है।

सेक्टर–1, नोएडा में दो प्लाट नम्बर ई–13 और ई–14 जिनका आकार 2518.13 वर्ग मीटर है, एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड को आबंटित किए गए थे और अतिरिक्त लीज डीड न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (नोएडा) के साथ 22 अप्रैल 2013 को की गई थी। विलेख के क्लॉज नं. 4 के अनुसार पट्टाधारी अर्थात एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड उक्त भूमि पर निर्धारित चार वर्ष की अवधि के अंदर भवन का निर्माण कार्य पूरा करेगा, यदि पट्टादाता समय का विस्तार नहीं करता है। पट्टा विलेख के अनुसार निर्माण के लिए निर्धारित अवधि 21–04–2017 को पूरी हो चुकी है और कम्पनी ने न ही समय विस्तार का आवेदन किया है और न ही भवन का निर्माण किया है। इसलिए कम्पनी ने विस्तार शुल्क के रूप में 21,95,252/. लाख रुपये का प्रावधान किया है जो न्यू ओखला इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट अथॉरिटी को देय होगा।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के भविष्य के आर्थिक लाभ की खपत के अपेक्षित पैटर्न के संबंध में अपना लेखांकन अनुमान बदल दिया। कंपनी ने अब सीधे तौर पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास लागू किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची 2 के अंतर्गत निर्धारित और किसी भी विशिष्ट संपत्ति के मूल्य ह्रास के मासिक यथानुपात आधार पर संपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन। इसके अतिरिक्त अब 10,000 रुपये तक की सम्पत्तियां का मूल्य ह्रास की गणना पूरी तरह से खरीद वर्ष में की गई है। पहले यह राशि 5,000/– रुपये थी।

अनुमान में इस परिवर्तन के कारण 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 33.20 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

नोट–3

अमूर्त सम्पत्तियां

(रु. लाखों में)

अमूर्त सम्पत्तियां		सकल ढुलाई राशि (लागत पर)				संचित परि ोधन				शुद्ध बुक वैल्य
		1 अप्रैल 2018 को	योजन	डिस्पोजल	31 मार्च 2019 को	1 अप्रैल 2018 को	वर्ष के लिए चाज	डिस्पोजल पर	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2019 को
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**13**
क	सॉफ्टवेयर	25.84	0.67	-	26.51	19.60	4.83	-	24.43	2.09
	कुल	**25.84**	**0.67**	**-**	**26.51**	**19.60**	**4.83**	**-**	**24.43**	**2.09**

भौतिक सम्पत्तियां		सकल ढुलाई राशि (लागत पर)				।बबनउनसंजमक ।उवतजपेंजपवद				छमज ठववा टंसनम
		1 अप्रैल 2017 को	योजन	डिस्पोजल	31 मार्च 2018 को	1 अप्रैल 2017 को *	वर्ष के लिए चार्ज	डिस्पोजल पर	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2018 को
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**13**
क	सॉफ्टवेयर	23.54	2.30		25.84	16.41	3.18	-	19.60	6.25
	कुल	**23.54**	**2.30**	**-**	**25.84**	**16.41**	**3.18**	**-**	**19.60**	**6.25**

* इंड. एएस को अपनाने की तिथि को विचारित लागत का प्रतिनिधित्व करता है। सकल ब्लॉक और पिछले जीएएपी

से संचित मूल्यह्रास का प्रदर्शन परिसंपत्तियों की मूल लागत की बेहतर समझ के उद्दश्य से किया गया है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के भविष्य के आर्थिक लाभ की खपत के अपेक्षित पैटर्न के संबंध में अपना लेखांकन अनुमान बदल दिया। कंपनी ने अब सीधे तौर पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास लागू किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची 2 के अंतर्गत निर्धारित और किसी भी विशिष्ट संपत्ति के मूल्य ह्रास के मासिक यथानुपात आधार पर संपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन।

इसके अतिरिक्त अब 10,000 रुपये तक की सम्पत्तियां का मूल्य ह्रास की गणना पूरी तरह से खरीद वर्ष में की गई है। पहले यह राशि 5,000/– रुपये थी।

अनुमान में इस परिवर्तन के कारण 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 1.60 लाख रुपये की बढोतरी हुई है।

नोट–4

रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत से अंत तक कम्पनी की प्रोपर्टी, प्लांट और उपकरण का विवरण और उनकी ढुलाई राशियों से मिलान नीचे दिया गया है:

(रु. लाखों में)

विवरण	राशि
अप्रैल 2017 को	6.21
वर्ष के दौरान योजन	6.95
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	-
31 मार्च 2018 को	13.16
वर्ष के दौरान योजन	-
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	-
31 मार्च 2019 को	13.16

नोट–5

(रु. लाखों में)

अन्य वित्तीय सम्पत्तियां (गैर–चालू)	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को		1 अप्रैल 2017 को	
प्रतिभूति जमा						
– उचित समझी गई	21.95		19.29		18.94	
– संदेहास्पद समझी गई	0.78		0.78		0.78	
	22.73		20.07		19.72	
घटा: अनुमानित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान	(0.78)	21.95	(0.78)	19.29	(0.78)	18.94
स्टाफ से वसूली योग्य अग्रिम		10.78		16.29		18.07
कुल		**32.73**		**35.58**		**37.01**

नोट–6

आस्थगित सम्पत्तियों में गतिशीलताएं

(रु. लाखों में)

आस्थगित कर सम्पत्तियां (शुद्ध)	31 मार्च 2018 का	(चार्जड)/ लाभ और हानि में जमा	(चार्जड)/ ओसीआई में जमा	31 मार्च 2019 को
आस्थगित कर सम्पत्तियां				
निम्न में अस्थायी अंतर के कारण उत्पनन:				
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	324.38	48.32	-	372.70
व्यापार प्राप्य राशियों की अनुमानित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान	949.93	(432.11)	-	517.82
लाभ संबंधी भुगतान (पीआरपी) प्रावधान	127.29	88.30	-	215.59
अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	1,064.57	10.34	-	1,074.90
आस्थगित राजस्व (बिल रहित प्राप्य राशियों का जोड़)	2,664.72	(788.96)	-	1,875.75
आस्थगित कर देनदारियां				
ह्रास में अस्थायी अंतर के कारण उत्पन्न	(2.51)	109.25	-	106.74
कुल	**5,133.40**	**(1,183.37)**	**-**	**3,950.02**

(रु. लाखों में)

आस्थगित कर सम्पत्तियां (ुद्ध)	1 अप्रैल 2017 को	(चार्जड)/ लाभ और हानि में जमा	(चार्जड)/ ओसीआई में जमा	31 मार्च 2018 को
आस्थगित कर सम्पत्तियां				
निम्न में अस्थायी अंतर के कारण उत्पनन:				
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	268.89	55.49	-	324.38
व्यापार प्राप्य राशियों की अनुमानित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान	553.47	396.46	-	949.93
लाभ संबंधी भुगतान (पीआरपी) प्रावधान	170.36	(43.07)	-	127.29
अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	1,064.57	-	-	1,064.57
आस्थगित राजस्व (बिल रहित प्राप्य राशियों का जोड़)	2,332.99	331.73	-	2,664.72
ह्रास में अस्थायी अंतर के कारण उत्पन्न	(5.33)	7.85	-	2.51
कुल	**4,384.94**	**748.46**	**-**	**5,133.40**

नोट–7

(रु. लाखों में)

व्यापार प्राप्य राशियां	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को		1 अप्रैल 2017 को	
असुरक्षितरू						
– उचित	8,534.19		11,027.57		6,965.88	
– संदेहास्पद	1,439.58	9,973.77	2,729.48	13,757.06	1,583.90	8,549.79
अयोग्यता भत्तारू						
– असुरक्षित, संदेहास्पद	(1,439.58)	(1,439.58)	(2,729.48)	(2,729.48)	(1,583.90)	(1,583.90)
कुल		**8,534.19**		**11,027.57**		**6,965.88**

नोट–8

(रु. लाखों में)

नकद और नकद समकक्ष	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	1 अप्रैल 2017 को
बैंक खाते में बैलेंस *	3,131.72	3,106.82	1,024.81
हाथ में नकदी	0.05	0.05	0.05

मंत्रालयों/ग्राहक की तरफ से बैंक खाते में शेष	16,532.11	7,052.20	16,123.70
कुल	**19,663.88**	**10,159.07**	**17,148.56**
* निम्न में बैलेंसरू			
– भुगतान रहित लाभांश	1,124.01	-	1.41
– अनुसंधान और विकास निधि	16.77	16.77	16.77
– सतत विकास निधि	12.91	12.91	12.91

नोट–9

(रु. लाखों में)

उक्त के अतिरिक्त बैंक बैलेंस	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	1 अप्रैल 2017 को
अन्य बैंक बैलेंस			
स्थायी जमा जिनमें मूल परिपक्वता 3 माह से लेकर 12 माह तक है (नोट (i) और (ii) देखें	24,403.39	8,451.02	15,325.29
मंत्रालय/ग्राहक की तरफ से			
अन्य बैंक बैलेंस			
3 माह की मूल परिपक्वता वाले फ्लेक्सी जमा	13,629.04	504.24	9,980.90
3 माह से अधिक की मूल परिपक्वता वाले फ्लेक्सी जमा (नीचे दी गई नोट संख्या (iii) देखें	2,20,387.20	2,03,736.37	1,19,193.10
कुल	**2,58,419.63**	**2,12,691.63**	**1,44,499.29**
नोट:			
(i) जमाओं पर संचित ब्याज शामिल है	653.03	627.71	994.64
(ii) बैंक गारंटी के विरुध रखा गया जमा शामिल है	1,835.50	1,151.38	968.53
(iii) जमाओं पर संचित ब्याज शामिल है	4,367.65	2,970.75	2,817.96

नोट–10

(रु. लाखों में)

अन्य वित्तीय सम्पत्तियां	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को		1 अप्रैल 2017 को	
धरोहर राशि और सुरक्षा जमा	197.02			56.36		54.83
बैंकों के पास जमा राशि पर ब्याज	(12.89)	184.13		-		-
स्टाफ से वसूली योग्य '		46.43		44.53		27.98
ग्राहकों से वसूली योग्य दावा						
– संदेहास्पद	13.01		13.01		13.01	
घटा: क्रेडिट की हानि की उम्मीद	(13.01)	-	(13.01)	-	(13.01)	-
ग्राहकों से वसूली योग्य		1,477.76		1,849.59		3,139.02
अन्य प्राप्य राशियां						
– उचित	12.57		27.09		10.25	
– संदेहास्पद	1.55		1.55		1.55	
	14.12		28.64		11.80	
घटा क्रेडिट की हानि की उम्मीद	(1.55)	12.57	(1.55)	27.09	(1.55)	10.25
बिल रहित राजस्व **		17,471.05		35,355.42		38,561.48
ब्याज की वसूली		357.29		357.29		357.29
होल्डिंग कंपनी से वसूली योग्य		11.58		-		-

अन्य वित्तीय सम्पत्तियां	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को		1 अप्रैल 2017 को	
दूसरों से वसूली योग्य		5,363.12		5,753.45		2,174.56
कुल		**24,923.94**		**43,443.75**		**44,325.41**
* अग्रिम पर संचित ब्याज शामिल है		10.27		10.07		7.85

** बिल रहित आय में उस कार्य का मूल्य शामिल है जिसका संबंध किए गए निर्माण और आने वाले महिनों में बिल से है

नोट–11

(रु. लाखों में)

चालू कर सम्पत्तियां (शुद्ध)	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	1 अप्रैल 2017 को
अग्रिम आय कर	14,025.11	12,296.53	9,934.75
घटा: कर के लिए प्रावधान	13,456.62	11,674.11	9,578.32
कुल	**568.49**	**622.42**	**356.44**

नोट–12

(रु. लाखों में)

अन्य चालू सम्पत्तियां	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	1 अप्रैल 2017 को
एडवांस फ्रिंज बेनिफिट टैक्स	-	1.96	1.96
आपूर्तिकर्ता को अग्रिम	21,506.71	19,949.90	15,671.34
पूर्व भुगतान व्यय	282.59	5.50	6.09
सरकारी अधिकारियों के साथ संतुलन	944.17	10.21	114.08
पीएफ ट्रस्ट के अंतर्गत जमा	-	5.15	5.15
अन्य	12.75	13.06	4.18
कुल	**22,746.22**	**19,985.78**	**15,802.80**

नोट–13

(रु. लाखों में)

इक्विटी शेयर पूंजी	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को		1 अप्रैल 2017 को	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अधिकृत 100/– रुपये प्रति के इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 100/–)	5,00,000	500.00	5,00,000	500.00	5,00,000	500.00
जारी, सब्सक्राइब्ड और चूकता पूर्ण रूप से चूकता इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 100/रुपये)	1,80,014	180.01	1,80,014	180.01	2,40,018	240.02
कुल	**1,80,014.00**	**180.01**	**1,80,014**	**180.01**	**2,40,018**	**240.02**

नोट–13–क

(रु. लाखों में)

इक्विटी शेयर पूंजी	इक्विटी शेयर					
	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को		1 अप्रैल 2017 को	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के शुरू में बकाया शेयर	1,80,014	180.01	2,40,018	240.02	2,40,018	240.02
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी शेयर/(पुनःखरीद)	-	-	(60,004)	(60.00)	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	1,80,014	180.01	1,80,014.00	180.01	2,40,018	240.02

नोट–13–ख

5 प्रतिशत से अधिक पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारक:

(रु. लाखों में)

नाम	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को		1 अप्रैल 2017 को	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों संख्या	प्रतिशत	शेयरों संख्य	प्रतिशत
भारत का राष्ट्रपति*	-	-	1,80,014	100%	2,40,018	100%
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड*	1,80,014	100%	-	-	-	-

* एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के 36 शेयर शामिल हैं (31 मार्च 2018: भारत का राष्ट्रपति; 1 अप्रैल 2017: भारत का राष्ट्रपति)।

नोट–13–ग

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका प्रति शेयर सममूल्य मूल्य 100 रुपये है। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश अंतरिम लाभांश के मामले को छोड़कर, वार्षिक आम बैठक को सुनिश्चित करने में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपनी शेयर धारिता के अनुपात में, सभी तरजीही राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

नोट–13–घ

वर्ष 2003–04 के दौरान, 100/– रु. प्रति के 1,20,009 इक्विटी शेयरों में से प्रत्येक को मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ समान अधिकार के साथ पूरी तरह से भुगतान बोनस शेयर के रूप में जारी किया गया था।

वर्ष 2008–09 के दौरान, 100/ – रु. प्रति के 80006 इक्विटी शेयरों को मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ समान अधिकारों के साथ पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में जारी किया गया था।

वर्ष 2017–18 के दौरान, 100/– प्रति के 60,004 इक्विटी शेयरों में से प्रत्येक को मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ समान अधिकार के साथ पूरी तरह से भुगतान किए बाइ बैक शेयरों के रूप में जारी किया गया था।

नोट–13–ङ

(रु. लाखों में)

अन्य इक्विटी	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	1 अप्रैल 2017 को
सामान्य रिजर्व	3,335.54	3,335.54	3,195.54
पूंजी परिशोधित रिजर्व	60.00	60.00	-
प्रतिधारित आय	10,294.64	6,668.33	10,764.27
कुल	**13,690.18**	**10,063.87**	**13,959.81**

रिजर्व और अधिशेष

अन्य रिजर्व की प्रकृति और उद्देश्य

प्रतिधारित कमाई

रिटायर्ड कमाई कंपनी के अविभाजित मुनाफे का प्रतिनिधित्व करती है।

सामान्य रिजर्व

जनरल रिजर्व वैधानिक रिजर्व का प्रतिनिधित्व करता है, यह कॉरपोरेट कानून के अनुसार है जिसमें लाभ का एक हिस्सा सामान्य रिजर्व को दिया जाता है। कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत किसी कंपनी को लाभांश घोषित करने से पहले राशि का हस्तांतरण करना अनिवार्य था, लेकिन कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किसी भी राशि का सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण कंपनी के विवेक पर निर्भर है।

पूंजी परिशोधन रिजर्व

यह रिजर्व इक्विटी शेयरों के बाइ–बैक पर बनाए गए रिजर्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

यह रिजर्व इक्विटी शेयरों के बाइ–बैक पर बनाए गए रिजर्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

नोट–14

(रु. लाखों में)

प्रावधान–गैर–चालू	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान			
लीव एनकैशमेंट	960.94	870.13	741.25
कुल	**960.94**	**870.13**	**741.25**

प्रत्येक श्रेणी में प्रावधान और कर्मचारी लाभों में परिवर्तन के लिए क्रमशः नोट 31 और 13 देखें।

नोट–15

(रु. लाखों में)

व्यापार देय राशियां	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बकाया			
– कार्य और सेवाओं के लिए व्यापारिक प्राप्य राशियां	760.04	-	-
अन्यों का बकाया			
– कार्य और सेवाओं के लिए व्यापारिक प्राप्य राशियां	68,019.65	39,072.43	19,140.02
कुल	**68,779.69**	**39,072.43**	**19,140.02**

* नोट रू 32 देख

नोट–16

(रु. लाखों में)

व्यापार देय राशियां	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बकाया			
– कार्य और सेवाओं के लिए व्यापारिक प्राप्य राशियां	760.04	-	-
अन्यों का बकाया			
– कार्य और सेवाओं के लिए व्यापारिक प्राप्य राशियां	68,019.65	39,072.43	19,140.02
कुल	**68,779.69**	**39,072.43**	**19,140.02**

नोट–17

(रु. लाखों में)

अन्य चालू देनदारियां	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
देय कर *	3,480.47	1,515.60	823.21
देय लाभांश वितरण कर	231.04	-	-
ग्राहकों से अग्रिम	699.70	1,211.36	754.60
ग्राहकों से जमा **	2,02,825.34	1,77,954.94	1,24,661.02
आस्थगित आय	8,116.78	10,515.75	9,296.27
कुल	**2,15,353.34**	**1,91,197.65**	**1,35,535.10**

* कंपनी द्वारा 31 मार्च 2019 तक बिना बिल के संबंध में किए गए कार्य के मूल्य के लिए जीएसटी का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसी तरह, जीएसटी इनपुट क्रेडिट का कोई क्रेडिट व्यय के संबंध में नहीं किया गया है। इस प्रकार जीएसटी (इनपुट) और आउटपुट का लेखा जोखा उस वर्ष में किया जाएगा, जिसमें आरए बिल ठेकेदार द्वारा भेजा जाता है और कम्पनी द्वारा उपार्जित आधार पर बुक किए गए परामर्श शुल्क के संबंध में बिल रहित आय पर जीएसटी का लेखा–जोखा नहीं किया गया है।

** ग्राहक के कार्यों के कारण व्यापार देय राशियों के दावा रहित शेषों को उस वर्ष में संबंधित ग्राहकों को स्थानांतरित किया जाएगा जिसमें खातों का ग्राहको के साथ निपटान किया जाता है।

नोट–18

(रु. लाखों में)

प्रावधान–चालू	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधानः			
भविष्यनिधि	36.20	288.03	-
लीव एनकैशमेंट	52.75	67.17	35.73
अवकाश यात्रा भत्ता	1.95	-	-
लाभ संबंधित वेतन (पीआरपी) का प्रावधान	616.95	367.81	492.26
अनुसंधान और विकास कोष	16.77	16.77	16.77
सतत विकास कोष	12.91	12.91	12.91
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कोष	-	-	23.47
अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	3,076.07	3,076.07	3,076.07
कुल	**3,813.60**	**3,828.76**	**3,657.21**

प्रावधान और कर्मचारी लाभ के प्रत्येक वर्ग में गतिशीलता के लिए क्रमशः नोट 31 और 33 देखें।

नोट–19

(रु. लाखों में)

विकल्पों से आय	31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
सेवाओं का मूल्य		
किए गए कार्य का मूल्य	2,04,946.25	1,50,352.00
कुल	**2,04,946.25**	**1,50,352.00**

नोट–20

(रु. लाखों में)

अन्य संचालन आय	31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
निविदा दस्तावेजों की बिक्री	26.58	21.91
वापिल लिखने का प्रावधान	1,347.85	158.99
विविध प्राप्तियां	6.75	15.48
कुल	**1,381.18**	**196.38**

नोट–21

(रु. लाखों में)

अन्य आय	31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए		31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	
सकल बैंक ब्याज	-	773.03	-	790.80
ग्राहक की ओर से प्राप्त बैंक ब्याज	15,097.31	-	8,882.77	-
घटाः सरकार/ग्राहक पर डाला गया ब्याज	(15,097.31)	-	(8,882.77)	-
स्टॉफ को दिए गए एडवांस का का ब्याज	-	3.32	-	1.32
अन्य ब्याज	-	-	-	30.49
परिसंपत्तियों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)	-	-	-	0.04
कुल		776.35		822.65

नोट–22

(रु. लाखों में)

कार्य और परामर्श व्यय	31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
कार्य व्यय (सामग्री सहित)द्ध	1,94,317.88	1,41,684.61
कुल	**1,94,317.88**	**1,41,684.61**

नोट–23

(रु. लाखों में)

कर्मचारी लाभ व्यय	31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
वेतन और प्रोत्साहन	3,104.87	2,617.52
प्रोविडेंट और अन्य निधियों में योगदान	484.19	414.89
ग्रेच्युइटी निधि योगदान	38.82	288.03
लीव एनकैशमेंट	49.18	230.21
स्टाफ कल्याण के लिए व्यय	207.26	235.41
मेडिकल लाभ के लिए योगदान	63.96	60.12
मेडिकल फंड ट्रष्ट में योगदान	-	30.45
कल्याण फंड ट्रष्ट में योगदान	-	18.40
कुल	**3,948.28**	**3,895.03**

नोट–23 क

प्रमुख कर्मचारियों का मानदेय

अध्यक्ष एवं महानिदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशक (इंजीनियरिंग) को वर्ष के दौरान 64.97 लाख रुपये (पिछले वर्ष 137.25 लाख रुपये) गए जिसका विवरण नीचे दिया गया है, जिसमें व्ययों की अदायगी शामिल नहीं है:

(रु. लाखों में)

कर्मचारी लाभ व्यय	31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
वेतन और प्रोत्साहन	56.54	110.04
प्रोविडेंट फंड योगदान	3.48	5.83
पेंशन फंड योगदान	3.48	5.83
स्टॉफ कल्याण व्यय	0.09	1.10
लीव एनकैशमेंट (बीमांकिक आधार पर)	1.39	14.45
कुल	**64.97**	**137.25**

इसके अलावा, उपर्युक्त ग्रेच्युटी योजना और समूह बीमा योजना में योगदान को शामिल नहीं किया गया है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रावधान नहीं किया है क्योंकि ट्रस्टी ने निर्णय लिया है कि ट्रस्ट में बहुत सारे फंड उपलब्ध हैं और अतिरिक्त फंड की कोई आवश्यकता नहीं है। (पिछले वर्ष 30.45 लाख रुपये और 18.40 लाख रुपये) को क्रमशः कर्मचारी चिकित्सा ट्रष्ट और वेलफेयर फंड में अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई मंजूरी के आधार पर योगदान किया जाना चाहिए।

कंपनी ने इस वर्ष के दौरान एलटीसी और होम टाउन के लिए बीमांकिक प्रावधान किया है, हालांकि वास्तविक भुगतान के आधार पर व्यय को लिखा गया था जिन्होंने एलटीसी का लाभ उठाया है और होम टाउन का दौरा किया है।

नोट–23

(रु. लाखों में)

कर्मचारी लाभ व्यय	31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
प्रॉपर्टी, प्लांट और उपकरण पर ह्रास	38.80	75.22
अमूर्त सम्पत्तियों पर परिशोधन	**4.83**	**3.18**
कुल	**43.63**	**78.40**

नोट–25

(रु. लाखों में)

अन्य व्यय	31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
विज्ञापन	23.77	67.33
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक	25.00	12.50
बैंक प्रभार और गारंटी आयोग	18.43	14.22
सीएसआर व्यय	134.16	120.65
विनिमय हानि	0.07	0.28
बीमा	1.13	1.12
व्यापार प्राप्तियों पर क्रेडिट नुकसान को छोड़कर प्रावधान	-	1,145.58
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	126.63	149.04
विविध व्यय	69.03	55.41
डाक और टैलीफोन	11.53	14.20
छपाई और स्टेशनरी	35.50	43.38
दरें और कर	5.52	0.10
किराया	36.54	40.15
मरम्मत और रख रखाव		
(1) संयंत्र और मशीनरी ६ वाहन	13.66	21.62
(2) भवन	12.14	24.35
(3) अन्य	20.04	20.40
यात्रा और आवागमन	196.84	220.99
पानी, बिजली और संबद्ध शुल्क	40.19	43.12
कुल	770.18	1,994.43

नोट–25 क

(रु. लाखों में)

ऑडिटरों को भुगतान	31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
ऑडिट फीस	12.00	10.00
कर ऑडिट	4.50	2.50
क्वार्टरली लिमिटेड समीक्षा	8.50	-
कुल	**25.00**	**12.50**

नोट–26

(रु. लाखों में)

ऋणशोधन :	31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
संचित ब्याज को माफ किया गया	74.59	-
कुल	**74.59**	-

वर्ष के दौरान कम्पनी ने 410.75 लाख रुपये की एफडीआर दर्ज की जिसके लिए 'संचित ब्याज' को स्थानांतरित किया गया। संचित ब्याज खाते में शेष 74.59 लाख रुपये की राशि का परिशोधन कर दिया गया।

नोट–27

(रु. लाखों में)

कर व्यय	31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
कर व्यय में निम्न शामिल हैरू		
मौजूद आय कर	1,581.61	2,095.79
आस्थगित कर	1,183.37	(748.46)
पिछले साल के संबध में कर	202.87	-
कुल	**2,967.85**	**1,347.33**

नोट–27 क

कम्पनी के घरेलू प्रभावी कर के आधार पर आयकर व्यय और प्रत्याशित कर व्यय के समायोजन के मुख्य घटक और लाभ और हानि खाते में दर्ज कर व्यय निम्न प्रकार है:

(रु. लाखों में)

कर समायोजन	31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
सतत संचालन से कर से पहले लेखांकन लाभ	7,949.22	3,705.10
आयकर से पहले लेखांकन लाभ	7,949.22	3,705.10
भारत की वैधानिक आयकर दर	34.944%	34.608%
आयकर	2,777.78	1,282.26
गैर–कटौती योग्य व्यय का प्रभाव	53.26	65.08
आस्थगित कर की दर में परिवर्तन के कारण प्रभाव	(66.06)	-
पिछले वर्ष के संबंध में कराधान	202.87	-
कर व्यय	2,967.85	1,347.34
वास्तविक कर व्यय	**2,967.85**	**1,347.33**

नोट–28

प्रतिशेयर आय (ईपीएस) की गणना 'प्रतिशेयर पर आय' पर भारतीय लेखा मानक (इंड. एएस–33) के अनुसार की गई

(रु. लाखों में)

प्रति इक्विटी शेयर आय	31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
इक्विटी होल्डर्स के लिए लाभ		
बेसिक / मिश्रित आय के लिए इक्विटी होल्डर्स के लिए लाभ का लाभ	4,981.37	2,357.77
वर्ष की शुरुआत में बकाया इक्विटी शेयरों की कुल संख्या (नहीं)	1,80,014	2,40,018
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की कुल संख्या (नहीं)	1,80,014	1,80,014
बेसिक ईपीएस (नहीं) के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1,80,014	2,25,017
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपये)	100.00	100.00
इक्विटी प्रति शेयर आयः		
(1) बेसिक (रुपये)	2,767.21	1,047.82
(2) मिश्रित (रुपयें)	2,767.21	1,047.82

नोट–29

i. आकस्मिक देनदारियां, आकस्मिक सम्पतियां और प्रतिबद्धताएं (प्रावधान की सीमा नहीं)

(रु. लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	1 अप्रैल 2017
ईएसआई – निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर से ईएसआई अधिनियम के तहत आने वाली अवधि के दावों को दिनांक 01.01.1997 से 31.07.2004 तक ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।	1.83	1.83	1.83
बैंक गारंटी – कंपनी की ओर से निर्माण परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा जारी उत्कृष्ट प्रदर्शन बैंक गारंटी।	1,835.50	1,151.38	968.53
कम्पनी द्वारा करों के संबंध में मांग अस्वीकृत मांग सेवा कर			
i) धारा 73 केंद्रीय सहायक उत्पाद आयुक्त द्वारा जनवरी 2014 की अवधि के लिए वित्त अधिनियम 1994 की धारा 68 और 66 और सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 6(1) और 6(2) के लिए मांग और अधिनियम की धारा 76 के अंतर्गत जुर्माना। सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा शुल्क अपीलीय ट्रिब्यूनल, अरके पुरम, दिल्ली के सम्मुख 29.12.2017 को अपील लम्बित है। 0.19 लाख रुपये की राशि, जुर्माना 2.64 लाख रुपये पहले ही जमा किए जा चुके हैं। एचएससीसी ने 29.12.2017 को याचिका दायर की थी।	2.64	2.64	2.64
ii) अक्टुबर 2009 से सितम्बर 2010 तक केनवेट क्रेडिट का डिसअलाउंस। अपील वापिस केंद्रीय कर आयुक्त (अपील) दिनांक 28.11.2017 को वापिस भेज दी गई। 0.4 लाख रुपये और 5.29 लाख रुपये जुर्माना पहले ही जमा कराया जा चुका है। अब आयुक्त ने राशि को घटा कर 1.45 लाख रुपये कर दिया है जिसके लिए सीईएसटी इलाहबाद में 31.01.2019 को याचिका दायर कर दी गई है।	1.45	5.29	5.29
iii) अप्रैल 2010 से मार्च 2012 तक केनवेट क्रेडिट का डिसअलाउंस। अपील कस्टम, एक्साइज एवं सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल, इलाहबाद में 28.02.2018 को लम्बित है। 3.18 लाख रुपये और 10.05 लाख रुपये जुर्माना पहले ही जमा कराया जा चुका है। सुनावाई की अंतिम तिथि 30.08.2018 थी और ट्रिब्यूनल से अभी आदेश आना है।	10.05	10.05	10.05
भविष्य निधि 2004–05 से 2008–09 के दौरान कंपनी द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से लगाए गए संविदा कर्मचारियों के संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी) द्वारा मांग की गई। पीएफ ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील लंबित है। पहले से जमा राशिः रु 5.25 लाख। सुनवाई की अगली तारीख 11.9.2019 है।	6.86	6.86	6.86
आपूर्तिकर्ता को दिए गए प्रगतिशील एडवांस साइट के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जमा बिलों के बदले में एचएससीसी ने ठेकेदार को एडवांस दिया है।	972.00	-	-
आयकर विभाग द्वारा उठाई गई मांगः असिसटेंट के लिए आयकर की मांग। वर्ष 2014–15– 20.09.2018 को आईटीएटी के सम्मुख दायर याचिका जो सरकारी फंड पर टीडीएस के डिसअलाउंस से संबंधित है। अब सितंबर –2018 के महीने में आईटीएटी में दायर की गई है। और सुनवाई की तारीख तय होनी बाकी है।	42.00	42.00	232.60
आकस्मिक सम्पत्तियांः कंपनी ने मध्यस्थ/न्यायालय/अन्य न्यायालयों के समक्ष विभिन्न पक्षों के विरुध कुछ मामले दायर किए हैं। मामलों के जीतने की उच्च संभावना है और यह संभव है कि लाभ उत्पन्न हो सकता है।	446.56	446.56	3.55

II. आकस्मिक देयताएं मंत्रालयों/ग्राहक के लिए प्रदान नहीं की गई है

क) आपूर्तिकर्ताओं/अनुबंधकर्ताओं के 8073.74 लाख रुपये के समुचित दावे मैटेरियल की सप्लाई और कार्य अनुबंध के विरुध है (31 मार्च 2018 को 7,296.03 लाख रुपये, 1 अप्रैल 2017 को 5,663.34 लाख रुपये) विभिन्न ग्राहकों के विरुध न्यायालय/मध्यस्थ के सम्मुख हैं, जहां एचएससीसी को आत्मविश्वास है। लेकिन इन मामलों में कम्पनी को कोई देनदारी दिखाई नहीं देती।

ख) 31 मार्च 2019 तक क्रेडिट के 811.64 लाख रुपये (31 मार्च 2018 367.16 लाख) के विदेशी पत्रों की बकाया राशि, मंत्रालयों/ग्राहकों की ओर से आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में खोली गई। हालांकि, प्रबंधन इन मामलों में कंपनी पर कोई दायित्व नहीं छोड़ता है।

क्र. सं.	मुद्रा में एलसी	विदेशी मुद्रा में राशि	भारतीय रुपये में समकक्ष राशि
1	यूएस डॉलर	189,379	13,150,478
2	यूरो	275,010	21,428,834
3	सीएचफ	977,177	46,585,650
कुल			**81,164,962**

ग) कंपनी आकस्मिक रूप से निलंबित किए गए कर्मचारियों के संबंध में उत्तरदायी है और देयता के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है जो अनुशासनात्मक जांच के निर्णय के बाद उत्पन्न हो सकता है क्योंकि राशि का पता नहीं लगाया गया है।

घ) ऐसी परियोजनाएँ हैं जिन्हें मंत्रालय/ ग्राहकों को पूरा करके सौंप दिया गया है, लेकिन कंपनी की पुस्तकों में इन परियोजनाओं को वित्तीय रूप से बंद नहीं किया गया है। इसके अलावा, ऐसी परियोजनाएँ हैं जो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें सौंपने और कार्यभार संभालने की प्रक्रिया अभी तक नहीं हुई है। इस पर लाभ या हानि का प्रभाव, यदि कोई भी उस वर्ष में होगा जिसमें वित्तीय समापन होता है, पड़ सकता है।

ड) बैंक, प्रतिधारण मनी, क्लाइंट जमा निधियां, व्यापार प्राप्य राशियां, व्यापार भुगतान, ईएमडी, सिक्योरिटी डिपॉजिट (प्राप्य और देय दोनों) से प्राप्त ब्याज में पड़ी राशि, प्रत्यक्ष करों के संबंध में मंत्रालयों, ग्राहकों और सरकार की शेष राशि, अप्रत्यक्ष करों के संबंध में और अन्य राज्य करों की पुष्टि नहीं की गई है। असमायोजित बैलेंस का, यदि कोई हो, कंपनी के लाभ और हानि और बैलेंस शीट पर प्रभाव पड़ सकता है। उसे उसी वर्ष में दर्ज किया जाएगा जिसमें वित्तीय समायोजन किया गया है।

च) निम्नलिखित बैंकों के साथ समायोजन लंबित है, इसलिए असमायोजि बैंक बैलेंस का कंपनी के लाभ और हानि और बैलेंस शीट पर प्रभाव पड़ सकता है और उस वर्ष में इसका लेखा–जोखा किया जाएगा, जिसमें असमायोजित लेनदेन की पहचान की जाएगी।

क्र. सं.	बैंक का नाम	शाखा	परियोजना का नाम	खाता नम्बर
1	इंडियन ओवरसीज बैंक	सेक्टर–1, नोएडा	आयुष नई दिल्ली	172502000000644
2	इंडियन ओवरसीज बैंक	सेक्टर–1, नोएडा	एचएससीसी बैंक खाता	172502000000151
3	इंडियन ओवरसीज बैंक	सेक्टर–1, नोएडा	एचएससीसी इंडिया लिमिटेड	1750200000331
4	एम्स न्यू ओपीडी ब्लॉक	सेक्टर–1, नोएडा	एम्स न्यू ओपीडी ब्लॉक	34930766338
5	इंडियन ओवरसीज बैंक	सेक्टर–1, नोएडा	पएमएसएसवाई जीटीबी अमृतसर	17250200017019
6	इंडियन ओवरसीज बैंक	सेक्टर–1, नोएडा	तेजपुर एलजीबीआरआईएमएच	172501000017325
7	एचडीएफसी बैंक	सेक्टर–26, नोएडा	एचएससीसी इंडिया लिमिटेड	502000011829157

छ) 31 मार्च 2019 को छह माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया संविधिक देय निम्नलिखित है:

क्र. सं.	विवरण	राशि लाखों में
1	आय कर	47.22
2	भवन उपकर	160.61
3	माल एवं सेवा कर	2.03
4	टीडीएस	41.73

कम्पनी 321.51 लाख रुपये की आय कर की मांग और 34.94 लाख की बकाया टीडीएस की मांग को रद्द करवाने के लिए

एओ के सम्मुख आवेदन दायर करने की प्रक्रिया में है

ज) 2,926.00 लाख रुपये के महत्वपूर्ण लेनदेन को देखा गया जिसे संदिग्ध विश्वसनीयता के उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है। उसी के लिए रिजर्व से प्रावधान 1 अप्रैल, 2017 से किया गया है, क्योंकि लेनदेन वित्तीय वर्ष 2016–17 से पहले की अवधि से संबंधित है।

इंडियन ओवरसीज बैंक, नोएडा में कंपनी के खाते के लेनदेन के कैग द्वारा परीक्षण के दौरान, महत्वपूर्ण लेनदेन को देखा गया जिसे संदिग्ध विश्वसनीयता के उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है।

352.00 लाख रुपये की राशि को अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों के तहत प्राप्य ब्याज में शामिल किया गया था, हालांकि अक्टूबर 2014 में भी यही प्राप्त हुआ था।

कंपनी की ओर से 2013–14 के दौरान 11.00 लाख रुपये की बिक्री कर जमा किया गया था, जिसे ग्राहक से वसूल किया गया था और इसे अल्पकालिक ऋण और अग्रिमों के तहत दिखाया गया था।

197 लाख रुपये क स्थायी जमा जो अप्रैल 2014 में खोला गया था और जुलाई 2014 में एनकैश किया गया, से 6.00 लाख रुपये का ब्याज कमाया गया है। यह देखा गया कि कंपनी के बैंक खाता बही में, 197.00 लाख रुपये एक एकल नकदीकरण के विरुध्द दो बार डेबिट (प्राप्त) किए गए थे।

12 अप्रैल 2014 को एक ग्राहक से बैंक खाते में 783.00 लाख रुपये की राशि जमा की गई थी और ग्राहकों के हेड डिपॉजिट के तहत उसे कंपनी के खातों में दिखाया गया था। इसके बाद, इस राशि के कई डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियों को ग्राहक के खाते में रिवर्सल और परिशोधन के बहाने 2014–15 के दौरान किया गया था। क्लाइंट लेडर जो कि देय प्रकृति का है, 31 मार्च 2018 को कंपनी की पुस्तकों में 712.00 लाख रुपये का डेबिट शेष दिखा रहा था।

यूको बैंक में कंपनी के खाते में 1,282.00 लाख रुपये की सावधि जमा (एफडी) अगस्त 2013 में 110 लाख रुपये के ब्याज के साथ एनकैश की गई थी। 31 मार्च, 2014 को इंडियन ओवरसीज बैंक में कंपनी के खाते में नकदीकरण की कार्यवाही की प्राप्ति के लिए एक प्रविष्टि की गई थी, हालांकि, उसी वाउचर में, एफडी नकदीकरण पर प्राप्त राशि को उलट दिया गया था। इस प्रकार, एफडी नकदीकरण की प्राप्ति को रद्द करें।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 और 2014–15 से संबंधित सभी बैंक भुगतानों की जांच और बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदों के सत्यापन के लिए अप्रैल 2017 में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की एक फर्म के साथ काम किया था। खातों की किताबों में 2,926.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

ज) वित्त वर्ष 2019–20 की पहली तिमाही के दौरान में, खातों की विभिन्न मदों के मिलान की प्रक्रिया में चार अज्ञात लेन–देन देखे गए थे जिनकी पुष्टि नीचे उल्लिखित बैंकों से की गई।

क्र. सं.	विक्रेता का नाम	तिथि	राशि (रु. लाख में)
1	मैसर्स एमएस इंटरप्राइजिज	16 सितम्बर 16	
2	मैसर्स एमएस इंटरप्राइजिज	16 सितम्बर 16	26.98
3	मैसर्स एमएस इंटरप्राइजिज	20 सितम्बर 16	68.87
4	मैसर्स एमएस इंटरप्राइजिज	20 सितम्बर 16	70.25

एसएसपी, गौतमबुद्ध नगर के पास 13 मई 2019 को एक शिकायत की गई है

नोट–30

लाभांश और रिजर्व

(रु. लाखों में)

किया गया और प्रस्तावित वितरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
इक्विटी पर घोषित और भुगतान किया गया नकद लाभांश		
अंतिम लाभांश	-	1,128.29
अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	-	229.69

क) वर्ष 2018–19 के दौरान कमाए गए शुद्ध लाभ का 60 प्रतिशत प्रस्तावित लाभांश होगा

ख) प्रस्तावित लाभांश कंपनी की सामान्य बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।

इंड. एएस–28 'प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक सम्पत्ति' के अंतर्गत घोषणा
प्रावधानों में गतिविधियां

नोट–31

वित्त वर्ष के दौरान प्रावधानों के प्रत्येक वर्ग में गतिविधि (चालू और गैर–चालू) नीचे दी गई हैं:

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युइटी	लीव एनकैशमेंट	अवकाश यात्रा छूट	पीछारपी के लिए प्रावधान	कानूनी प्रक्रिया में लम्बित मामलों के लिए प्रावधान	अनुसंधान और विकास निधि	सतत विकास निधि	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड
1 अप्रैल 2017 तक	-	776.97	-	492.26	3,076.07	16.77	12.91	23.47
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	288.03	230.21	-	247.34	-	-	-	120.65
घटा: वर्ष के दौरान किया गया रिवर्सल	-	-	-	(158.99)	-	-	-	
घटा: वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	-	(69.88)	-	(212.80)	-	-	-	(144.12)
31 मार्च 2018 तक	288.03	937.30	-	367.81	3,076.07	16.77	12.91	-
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	35.76	49.18	1.95	369.61	-	-	-	-
घटा: वर्ष के दौरान रिवर्सल	-	-	-	(0.01)	-	-	-	-
घटा: वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	(287.59)	27.20	-	(120.46)	-	-	-	-
31 मार्च 2019 तक	36.20	1,013.68	1.95	616.95	3,076.07	16.77	12.91	-

नोट–32

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के तहत घोषणा निम्नानुसार है:

उन आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त पुष्टि के आधार पर जिन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 और समूह के अंतर्गत पंजीकृत हैं, उपलब्ध जानकारी के आधार पर, निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत हैं:

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(i)	वर्ष के अंत में भुगतान रहित मूल राशि	760.04	-	-
(ii)	वर्ष के अंत में उक्त मूल धन पर ब्याज और भुगतान रहित राशि	-	-	-
(iii)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान साथ।	-	-	-
(iv)	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है, लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज के बिना कोई ब्याज।	-	-	-
(v)	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और शेष बकाया राशि पर ब्याज की राशि; और	-	-	-
(vi)	बकाया और अगले वर्ष देय राशि पर ब्याज की राशि, उस तिथि को जब ब्याज देय है, को वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान किया जाता है जिसका उद्देश्य घटाने योग्य खर्च के रूप में डिसअलाउंस है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत है।	-	-	-

नोट–33

कम्पनी ने कर्मचारी लाभ पर भारतीय लेखा मानक (इंड. एएस)–19 को अपनाया है जो इस प्रकार है:

ग्रेच्युटी

कंपनी के पास एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की

है, ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के अनुसार मृत्यु, त्यागपत्र, समाप्ति, अक्षमता या मृत्यु पर ग्रेच्युटी पाने का हकदार है। यह योजना कंपनी द्व ारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है। उसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है और तदनुसार ग्रेच्युटी ट्रस्ट को हस्तांतरित किया जाता है। 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधान 36.20 लाख रुपये है {31 मार्च, 2018: 288.03 लाख}।

अर्जित अवकाश

कंपनी के पास अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए एक अन्य दीर्घकालिक लाभ योजना है। वर्ष के अंत में अधिकतम 300 दिनों (मूल वेतन से अधिक महंगाई भत्ता) के बराबर अर्जित अवकाश के नकदीकरण का प्रावधान किया गया है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डाला गया है। वर्ष 2018–19 के लिए देयता का लेखा–जोखा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। 31 मार्च, 2019 तक अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए संचयी दायित्व 722.11 लाख रुपये {31 मार्च, 2018: 619.90 लाख रुपये} है।

बीमारी के लिए अवकाश

कंपनी के पास बीमा अवकाश एनकैशमेंट के लिए अन्य दीर्घकालिक लाभ योजना है। अवकाश पर आधे वेतन अवकाश के नकदीकरण को 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन अर्जित अवकाश के नकदीकरण के अलावा अनुमति दी जाएगी। बीमारी के लिए अवकाश के लिए देय नकद राशि समान वेतन के बराबर होगी, क्योंकि आधे वेतन और उस पर डीए के लिए स्वीकार्य होगा और अर्जित अवकाश में कमी होगी। इस उद्देश्य के लिए बीमारी के लिए अवकाश की कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्ष 2018–19 के लिए देयता का लेखा–जोखा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। 31 मार्च, 2019 तक बीमारी के लिए लीव एनकैशमेंट के लिए संचयी दायित्व 291.58 लाख रुपये {31 मार्च, 2018: 317.40 लाख रुपये} है।

सेवानिवृति पर यात्रा भत्ता

31 मार्च, 2019 को कर्मचारियों को सुपरनेशन (एक्जिट) पर दिए जाने वाले यात्रा भत्ते की संचयी देयता 1.95 लाख रुपये {31 मार्च, 2018: शून्य} है, जो एक्चुरियल वैल्यूएशन पर आधारित है।

क) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

विवरण	अवधि	अर्जित अवकाश	सिक लीव	यात्रा भत्ता
वर्ष के अंत में उत्तरदायित्वों का मौजूदा मूल्य	2018-19	722.11	291.58	1.95
	2017-18	619.90	317.40	-
वर्ष के अंत में योजना का उचित मूल्य	2018-19	-	-	-
	2017-18	-	-	-
बैलेंस शीट में मान्यताप्राप्त शुद्ध सम्पत्तियां / (देनदारियां)	2018-19	722.11	291.58	1.95
	2017-18	619.90	317.40	-

खद्ध लाभ और हानि के विवरण में मान्य व्यय इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

विवरण	अवधि	अर्जित अवकाश	सिक लीव	यात्रा भत्ता
वर्तमान सेवा लागत	2018-19	64.34	22.67	1.95
	2017-18	62.34	29.44	-
निर्धारित लाभ बाध्यताओं पर ब्याज	2018-19	47.92	24.54	-
	2017-18	39.22	19.36	-
नियोजन सम्पत्तियों पर ब्याज	2018-19	-	-	-
	2017-18	-	-	-
शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि जिसे अवधि में मान्य किया जाता है	2018-19	116.92	(72.24)	-
	2017-18	65.45	13.30	-
लाभ और हानि विवरण में मान्य व्यय	2018-19	229.18	(25.04)	1.95
	2017-18	167.01	62.11	-

ग) निर्धारित लाभ बाध्यताओं के आरंभिक और अंतिम शेष के समायोजन निम्न प्रकार है:

(रु. लाख में)

विवरण	अवधि	अर्जित अवकाश	सिक लीव	यात्रा भत्ता
वर्ष के शुरू में देनदारियों का मूल्य	2018-19	619.90	317.40	-
	2017-18	520.20	256.77	-
अधिग्रहण समायोजन	2018-19	-	-	-
	2017-18	-	-	-
ब्याज लागत	2018-19	47.92	24.54	-
	2017-18	39.22	19.36	-
मौजूदा सेवा लागत	2018-19	64.34	22.67	1.95
	2017-18	62.34	29.44	-
बीमांकिक (लाभ)/हानि जो निम्न से उत्पन्न होती है				
जनसंख्या सम्बधी धारणाओं में परिवर्तन	2018-19	116.92	(72.24)	-
	2017-18	65.45	13.30	-
पहले की सेवा लागत	2018-19	-	-	-
	2017-18	-	-	-
भुगतान किया गया लाभ	2018-19	(126.98)	(0.78)	-
	2017-18	(67.31)	(1.48)	-
वर्ष के अंत में देनदारियों का वर्तमान मूल्य	2018-19	722.11	291.58	1.95
	2017-18	619.90	317.40	-

घ) बीमांकिक धारणाएं निम्नलिखित हैं:

(रु. लाख में)

विवरण	अवधि	अर्जित अवकाश	सिक लीव	यात्रा भत्ता
छूट दर	2018-19	7.75%	7.75%	7.75%
	2017-18	7.73%	7.73%	-
अतिरिक्त वेजन बढोतरी की प्रत्याशित दर	2018-19	7.00%	7.00%	-
	2017-18	5.50%	5.50%	-
सेवानिवृति आयु	2018-19	60	60	60
	2017-18	60	60	-
आयु		निकासी दर	निकासी दर	निकासी दर
30 वर्ष तक	2018-19	3.00%	3.00%	3.00%
	2017-18	3.00%	3.00%	-
31 से 44 वर्ष तक	2018-19	2.00%	2.00%	2.00%
	2017-18	2.00%	2.00%	-
44 वर्ष से अधिक	2018-19	1.00%	1.00%	1.00%
	2017-18	1.00%	1.00%	-

विकलांगता के लिए प्रावधान सहित मृत्यु दर– आईएएलएम का 100 प्रतिशत (2006 – 08)

प्लान प्रावधानों से संबंधित जोखिम

मूल्यांकन कुछ मान्यताओं पर आधारित है, जो प्रकृति में गतिशील है और समय के साथ बदलती रहती हैं। इस तरह की कंपनी को निम्नलिखित जोखिम होते हैं:

वेतन बढोत्तरी	वास्तविक वेतन वृद्धि से योजना की देयता बढ़ जाएगी। भविष्य के मूल्यांकन में वेतन वृद्धि दर धारणा में वृद्धि से देयता भी बढ़ेगी।
निवेश जोखिम	यदि योजना को वित्त पोषित किया जाता है तो संपत्ति की देनदारियां बेमेल हो जाती हैं और अंतिम मूल्यांकन तिथि पर ग्रहण की गई छूट दर से कम संपत्ति पर वास्तविक निवेश रिटर्न देयता को प्रभावित कर सकता है।
छूट दर	आगे के मूल्यांकनों में छूट दर में कमी योजना की देनदारी को बढा सकता है
मृत्यु और विकलांगता	मूल्यांकन में अनुमान से कम या अधिक साबित होने वाली वास्तविक मृत्यु और विकलांगता के मामले देनदारियों को प्रभावित कर सकते हैं।
निकास	अनुमानित निकासियों से अधिक वास्तविक निकसियां और निकास दरें आगे के मूल्यांकनों में परिवर्तन योजना की देनदारियों को प्रभावित कर सकता है।

ङ) निर्धारित लाभ उत्तरदायित्व की परिपक्वता प्रोफाइल मार्च 2019 के लिए निम्न प्रकार से हैं:

(रु. लाख में)

विवरण	अवधि	अर्जित अवकाश	सिक लीव	यात्रा भत्ता
निर्धारित लाभ देनदारी की अवधि अवधि (वर्ष)				
1	2019-20	34.09	20.60	0.84
2	2020-21	12.69	4.94	0.02
3	2021-22	12.51	4.91	0.02
4	2022-23	70.80	35.30	0.08
5	**2023-24**	**81.54**	**37.40**	**0.10**
5 वर्ष से ऊपर	2024-25 के बाद	510.47	188.42	0.89
कुल		**722.11**	**291.58**	**1.95**

निर्धारित लाभ उत्तरदायित्व की परिपक्वता प्रोफाइल मार्च 2018 के लिए निम्न प्रकार से है:

विवरण	अवधि	अर्जित अवकाश	सिक लीव
निर्धारित लाभ देनदारी की अवधि अवधि (वर्ष)			
1	2018-19	35.28	31.89
2	2019-20	10.90	5.11
3	2020-21	20.51	11.98
4	2021-22	10.11	4.94
5	**2022-23**	**61.08**	**37.28**
5 वर्ष से ऊपर	2023-24 के बाद	482.02	226.21
कुल		**619.90**	**317.40**

च) सदस्यता डाटा का सारांश:

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
कर्मचारियों की संख्या	176	186
ग्रेच्युटी के लिए कुल मासिक वेतन (लाखों में)	117.23	117.93
अवकाश उपलब्धि के लिए कुल मासिक वेतन (लाखों में)	117.23	117.93
कुल मासिक यात्रा भत्ता (लाखों में)	117.23	117.93
औसत भूतकाल सेवा (वर्ष)	10.62	9.82
औसत आयु (वर्ष)	39.68	39.65
औसत सेव कार्य जीवन (वर्ष)	20.32	20.35

छ) योजना सम्पत्ति की मुख्य श्रेणियां (कुल योजना सम्पत्तियों के योग के प्रतिशत के रूप में)

(रु. लाख में)

विवरण	अवधि	अर्जित अवकाश	सिक लीव	यात्रा भत्ता
बीमाकर्ता द्वार प्रबंधित निधि	2018-19	-	-	-
	2017-18	-	-	-

ज) संवेदनशीलता विश्लेषण इस प्रकार है:

छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव

(रु. लाख में)

विवरण	अवधि	अर्जित अवकाश	सिक लीव	यात्रा भत्ता
0.50% बढोतरी का प्रभाव	2018-19	(31.83)	(11.55)	-
0.50% बढोतरी का प्रभाव	2018-19	34.37	12.40	-

वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव

(रु. लाख में)

विवरण	अवधि	अर्जित अवकाश	सिक लीव	यात्रा भत्ता
0.50% बढोतरी का प्रभाव	2018-19	34.45	12.43	-
0.50% बढोतरी का प्रभाव	2018-19	(32.19)	(11.68)	-

* मृत्यु दर में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि/कमी के कारण निर्धारित लाभ दायित्व में परिवर्तन, यदि अन्य सभी धारणाएं स्थिर रहती है, तो नगण्य रहता है।

मुद्रास्फीति की दर के रूप में संवेदनशीलता, भुगतान में पेंशन की वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त लाभ के रूप में लागू नहीं होते हैं।

नोट–34

संबंधित पार्टी लेनदेन

होल्डिंग कंपनी

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

श्री ज्ञानेश पांडे (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक)

श्री एस.के.जैन (निदेशक (इंजी.)

श्री सौरभ श्रीवास्तव (मुख्य वित्तीय कार्यालय)

संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित विवरण इस प्रकार हैं:

क) सहायक कम्पनियां – शून्य
ख) फेलो सब्सिडियरीज – शून्य
ग) संबंधित पक्ष – शून्य
घ) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक पारिश्रमिक के संबंध में घोषणाओं को नोट संख्या – 23 क में दिया गया है

(रु. लाख में)

लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च 2019		31 मार्च 2018		31 मार्च 2017	
	होल्डिंग कम्पनी	प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	होल्डिंग कम्पनी	प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	होल्डिंग कम्पनी	प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी
बकाया शेष						
प्राप्य राशियां	11.58	-	-	-	-	-
पूर्व भुगतान व्यय	276.56	-	-	-	-	-

(रु. लाख में)

लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च 2019		31 मार्च 2018	
	होल्डिंग कम्पनी	प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	होल्डिंग कम्पनी	प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी
प्रतिनियुक्ति शुल्क				
स्थायी सम्पत्तियों की खरीद	6,834.99	-	-	-
भुगतान किया गया लाभांश	1,124.01	-	-	-
प्रबंधकीय मानदेय	-	64.97	-	137.25

नोट–35

क्रियाशील पट्टा–पट्टाधारी

कम्पनी की महत्वपूर्ण पट्टा संबंधी व्यववस्थाएं इसके पट्टे पर लिए गए कार्यालीय परिसरों के संबंध में हैं। ये व्यवस्थाएं जो रद्द किए जाने योग्य हैं, आमतौर पर आपसी सहमति से नवीकरणीय हैं।

नोट–36

भारतीय लेखा मानक (इंड. एस) '108 खण्ड' के अनुसार घोषणा

'इंड. एएस 108 के के अनुसार, कंपनी के मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता निदेशक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उन्होंने ने परियोजना प्रबंधन सेवा के रूप में अपने एकमात्र व्यवसाय खंड का निर्धारण किया है।

चूंकि कंपनी का व्यवसाय परियोजना प्रबंधन सेवाओं का है और कोई अन्य पहचान योग्य योग्य खंड नहीं हैं, इस लिए, खंड राजस्व, खंड परिणाम, खंड परिसंपत्तियों की कुल वहन राशि, खंड देनदारियों की कुल वहन राशि, खंड संपत्ति प्राप्त करने के लिए कुल लागत, वर्ष के दौरान मूल्यह्रास के लिए प्रभार की कुल राशि वित्तीय विवरण में परिलक्षित होती है।

भौगोलिक खंड

कंपनी के संचालन मुख्य रूप से देश के अंदर किए जाते हैं और इसलिए, भौगोलिक खंडों की घोषणा नहीं की जाती।

ग्राहकों के अनुसार राजस्व (राजस्व का 10 प्रतिशत से अधिक):

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान लगभग 69.24 प्रतिशत (पिछले वर्ष: 53.70 प्रतिशत) का राजस्व परियोजना प्रबंधन परामर्श खंड में एक एकल बाहरी ग्राहक से प्राप्त हुआ है।

नोट–37

भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत राजस्व पहचान पर नोट

राजस्व का विभाजन

मान्यता प्राप्त राजस्व में मुख्य रूप से परियोजना प्रबंधन परामर्श के माध्यम से सेवा की बिक्री शामिल है। ग्राहकों के साथ अनुबंध से कंपनी के राजस्व का विघटन नीचे दिया गया है:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवा	204,946.25	150,352.00
(ख) अन्य सहायक राजस्व		
(क) निविदा दस्तावेजों की बिक्री	26.58	21.91
(ख) वापिस लिखे गए प्रावधान	1,347.85	158.99
कुल राजस्व	206,320.69	150,532.90

* कम्पनी एकल खण्ड में संचालन करती है अर्थात सेवाओं की बिक्री– परियोजना प्रबंधन परामर्श

नीचे दी गई सारणी ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को प्रकृति, राशि और समय के आधार पर 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए प्रस्तुत करती है:

क्र. सं.	प्रकृति के अनुसार सेवाएं	अनुबंध के प्रकार के अनुसार सेवाएं	समय के अनुसार सेवाएं	31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
1	परियोजना प्रबंधन परामर्श	लागत और अनुबंध	समय अवधि के दौरान	**204,946.25**	**150,352.00**

2. ग्राहकों के साथ अनुबंध के संबंध में सम्पत्तियां और देनदारियां

निम्न सारणी ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्य राशियों, अनुबंध सम्पत्तियों, और अनुबंध देनदारियों को दर्शाती है:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
	चालू	चालू	चालू
सेवा की बिक्री से संबंधित अनुबंध देयताएं			
ग्राहकों से अग्रिम	203,525.04	179,166.30	125,415.62
अग्रिम में राजस्व प्राप्त हुआ	8,116.78	10,515.75	9,296.27
	211,641.82	**189,682.05**	**134,711.89**
प्राप्तियां			
बिल रहित राजस्व	17,471.05	35,355.42	38,561.48
व्यापार में प्राप्य राशियां	9,973.77	13,757.06	8,549.79
घटा: अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	(1,439.58)	(2,729.48)	(1,583.90)
शुद्ध प्राप्य राशियां	**8,534.19**	**11,027.57**	**6,965.88**
कुल	**220,176.01**	**200,709.62**	**141,677.78**

"प्राप्य एक अधिकार है जो समय बीतने पर बिना शर्त होता है। अनुबंध से प्राप्त राजस्व कार्य के दायित्व की संतुष्टि पर मान्य होता है।

चालान अनुबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण अवस्थाओं पर आधारित होता है। इसके कारण राजस्व के मान्य होने का समय ग्राहकों की बिलिंग के समय से भिन्न होगा। बिलिंग से अधिक राजस्व को राजस्व के रूप में दर्ज किया जाता है और इसे अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पहले से अनुबंधित संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त कोई भी राशि संलग्न शर्त अर्थात भविष्य की सेवा की संतुष्टि पर व्यापार प्राप्तियों के लिए पुनर्वर्गीकृत होता है जो महत्वपूर्ण पड़ाव हांसिल करने के लिए आवश्यक है। मान्यता प्राप्त राजस्व से अधिक का चालान अग्रिम में प्राप्त राजस्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहले से प्राप्त राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त कोई भी राशि निर्माण अवधि में कार्य दायित्व की संतुष्टि पर राजस्व के रूप में माना जाता है।

3. अनुबंध देनदारियों के संबंध में मान्य राजस्व

निम्नलिखित सारणी दर्शाती है कि चालू रिपोर्टिंग वर्ष अवधि में कितना राजस्व मान्य किया गया है जो आगे लाई गई अनुबंध जिम्मेदारियों से संबंधित होता है।

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ वर्ष
वर्ष की शुरुआत में अनुबंध देनदारियों में शामिल किया गया राजस्व	182,202.02
कार्य दायित्वों जो पिछले वर्षों में पूर्ण हैं	-
कुल	**182,202.02**

4. अनुबंध की संपत्ति और देनदारियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन

(रु. लाख में)

अनुबंध देनदारियां–ग्राहकों से एडवांस	31 मार्च 2019 को
अनुबंध देनदारियों का प्रारंभिक संतुलन – ग्राहकों से अग्रिम	179,166.30
घटा: वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व	(194,858.94)
जमा: वर्ष के दौरान राशि	219,217.68
अनुबंध देनदारियों का समापन – ग्राहकों से अग्रिम	**203,525.04**

अनुबंध देनदारियां–आस्थगित आय	31 मार्च 2019 को
अनुबंध देनदारियों का प्रारंभिक संतुलन – अग्रिम में प्राप्त राजस्व	10,515.75
घटा: अनुबंध देनदारियों के विरुद्ध मान्यता प्राप्त राजस्व	(3,035.72)
जमा: चालू वर्ष के लिए अनुबंध देनदारियों के संतुलन में परिवर्धन	636.75
अनुबंध देनदारियों का अंतिम शेष – अग्रिम में प्राप्त राजस्व	**8,116.78**

अनुबंध सम्पत्तियां–बिल रहित राजस्व	31 मार्च 2019 को
अनुबंध सम्पत्ति का ओपनिंग बैलेंस – अनबिल्ड रेवेन्यू	11,027.57
घटा: प्रारंभिक अनुबंध संपत्ति के विरुध्द मान्यता प्राप्त राजस्व	(11,027.57)
जमा: चालू वर्ष के लिए अनुबंध परिसंपत्तियों के शेष में वृद्धि	8,534.19
अनुबंध सम्पत्ति का अंतिम शेष – अनबिल्ड रेवेन्यू	**8,534.19**

5 शेष बचा हुआ कार्य

भारतीय लेखा मानक 115 में दिए गए व्यावहारिक प्रणाली को लागू करते हुए, कंपनी ने अनुबंधों के लिए शेष कार्य दायित्व संबंधी घोषणाएं नहीं की हैं। क्योंकि राजस्व मान्यता प्राप्त इकाई के ग्राहक के मूल्य के साथ सीधे मेल खाती है। शेष कार्य दायित्व अनुमान परिवर्तन के अधीन हैं और कई कारकों से प्रभावित होते हैं, जैसे कि अनुबंध के दायरे में परिवर्तन, आवधिक पुनर्मूल्यांकन, राजस्व के लिए समायोजन और समायोजन जिनके बदले में धन प्राप्त नहीं हुआ है।

नोट–38

वित्तीय संपत्तियां और देयताएं

उचित मूल्य की घोषणा

(1) उचित मूल्य पदानुक्रम

बैलेंस शीट में उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में बांटा गया है। तीन स्तरों को माप के लिए महत्वपूर्ण जानकारी के अवलोकन के आधार पर परिभाषित किया गया है:

स्तर 1: समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (अनुचित)

स्तर 2: एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जो कि अवलोकन योग्य बाजार डेटा का अधिकतम उपयोग इकाई विशिष्ट अनुमानों पर कम से कम भरोसा करते हैं।

स्तर 3: यदि महत्वपूर्ण इनपुट्स में से एक या अधिक अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं है, उपकरणों को शामिल किया जाता है

(ii) उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्तियां और देनदारियां – आवर्ती उचित मूल्य माप

कंपनी के पास कोई वित्तीय साधन नहीं है जो उचित मूल्य पर या तो लाभ और हानि के बयान के माध्यम से या अन्य व्यापक आय के माध्यम से मापा जाता है।

(iii) परिशोधन लागत पर मापे गए उपकरणों का उचित मूल्य

उचित मूल्य की घोषणा करने के लिए परिशोधन लागत पर मापा जाने वाले उपकरणों का उचित मूल्य निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

विवरण	संदर्भ नोट	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
		परिशोधित लागत	उचित मूल्य	परिशोधित लागत	उचित मूल्य	परिशोधित लागत	उचित मूल्य
वित्तीय सम्पत्ति							
व्यापार प्राप्य राशियां	नोट -7	8,534.19	8,534.19	11,027.57	11,027.57	6,965.88	6,965.88
नकद और नकद के समकक्ष	नोट -8	19,663.88	19,663.88	10,159.07	10,159.07	17,148.56	17,148.56
अन्य बैंक बैलेंस	नोट -9	258,419.63	258,419.63	212,691.63	212,691.63	144,499.29	144,499.29
अन्य वित्तीय सम्पत्तियां	नोट -10	24,923.94	24,923.94	43,387.38	43,387.38	44,270.58	44,270.58
प्रतिधारण धन और सुरक्षा जमा							
चालू	नोट -10	-	-	56.36	56.36	54.83	54.83
गैर–चालू	नोट -5	32.73	32.73	35.58	35.58	37.01	37.01
कुल वित्तीय सम्पत्तियां		**311,574.38**	**311,574.38**	**277,357.61**	**277,357.61**	**212,976.15**	**212,976.15**

विवरण	संदर्भ नोट	31 मार्च 2019 को			31 मार्च 2018 को			1 अप्रैल 2017 को		
		एफवी टीपीएल	परिशोधित लागत	उचित मूल्य	एफवी टीपीएल	परिशोधित लागत	उचित मूल्य	एफवी टीपीएल	परिशोधित लागत	उचित मूल्य
वित्तीय देनदारियां										
व्यापार प्राप्य	नोट -15	-	68,779.69	68,779.69	-	39,072.43	39,072.43	-	19,140.02	19,140.02
अन्य वित्तीय देनदारियां	नोट -16	-	43,570.74	43,570.74	-	58,587.61	58,587.61	-	60,952.20	60,952.20
कुल वित्तीय देनदारियां		**-**	**112,350.42**	**112,350.42**	**-**	**97,660.04**	**97,660.04**	**-**	**80,092.22**	**80,092.22**

प्रबंधन ने मूल्यांकन किया कि नकदी और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य, अन्य प्राप्य, व्यापार के भुगतान और अन्य मौजूदा वित्तीय देनदारियां इन उपकरणों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण बड़े पैमाने पर उनकी वहन राशियों के लगभग हैं।

नोट–39

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की गतिविधियां इसे क्रेडिट जोखिम, नकदी जोखिम और बाजार जोखिम के सम्पर्क में लाती हैं। कंपनी के निदेशक मंडल के पास कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निगरानी की पूरी जिम्मेदारी है। यह नोट जोखिम के स्रोतों और वित्तय कथनों में जोखिमों और संबंधित प्रभाव को कम्पनी कैसे प्रबंधित करती है यह व्याख्या करता है।

(क) क्रेडिट जोखिम

कंपनी को अपने परिचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य राशियां) और बैंकों और वित्तीय संस्थानों और अन्य वित्तीय साधनों में जमाओं सहित अपने वित्तपोषण गतिविधियों से क्रेडिट जोखिम है।

(1) क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट

कंपनी वित्तीय संपत्तियों के निम्न वर्गों के आधार पर वित्तीय सम्पत्तियों के क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन और प्रबंधन करती है जिनका अनुमान विशिष्ट वित्तीय सम्पत्तियों के वर्ग विशेष की धारणाओं, इनपुट और कारकों के आधार पर लगाया जाता है।

क: वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि पर कम क्रेडिट जोखिम

ख: मध्यम क्रेडिट जोखिम

ग: उच्च क्रेडिट जोखिम

कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान करती है:

सम्पत्ति समूह	आधारभूत वर्गीकरण	व्यय क्रेडिट हानि
कम क्रेडिट जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, अन्य बैंक शेष राशि और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12 महीने के क्रेडिट हानि का अनुमान
मध्यम क्रेडिट जोखिम	व्यापार प्राप्य राशियां	लाइफ टाइम क्रेडिट हानि का अनुमान
उच्च क्रेडिट जोखिम	व्यापार प्राप्य राशियां	लाइफ टाइम क्रेडिट की हानि या पूरी तरह से प्रावधान का अनुमान

व्यापार प्राप्तियों के संबंध में, कंपनी आजीवन अपेक्षित क्रेडिट लॉस के प्रावधान को मान्यता देती है।

व्यवसाय के वातावरण के आधार पर, जिसमें कंपनी संचालित होती है, एक वित्तीय संपत्ति पर एक डिफॉल्ट माना जाता है जब काउंटर पार्टी अनुबंध के अनुसार सहमत समय अवधि के अंदर भुगतान करने में विफल रहती है या विभिन्न मामलों के आधार पर तथ्यात्मक परिस्थितियों के आधार पर बाद में निर्णय लिया जाता है। चूक को दर्शाने वाली हानि दर वास्तविक ऋण हानि के अनुभव और वर्तमान और ऐतिहासिक आर्थिक स्थितियों के बीच अंतर पर विचार करने पर आधारित है

जब वसूली की कोई उम्मीद नहीं होती है, तो सम्पत्तियों को खारिज कर दिया जाता है, जैसे कि एक देनदार को दिवालिया घोषित करना या कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर करना। कंपनी उन पार्टियों के साथ संबंध जारी रखती है, जिनका बैलेंस खरिज कर दिया जाता है पुनर्भुगतान का प्रयास किया जाता है। किए गए पुनर्प्राप्ति को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

(रु. लाख में)

क्रेडिट रेटिंग	विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	1 अप्रैल 2017 को
क: कम क्रेडिट जोखिम	व्यापार प्राप्य, नकद और नकद समकक्ष, अन्य बैंक बैलेंस और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	309,058.77	273,985.59	211,021.29
ख: उच्च क्रेडिट जोखिम	व्यापार प्राप्य राशियां	3,955.19	6,065.91	3,501.76

व्यापार प्राप्तियों का केंद्रीकरण

व्यापार प्राप्य राशियों के लिए कम्पनी का मुख्य क्रेडिट जोखिम विभिन्न सरकारी विभागों/मंत्रालयों से होता है

क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर

अपेक्षित क्रेडिट घाटे के लिए प्रावधान

कंपनी 12 महीनों के आधार पर अपेक्षित क्रेडिट हानि निम्न वित्तीय संपत्तियों के लिए लाइफ टाइम प्रत्याशित क्रेडिट के आधार पर प्रावधान करती है –

क: कम क्रेडिट जोखिम

31 मार्च 2019 तक

(रु. लाख में)

विवरण	संदर्भ नोट	वहन राशि	अयोग्यता	अयोग्यता प्रावधन में से शुद्ध वहन राशि
नकद और नकद समकक्ष	नोट -08	19,663.88	-	19,663.88
अन्य बैंक शेष	नोट -09	258,419.63	-	258,419.63
अन्य वित्तीय संपत्तियां	नोट -5,10	43,494.67	15.34	43,479.33

31 मार्च 2018 तक

विवरण	संदर्भ नोट	वहन राशि	अयोग्यता	अयोग्यता प्रावधन में से शुद्ध वहन राशि
नकद और नकद समकक्ष	नोट -08	10,159.06	-	10,159.06
अन्य बैंक शेष	नोट -09	2,12,691.63	-	2,12,691.63
अन्य वित्तीय संपत्तियां	नोट -5,10	43,494.67	15.34	43,479.33

31 मार्च 2017 तक

विवरण	संदर्भ नोट	वहन राशि	अयोग्यता	अयोग्यता प्रावधन में से शुद्ध वहन राशि
नकद और नकद समकक्ष	नोट -08	17,148.56	-	17,148.56
अन्य बैंक शेष	नोट -09	1,44,499.29	-	1,44,499.29
अन्य वित्तीय संपत्तियां	नोट -5,10	44,377.76	15.34	44,362.42

ख: उच्च क्रेडिट जोखिम

सरलीकृत उपागम के अंतर्गत व्यापार प्राप्य राशियों के लिए प्रत्याशिक क्रेडिट हानि

31 मार्च 2019 तक

(रु. लाख में)

आयु की बढना	संदर्भ नोट	एक वर्ष तक	एक और दो वर्ष के बीच	2 और 3 वर्ष के बीच	3 वर्ष से ऊपर	कुल
सकल वहन राशि	नोट -7	6,018.58	2,115.00	933.74	906.45	9,973.77
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि अलाउंस) प्रावधान)		-	390.05	313.91	735.62	1,439.58
व्यापार प्राप्तियों की वहन राशि (अयोग्यता का शुद्ध)		**6,018.58**	**1,724.95**	**619.83**	**170.83**	**8,534.19**

31 मार्च 2018 तक

(रु. लाख में)

आयु की बढना	संदर्भ नोट	एक वर्ष तक	एक और दो वर्ष के बीच	2 और 3 वर्ष के बीच	3 वर्ष से ऊपर	कुल
सकल वहन राशि	नोट-7	7,691.14	3,760.69	1,154.11	1,151.11	13,757.06
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि अलाउंस) प्रावधान)		-	1,508.16	732.83	488.48	2,729.48
व्यापार प्राप्तियों की वहन राशि (अयोग्यता का शुद्ध)		**7,691.14**	**2,252.53**	**421.27**	**662.63**	**11,027.57**

31 मार्च 20179 तक

(रु. लाख में)

आयु की बढना	संदर्भ नोट	एक वर्ष तक	एक और दो वर्ष के बीच	2 और 3 वर्ष के बीच	3 वर्ष से ऊपर	कुल
सकल वहन राशि	नोट -7	5,048.03	2,004.95	469.47	1,027.34	8,549.79
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि अलाउंस) प्रावधान)		-	1,407.65	176.26	-	1,583.90
व्यापार प्राप्तियों की वहन राशि (अयोग्यता का शुद्ध)		**5,048.03**	**597.30**	**293.21**	**1,027.34**	**6,965.88**

हानि प्रावधान का मिलान–व्यापार प्राप्य राशियां

(रु. लाख में)

हानि अलाउंस का मिलान	हानि अलाउंस
1 अप्रैल 2017 को हानि अलाउंस	1,583.90
अयोग्यता हानि मान्यता	1,145.58
रिवर्सल	-
31 मार्च 2018 को हानि अलाउंस	**2,729.48**
अयोग्यता हानि मान्यता	-
रिवर्सल	(1,289.90)
31 मार्च 2019 को हानि अलाउंस	**1,439.58**

(ख) लिक्विडिटी जोखिम

कंपनी की लिक्विडिटी के मुख्य स्रोत नकद और नकद समकक्ष हैं जो संचालन के नकद प्रवाह से उत्पन्न होते हैं। कंपनी का कोई बकाया बैंक उधार नहीं है। कंपनी का मानना है कि परिचालन से नकदी प्रवाह इसकी वर्तमान नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिकाओं में कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण उनके अनुबंधित परिपक्वताओं के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में किया जाता है। तालिका में दी गई राशियों में अनुबंधित अज्ञात नकदी प्रवाह हैं। 12 महीने के अंदर शेष राशि उनके वहन बैलेंस के बराबर है क्योंकि छूट का प्रभाव नगण्य है।

(रु. लाख में)

31 मार्च 2019 को	संदर्भ नोट	एक वर्ष तक	एक वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देय राशियां	नोट -15	68,779.69	-	68,779.69
धरोहर राशि और सुरक्षा जमा	नोट -16	17,728.11	-	17,728.11
लाभांश देय राशियां	नोट -16	1,124.01	-	1,124.01
बुक ओवर ड्राफ्ट	नोट -16	5,971.70	-	5,971.70
अन्य देय राशियां	नोट -16	18,746.91	-	18,746.91
कुल		**112,350.42**	-	**112,350.42**

(रु. लाख में)

31 मार्च 2019 को	संदर्भ नोट	एक वर्ष तक	एक वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देय राशियां	नोट -15	39,072.43	-	39,072.43
धरोहर राशि और सुरक्षा जमा	नोट-16	15,935.98	-	15,935.98
बुक ओवर ड्राफ्ट	नोट -16	10,132.88	-	10,132.88
अन्य देय राशियां	नोट -16	32,518.75	-	32,518.75
कुल		**55,008.41**	**-**	**55,008.41**

(रु. लाख में)

31 मार्च 2019 को	संदर्भ नोट	एक वर्ष तक	एक वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देय राशियां	नोट -15	19,140.02	-	19,140.02
धरोहर राशि और सुरक्षा जमा	नोट-16	13,613.95	-	13,613.95
बुक ओवर ड्राफ्ट	नोट -16	8,397.50	-	8,397.50
अन्य देय राशियां	नोट -16	38,940.75	-	38,940.75
कुल		**32,753.98**	**-**	**32,753.98**

विदेशी मुद्रा जोखिम

असुरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम

रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार असुरक्षित विदेशी मुद्रा के जोखिम का विवरण

वर्गीकरण	31 मार्च 2019		31 मार्च 2018		1 अप्रैल 2017	
	राशि	विदेशी मुद्रा	राशि	विदेशी मुद्रा	राशि	विदेशी मुद्रा
व्यापार प्राप्य राशियां	747.51	USD 1,076,376	19.78	USD 30,431	-	-

विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है कि किसी एक्सपोजर के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में विदेशी मुद्रा दरों में बदलाव के कारण उतार–चढ़ाव होगा। विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के जोखिम के लिए कंपनी का एक्सपोजर मुख्य रूप से कंपनी की परिचालन गतिविधियों से संबंधित है (जब विदेशी मुद्रा में राजस्व या व्यय को दर्शाया जाता है)। विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रति लाभ या हानि की संवेदनशीलता मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा में लिखे वित्तीय उपकरणों से उत्पन्न होता है।

यूएस डॉलर संवेदनशीलता	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
भारतीय रुपया/यूएसडी में बढोतरी:	37.38	0.99
(31 मार्च 2019 5%)		
(31 मार्च 2018 5%)		
भारतीय रुपया/यूएसडी में कमी:	(37.38)	(0.99)
(31 मार्च 2019 5%)		
(31 मार्च 2018 5%)		

*सभी अन्य समान चर

(ग) बाजार जोखिम

कम्पनी को कोई बाजार जोखिम नहीं है

नोट–40

पूंजी प्रबंधन

पूंजी के प्रबंधन के लिए कंपनी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं

– एक सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में बने रहने की उनकी क्षमता को सुरक्षित रखना ताकि वे शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के लिए लाभ और रिटर्न प्रदान करना जारी रख सकें।

– पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखना।

पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, समूह शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश की राशि को समायोजित कर सकता है, शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकता है, ऋण को कम करने के लिए नए शेयर जारी कर सकता है या संपत्ति बेच सकता है (शुद्ध ऋण में उधार और नकद और नकद समतुल्य शामिल हैं)। उद्योग में दूसरों की तरह, कंपनी निम्नलिखित गियरिंग अनुपात के आधार पर पूंजी की निगरानी करती है।

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	1 अप्रैल 2017 को
इक्विटी शेयर पूंजी	180.01	180.01	240.02
अन्य इक्विटी	13,690.19	10,063.87	13,959.81
कुल इक्विटी	13,870.20	10,243.89	14,199.83

संबंधित वर्षों के अंत में कंपनी पर कोई बकाया ऋण नहीं है। तदनुसार कंपनी के पास 31 मार्च, 2019, 31 मार्च, 2018 और 1 अप्रैल, 2017 को शून्य कैपिटल गियरिंग अनुपात है।

नोट–41

पहली बार भारत लेखा मानकों की अनुपालना

ये भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार की गई कंपनी की पहली वित्तीय स्थिति हैं।

नोट 1 में निर्धारित लेखांकन नीतियों को 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लागू किया गया है, 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इन वित्तीय कथनों में प्रस्तुत तुलनात्मक जानकारी और एक प्रारंभिक भारतीय लेखा मानकों के अनुसार बैलेंस शीट को 1 अप्रैल, 2017 (कंपनी के ट्रांजीशन की तिथि)। पिछले जीएएपी से भारतीय लेखा मानकों की तरफ कम्पनी ने बदलाव किया है। इसने कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह को किस तरह से प्रभावित किया है यह निम्न सारणी और टिप्पणियों में दिया गया है।

क. भारतीय लेखा मनक विकल्प से छूट

प्रोपर्टी, प्लांट और उपकरण तथा अमूर्त सम्पत्ती के लिए आने वाली लागत

इंड. एएस. 101 पहली बार प्रयोगकर्ताओं को अपने सभी प्रोपर्टी, प्लांट और उपकरणों के लिए इंड. एएस अपनाने की तिथि को वहन मूल्य को निरंतर जारी रखने का विकल्प प्रदान करता है, जिसे पिछले जीएएपी के अनुसार मापा जाता है और उसे अपनाए जाने की तिथि को लागत के रूप में प्रयोग करने की अनुमति देता है, जिसके लिए पहले डि–कमीशनिंग उत्तरदायित्वों के लिए आवश्यक समायोजन किए जाते हैं। इस छूट का प्रयोग इंड. एएस 38 'अमूर्त सम्पतियां' में शामिल सम्पतियों के लिए भी किया जा सकता है। तदनुसार कम्पनी ने अपनी सभी सम्पतियों, प्लांट और उपकरण व अमूर्त सम्पतियों को उनके पिछली जीएएपी वहन मूल्य पर मापने का विकल्प चुना है।

ख. भारतीय लेखांकन मानक, अनिवार्य छूट अनुमान

भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाए जाने की तिथि को उन मानकों के अनुसार एक कम्पनी के अनुमान पिछले जीएएपी के अनुसार उसी तिथि को लगाए गए अनुमानों के समान होंगे (लेखांकन नितियों के अनुसार किसी भी अंतर को समायोजित करने के बाद), यदि एक वस्तुपरक प्रमाण नहीं कि ये अनुमान गलती से लगाए गए थे।

1 अप्रैल 2017 को भारतीय लेखांकन मानक अनुमान पिछले जीएएपी के अनुसार सही हैं। कम्पनी ने ट्रांजीशन की तिथि को निम्नलिखित आइटमों के लिए भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार अनुमान लगाए हैं क्योंकि जीएएपी के अंतर्गत उनकी आवश्यकता नहीं थी।

क) अनुमानित क्रेडिट हानि प्रतिमान के आधार पर वित्तीय सम्पतियों की अयोग्यता

ग. पिछले जीएएपी और भारतीय लेखा मानकों के बीच समायोजन

भारतीय लेखांकन मानक 101 के अंतर्गत पिछली अवधि के लिए इक्विटी, कुल व्यापक आय और नकदी प्रवाह को समायोजित करने की जरूरत होती है। नीचे दी गई सारणी पिछले जीएएपी से भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाए जाने पर समायोजन को प्रदर्शित करती है।

1. 31 मार्च 2018 और 1 अप्रैल 2017 को कुल इक्विटी का समायोजन

(रु. लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	1 अप्रैल 2017 को
पिछले जीएएपी के अनुसार कुल इक्विटी (शेयरधारक की निधि) का समायोजनः	17,293.08	19,878.41
माप में परिवर्तन के कारण प्रभाव		
हानि के लिए समायोजन	(2,006.76)	(861.18)
राजस्व के माप में परिवर्तन के कारण प्रभाव	(7,699.72)	(6,741.18)
निम्न के लिए समायोजनः		
– प्रस्तावित लाभांश	1,352.84	1,357.98
– पूर्व अवधि की आय/(व्यय)	(13.58)	(0.55)
उपरोक्त समायोजन पर कर प्रभाव	4,423.79	3,695.59
कुल समायोजन	(3,943.44)	(2,549.34)
पिछले जीएएपी के अंतर्गत त्रुटियों का सुधार		
अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान की मान्यता	(3,076.07)	(3,076.07)
देनदारियों के प्रावधानों के लिए पुनर्वर्गीकरण	(29.68)	(53.16)
भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार कुल इक्विटी	**10,243.89**	**14,199.83**

2. 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्श के लिए कुल व्यापक आय की पहचान

(रु. लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्श के लिए
पिछले जीएएपी के अनुसार कर के बाद लाभ	3,746.71
समायोजनः	
राजस्व के माप में परिवर्तन के कारण प्रभाव	(958.54)
हानि अलाउंस	(1,145.58)
निम्न के लिए समायोजनः	
– पूर्व अवधि की आय/(व्यय)	(13.03)
उपरोक्त समायोजन पर कर प्रभाव	728.19
कुल समायोजन	**(1,388.95)**
31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्श के लिए कुल व्यापक आय	**2,357.76**

3. 31 मार्च 2018 को बैलेंस भीट का समायोजन

(रु. लाखों में)

	विवरण	नोट संख्या	संबंधित पिछला आईएजीएएपी	समायोजन	इंड. एएस
I.	**सम्पत्तियां**				
1	गैर–चालू सम्पत्तियां				
	(क) प्रोपर्टी, प्लांट और उपकरण	2	681.86	-	681.86
	(ख) अमूर्त सम्पत्तियां	3	6.25	-	6.25
	(ग) विकास की प्रक्रिया में अमूर्त सम्पत्तियां	4	13.16	-	13.16
	(घ) वित्तीय सम्पत्तियां				
	(ii) अन्य वित्तीय सम्पत्तियां	5	35.58	-	35.58
	(ड) आस्थगित कर सम्पत्तियां (शुद्ध)	6	709.61	4,423.79	5,133.40

	विवरण	नोट संख्या	संबंधित पिछला आईएजीएएपी	समायोजन	इंड. एएस
			1,446.46	4,423.79	5,870.25
2	चालू सम्पत्तियां				
	(क) वित्तीय सम्पत्तियां				
	(i) व्यापार प्राप्य	7	13,034.33	(2,006.76)	11,027.57
	(ii) नकदी और नकदी समकक्ष	8	10,159.06	-	10,159.06
	(iii) अन्य बैंक बैलेंस	9	212,691.63	-	212,691.63
	(iv) अन्य वित्तीय सम्पत्तियां	10	40,627.71	2,816.03	43,443.75
	(ख) चालू कर सम्पत्यिां (शुद्ध)	11	622.42	-	622.42
	(ग) अन्य चालू सम्पतियां	12	19,985.78	-	19,985.78
			297,120.94	809.27	297,930.21
	कुल सम्पत्तियां		**298,567.40**	**5,233.06**	**303,800.46**
II.	**इक्विटी और देनदारियां**				
1	इक्विटी				
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	180.01	-	180.01
	(ख) अन्य इक्विटी		17,113.07	(7,049.19)	10,063.87
	कुल इक्विटी		**17,293.08**	**(7,049.19)**	**10,243.89**
2	देनदारियां– गैर चालू				
	देनदारियां				
	(क) प्रावधान	14	870.13	-	870.13
			870.13	-	870.13
	चालू देनदारियां				
	(क) वित्तीय देनदारियां				
	(i) व्यापार देय	15	39,072.43	-	39,072.43
	(ii) अन्य वित्तीय देनदारिय	16	58,574.03	13.58	58,587.61
	(ख) अन्य चालू देनदारियां	17	180,681.89	10,515.75	191,197.65
	(ग) प्रावधान	18	2,075.84	1,752.92	3,828.76
			280,404.20	**12,282.25**	**292,686.45**
	कुल इक्विटी और देनदारियां		**298,567.41**	**5,233.06**	**303,800.47**

* पिछले जीएएपी आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत किया गया है ताकि भारतीय लेखांकन मानक की आवश्यकताओं को इस नोट के उद्देश्य के लिए पूरा किया जा सके।

4. 1 अप्रैल 2017 को बैलेंस शीट का समायोजन

(रु. लाखों में)

	विवरण	नोट संख्या	संबंधित पिछला आईएजीएएपी	समायोजन	इंड. एएस
I.	**सम्पत्तियां**				
1	गैर–चालू सम्पत्तियां				
	(क) प्रोपर्टी, प्लांट और उपकरण	2	691.94	-	691.94
	(ख) अमूर्त सम्पत्तियां	3	7.13	-	7.13
	(ग) विकास की प्रक्रिया में अमूर्त सम्पत्तियां	4	6.21	-	6.21
	(घ) वित्तीय सम्पत्तियां				
	(ii) अन्य वित्तीय सम्पत्तियां	5	37.01	-	37.01
	(ङ) आस्थगित कर सम्पत्तियां (शुद्ध)	6	689.35	3,695.59	4,384.94
			1,431.64	**3,695.59**	**5,127.23**
2	**चालू सम्पत्तियां**				
	(क) वित्तीय सम्पत्तियां				
	(i) व्यापार प्राप्य	7	7,827.07	(861.18)	6,965.88
	(ii) नकदी और नकदी समकक्ष	8	17,148.56	-	17,148.56
	(iii) अन्य बैंक बैलेंस	9	144,499.29	-	144,499.29
	(iv) अन्य वित्तीय सम्पत्तियां	10	41,770.32	2,555.09	44,325.41
	(ख) चालू कर सम्पत्यिां (शुद्ध)	11	356.44	-	356.44
	(ग) अन्य चालू सम्पत्तियां	12	15,802.80	-	15,802.80
			227,404.47	1,693.91	229,098.38
	कुल सम्पत्तियां		**228,836.11**	**5,389.50**	**234,225.61**
II.	इक्विटी और देनदारिय				
1	इक्विटी				
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	240.02	-	240.02
	(ख) अन्य इक्विटी		19,638.38	(5,678.57)	13,959.81
	कुल इक्विटी		**19,878.40**	**(5,678.57)**	**14,199.83**
2	देनदारियां				
	गर चालू देनदरियां				
	(क) प्रावधान	14	741.25	-	741.25
			741.25	-	741.25
	चालू देनदारियां				
	(क) वित्तीय देनदारियां				
	(i) व्यापार देय	15	19,140.02	-	19,140.02
	(ii) अन्य वित्तीय देनदारियां	16	60,951.65	0.55	60,952.20
	(ख) अन्य वर्तमान देनदारियां	17	126,238.83	9,296.27	135,535.10
	(ग) प्रावधान	18	1,885.97	1,771.25	3,657.21

	विवरण	नोट संख्या	संबंधित पिछला आईएजीएएपी	समायोजन	इंड. एएस
			208,216.46	**11,068.08**	**219,284.54**
	कुल इक्विटी और देनदारियां		**228,836.11**	**5,389.50**	**234,225.61**

* पिछले जीएएपी आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत किया गया है ताकि भारतीय लेखांकन मानक की आवश्यकताओं को इस नोट के उद्देश्य के लिए पूरा किया जा सके।

5. 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानिक विवरण का समायोजन

(रु. लाखों में)

	विवरण	नोट संख्या	संबंधित पिछला आईएजीएएपी	समायोजन	इंड. एएस
I.	संचालनों से प्राप्त राजस्व				
	सेवाओं का मूल्ये	19	151,310.54	(958.54)	150,352.00
	अन्य संचालन आय	20	196.38	-	196.38
II.	अन्य आय	21	822.65	-	822.65
III.	**कुल आय (I+II)**		**152,329.57**	**(958.54)**	**151,371.03**
IV.	व्यय :				
	कार्य और परामर्श व्यय	22	141,684.61	-	141,684.61
	कर्मचारी लाभ व्यय	23	3,895.03	-	3,895.03
	मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय	2	78.40	-	78.40
	अन्य व्यय	24	848.85	1,145.58	1,994.43
	कुल व्यय (IV)		**146,506.89**	**1,145.58**	**147,652.47**
V.	**अपवाद मदों और कर से पहले लाभ (III-IV)**		**5,822.68**	**(2,104.12)**	**3,718.56**
VI.	अपवाद मदें		(0.43)	(13.03)	(13.46)
VII.	**कर से पहले लाभ (V - VI**		**5,822.24**	**(2,117.14)**	**3,705.10**
VIII.	कर व्यय:	26			
	(1) चालू कर		2,095.79	-	2,095.79
	(2) आस्थगित कर		(20.27)	(728.19)	(748.46)
	(3) पिछले वर्षें का कर समायोजन		-	-	-
IX	**अविध के लिए लाभ/(हानि)**		**3,746.72**	**(1,388.95)**	**2,357.77**
X	**अन्य व्यापक आय**	**27**			
	मदें जिनका पुनःवर्गीकरण लाभ/हानि में नहीं होगा				
	निर्धारित लाभ योजनाओं पर पुनःमापन लाभ (हानियां)		-	-	-
	उन मदों से संबंधित आय जिन्हें लाभ/हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-	-
XI	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (IX-X)**		**3,746.72**	**(1,388.95)**	**2,357.77**

* पिछले जीएएपी आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत किया गया है ताकि भारतीय लेखांकन मानक की आवश्यकताओं को इस नोट के उद्देश्य के लिए पूरा किया जा सके।

क. राजस्व का मापन

पिछले जीएएपी के अंतर्गत राजस्व को मापनीय कार्य के आधार पर मान्य किया जाता है जो वास्तव में अनुबंध में निर्धारित की गई उपलब्धि के आधार पर आनुपातिक मार्जिन प्रतिशत होती है। भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत, सेवाओं की बिक्री से राजस्व एक ग्राहक के साथ एक अनुबंध में निर्दिष्ट अवधारणा के आधार पर मापा जाता है। कंपनी राजस्व उस समय मान्य करती है जब वह किसी ग्राहक को उत्पाद या सेवा का नियंत्रण स्थानांतरित करती है। यह अब तक किए गए कुल लागत के साथ वास्तविक लागत की तुलना करके प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को मापता है।

ख. व्यापार प्राप्य राशियों और अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान

पिछले जीएएपी के अंतर्गत, कंपनी ने वसूली योग्य राशियों के अनुमान के आधार पर विशिष्ट राशि के संबंध में व्यापार प्राप्य राशियों के लिए प्रावधान किया है। भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत, व्यापार प्राप्तियों के लिए लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल (ईसीएल) के आधार पर हानि अलाउंस निर्धारित किया गया है। प्रबंधन द्वारा विशिष्ट पहचान के आधार पर विक्रेताओं से कुछ वसूली योग्य राशियों का प्रावधान किया है।

ग. लाभांश समायोजन

पिछले जीएएपी के अंतर्गत, निदेशक मंडल द्वारा बैलेंस शीट की तिथि के बाद लेकिन वित्तीय विवरण के अनुमोदन से पहले प्रस्तावित लाभांश को समायोजित माना जाता था। तदनुसार, प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान को दायित्व के रूप में मान्यता दी गई थी। भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत इस तरह के लाभांश को मान्यता दी जाती है जब सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तदनुसार, प्रस्तावित लाभांश और लाभांश वितरण कर और लाभांश वितरण कर के लिए देनदारी को प्रतिधारित आयों के संबंधित समायोजन के साथ बदल दिया गया है।

घ. उक्त समायोजनों पर कर प्रभाव

स्थगित कर दी गई आय को भारतीय लेखांकन मानक को अपनाए जाने के अनुरूप आस्थगित कर पर संबंधित प्रभाव के साथ समायोजित किया गया है।

ङ. 1 अप्रैल, 2017 को अर्जित आय को उक्त भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाए जाने के परिणामस्वरूप समायोजित किया गया है।

च. प्रतिधारित आय को सभी भारतीय लेखांकन मानकों के परिणामस्वरूप संबंधित प्रभाव के साथ समायोजित किया गया है।

छ. पूर्व अवधि के आइटम

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय मामलों में पिछली अवधि के प्रभाव की अनुमति देते हैं। इसलिए पिछले आइटमों को प्रतिधारित आय में स्थानांतरित कर दिया गया है।

नोट–42

पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकता के अनुसार पुनः संगठित और/या पुनःवर्गीकृत किया गया है। ऋणात्मक आंकड़ों को कोष्ठकों में दर्शाया गया है।

राष्ट्रीय एकता दिवस का पालन

कम्पनी ने 31 अक्टुबर 2018 को राश्ट्रीय एकता दिवस मनाया। कम्पनी के सभी कर्मचारियों ने इस उत्सव को उत्साह के साथ मनाया और देश के अच्छे और बुरे समय में एकजुट रहने की भापथ ली।

गणतंत्र दिवस उत्सव–2019

21 जून 2018 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कम्पनी के कर्मचारी विभिन्न योगासन करते हुए

वरिश्ठ अधिकारी और विभागाध्यक्ष

श्री एम.सी बंसल
ई डी (एफएण्डए)

श्री एस.ए उस्मानी
वरिश्ठ सीजएम (i)

श्री वी.वी. गोविंद राय
सीजीएम (पीजी–1)

श्री एस.सी गर्ग
वरिश्ठ सीजएम (i)

श्री सौरव श्रीवास्तव
सीजीएम (एफ एण्ड ए)

श्री सीएस गुप्ता
जीएम (एफएण्डए और सीएफओ)

श्री कृश्ण वीर खन्नाडी
आईटी विभाग

श्री प्रमोद कुमार
अधिग्रहण

श्री पी.के भाटिया
ऋशिकेस

श्री राजीव
सिविल

श्री देबाशीश बंधोपाध्याय
खरीद और विशेष सेवा

श्रीमती मोनिका तनखा
सिविल

श्री नरेंद्र कुमार
व्यापार विकास

श्री सामंत
तेजपुर

श्री शिवन्ना
शिलॉंग

एचएससीसी कार्यालय

पंजीकृत कार्यालयः

205 (दूसरा तल), ईस्ट एंड प्लाजा,

प्लॉट नं. 4, डीडीए एलएससी–सेंटर–2

वसुंधरा एनक्लेव, दिल्ली–110096

कॉर्पोरेट कार्यालयः

ई–6 (क), सेक्टर–1,

नोएडा. 201301 (यूपी)

परियोजना एवं साइट ऑफिस

असम

लोकप्रिय गेपीनाथ बारदोलाई

क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान

प्रथम तल, एक्स पुलिस लाइन, नजदीक काली मंदिर

पोस्ट ऑफिस तेजपुर, जिला सोनितपुर, असम

पिन–784001

छत्तीसगढ़

मकान नंबर बी –19/7, पनी की टंकी के पास

राजेन्द्र नगर के पास,

रायपुर (छत्तीसगढ़)

पिन – 492001

प्रमुख साइट कार्यालय

राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, एम्स झज्जर, हरियाणा

कोचीन कैंसर और अनुसंधान केंद्र, एर्नाकुलम, केरल

100 बिस्तर अस्पताल, ईएसआईसी, सिलीगुड़ी

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और सबंधित हस्पतालों, नई दिल्ली का पुनर्विकास

नर्सिंग कॉलेज–आरएके, नई दिल्ली का अपग्रेडेशन

नया भुगतान वार्ड, एम्स, नई दिल्ली

एम्स, नई दिल्ली का होस्टल ब्लॉक

हाउसिंग कार्य, एम्स, रायबरेली

एम्स में सर्जिकल ब्लॉक, नई दिल्ली

एम्स, नई दिल्ली का मां एवं बच्चा ब्लॉक

एम्स, नई दिल्ली का ओपीडी ब्लॉक

पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड एजुकेशनल रिसर्च, संगरूर की सेटेलाइट युनिट

एनआरएचएम– उत्तर प्रदेश, एनआरएचएम– केरल और एनआरएचएम–हिमाचल प्रदेश

न्यूरो साइंस, एनआईएमएचएएनएस, बंगलोर में सुपर स्पेशियल्टी ब्लॉक का निर्माण

नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, हैदराबाद

इंस्टीट्यूट ऑफ वैटरनरी बायोलॉजिक प्रोडक्ट्स के लिए वैक्सीन प्रोसेसिंग सुविधाएं

पुणे 750 बेड का हस्पताल (फेज 1–400 बेड का), आईआईटी, खड़गपुर रेजिडेंशियल

न्यू एम्स, भुवनेश्वर के लिए होस्टल कॉम्पलेक्स

कोलकाता मेडिकल कॉलिज, कोलकाता में सुपर स्पेशियल्टी ब्लॉक, ओपीडी एवं अकेडमिक ब्लॉक

राजकीय हस्पताल, नाहरलागन, अरुणाचल प्रदेश का अपग्रेडेशन

नाहन, हमीरपुर और चम्बा, हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलिज

रिजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिक एण्ड नर्सिंग साइंस (आरआईपीएएनएस), आईजोल

आरईएमएस, इम्फाल के लिए यूजी में प्रतिवर्ष 100 इनटेक सीटों को बढाकर 150 करना

पीएमएसएसवाई अपग्रेडेशन फेज 3 की परियोजनाएं

– रीवा	– बरहमपुर	– उदयपुर	– ग्वालियर	– पटियाला
– बीकानेर	– जबलपुर	– बुर्ला	– औरंगाबाद	– विजयवाड़ा
– डिबरुगढ़	– झांसी	– कोटा	– गुवाहटी	– शिमला
– इलाहबाद	– लातुर	– पणजी (गोआ)	– दर्जिलिंग	

नागपुर, कल्याणी और गुंटुर में नए एम्स

मिजोरम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, फॉकवन, मिजोरम

पाली, राजस्थान में 100 सीटों का मेडिकल कॉलिज

डॉ. आरपी मेडिकल कॉलिज, कांगड़ा के लिए हाउसिंग और होस्टल

ह. स. कं. क.

HSCC

AN ISO 9001:2008

Mini Ratna Company

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामीत्व वाली सहायक कम्पनी

(भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएन: U74140DL1983GOI015459

पंजीकृत कार्यालय: 205 (दूसरा तल), ईस्ट एंड प्लाजा, प्लॉट नं. 4, एलएससी, सैक्टर–2,

वसुंधरा एन्क्लेव, नई दिल्ली–110096

ईमेल: co.sectt@nbccindia.com, वेबसाइट: www.hsccltd.co.in, टेलीफोन: 0120.2542436–40

उपस्थिति पर्ची

कृपया इस उपस्थिति पर्ची को भरकर सभागृह के प्रवेश द्वार पर जमा करें।

संयुक्त शेयरधारक बैठक के स्थान पर अतिरिक्त पर्ची प्राप्त कर सकते हैं।

डीपी आईडी*		फोलियो सं.	
क्लाइंट आईडी*		शेयरों की सं.	

शेयर का नाम तथा पता.....

.....

मैं एतद द्वारा कम्पनी की दिनांक .....

.....को आयोजित 36वीं सामान्य वार्षिक बैठक में उपस्थित दर्ज करता हूं।

.....

सदस्य/परोक्षी का हस्ताक्षर

* इलेक्ट्रोनिक रूप से शेयरधारक निवेशकों के लिए लागू

ह. स. कं. क.

HSCC

AN ISO 9001:2008
Mini Ratna Company

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामीत्व वाली सहायक कम्पनी
(भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएन: U74140DL1983GOI015459

पंजीकृत कार्यालय: 205 (दूसरा तल), ईस्ट एंड प्लाजा, प्लॉट नं. 4, एलएससी, सेक्टर–2,
वसुंधरा एन्क्लेव, नई दिल्ली–110096

ईमेल: co.sectt@nbccindia.com, वेबसाइट: www.hsccltd.co.in, टेलीफोन: 0120.2542436–40

प्रतिनिधित्व प्रपत्र

सदस्य(यों) का नाम	ई–मेल आईडी
फोलियो नं/डीपी आईडी, ए क्लाइंट आईडी	
रजिस्टर्ड पता	

मैं/हम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के .....शेयर सदस्य होने के नाते निम्नलिखित को नियुक्त करते है:

1) ..... निवासी..... ई–मेल आईडी धारक .....या उनके न होने पर

2) ..... निवासी..... ई–मेल आईडी धारक .....या उनके न होने पर

3) ..... निवासी..... ई–मेल आईडी धारक .....

और उनके हस्ताक्षर नीचे दिए गए, को मेरा/हमारा प्रतिनिधि नियुक्त करते है ताकि वे मेरे/हमारे लिए मंगलवार, 17 सितम्बर 2019 को दोपहर 12:30 बजे एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 में आयोजित होने वाली 36वीं वार्षिक सामान्य बैठक में हमारे लिए उपस्थित हो सकें और मेरे/हमारी तरफ से वोट कर सकें, और नीचे दिए गए प्रस्तावों के संबंध में किसी भी स्थगन पर:

साधारण कार्य	पक्ष में	विपक्ष में
1. 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना और स्वीकृति देना।		
2. 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 100 रुपये प्रति (अर्थात1,660.33 प्रतिशत की दर पर) के इक्विटी शेयरों के भुगतान किए गए प्रति शेयर पर रुपये 1,660.33 (एक हजार छह सौ साठ रुपये) का लाभांश घोषित करना।		
3. श्री ज्ञानेश पाण्डेय (डीआईएन 03555957) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करना, जो रोटेशन से रिटायर होते हैं और फिर से नियुक्ति के लिए खुद को प्रस्तुत करते हैं।		
4. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक(कों) के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।		
विशेष कार्य		
5. श्री शिवदास मीणा (डीआईएन: 01881010) की कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति को नियमित करना		
6. श्री ज्ञानेश पांडे (डीआईएन 03555957) की कम्पनी के निदेशक (महानिदेशक) के रूप में नियुक्ति को नियमित करना		
7. श्रीमति नंदिता गुप्ता (डीआईएन: 02410865) की कम्पनी के निदेशक बोर्ड में सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति को नियमित करना		
8. डॉ. (श्रीमति) विनोद पंथी (डीआईएन: 08523768) की कम्पनी के निदेशक बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति को नियमित करना		

दिनांक.....माह.....2019 को हस्ताक्षर

शेयरधारक के हस्ताक्षर.....

परोक्षी धारक (कों) के हस्ताक्षर .....

रसीद टिकट चिपकाएं

टिप्पणियाँ:

1. इस परोक्षी प्रपत्र के प्रभावी होने के लिए इसे पूर्ण रूप से भरकर, बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराया जाना चाहिए।
2. संकल्पों के लिए, कृपया 59वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना देखें।
3. यह केवल वैकल्पिक है। कृपया बॉक्स में दर्शाए गए प्रस्तावों के सामने उपयुक्त कॉलम में (✓) डालें। यदि आप सभी संकल्पों के सभी या कुल पक्ष अथवा विपक्ष वाले खानें खाली छोड़ते हैं तो परोक्षी को जैसा उचित समझे वोट करने का अधिकार होगा।
4. कृपया जमा करने से पहले उपरोक्त प्रपत्र के खानों में सदस्य(यों) के विवरणों सहित सभी विवरणों को पूरा भरें।

* इलेक्ट्रोनिक रूप में शेयरधारक निवेशकों पर लागू।

36वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2018-19

CORPORATE OFFICE
E-6(A), Sector 1, Noida - UP - 201301
Tel. - 91-120-2542436-40
Fax - 91-120-2542447
Email - hscchd@hsccltd.co.in

REGISTERED ADDRESS
205 (2nd floor), East End Plaza,
Plot No.4, LSC, Centre - II,
Vasundhara Enclave, NEW DELHI DL 110096 IN